ट्रैफिकिंग

यौन शोषण के लिए स्त्रियों और बच्चों का व्यापार

भारत में
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए
मार्गदर्शक पुस्तिका

डॉ. पी. एम. नायर

United Nations
Development Fund for Women
UNIFEM

UNITED NATIONS
Office on Drugs and Crime

ट्रैफिकिंग

यौन शोषण के लिए
स्त्रियों और बच्चों का व्यापार

भारत में
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए
मार्गदर्शक पुस्तिका
(संशोधित संस्करण 2007)

डॉ. पी. एम. नायर
pm.nair@unoc.org
nairpm@hotmail.com

United Nations
Development Fund for Women
UNIFEM

यूनाइटेड नेशन्स
ऑफिस ऑन ड्रगस एंड क्राइम

United Nations
Development Fund for Women
UNIFEM

प्रथम संस्करण : यूनिफेम, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

यूनाइटेड नेशन्स
ऑफिस ऑन ड्रगस एंड क्राइम

द्वितीय संस्करण : यू. एन. ओ. डी. सी., नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

स्वत्वाधिकार © डॉ. पी.एम. नायर 2007

इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं तथा वे अनिवार्य रूप से यूनिफेम, यूएनओडीसी, संयुक्त राष्ट्र या उससे संबद्ध संगठनों में से किसी के भी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

किरण बेदी, आइ.पी.एस
महानिदेशक
टेलीफोन : 011-24361849

ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ब्लॉक नंबर 11, चौथा तल,
सीजोओ कांप्लेक्स
नई दिल्ली – 110003
ई–मेल : dgbprd@bol.net.in

भूमिका

अकाट्य है यह तथ्य कि महिलायों और बच्चों की ट्रैफिकिंग मानव अधिकारों का एक गंभीर उल्लघनं और आज के सर्वाधिक संगठित अपराधों में एक है, जो संस्कृतियों, भूगोल और समय की सीमा लाँघ रहा है। इससे जुड़े मुद्दों से निपटने में संबद्ध एजेंसियों की अनुक्रिया किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है, जिससे इन उल्लघनों और ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों की क्षति में वृद्धि हुई है। अतः हैरत की बात नहीं कि जोखिमग्रस्त समूह ट्रैफिकिंग के खतरे के और निकट आए हैं। देश के विभिन्न भागों से रिपोर्ट होने वाली घटनाओं, जिनमें हमारों लापता बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाता, की बाढ़ ट्रैफिकिंग के गंभीर आयाम का लक्षण है। इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून का प्रर्वतन करनेवाली एजेंसियों, जैसे पुलिस, प्रॉसिक्यूटर, न्यायपालिका, सुधार प्रशासक, विकास प्रशासक, तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया के सशक्तीकरण की आवश्यकता है, ताकि वे ज्ञान, कुशलता और उपयुक्त दृष्टिकोण से लैस हों। यह मार्गदर्शक पुस्तिका, जो डॉ. पी.एम. नायर द्वारा असाधारण प्रयास के बाद सावधानी से तैयार की गई है, मानव ट्रैफिकिंग से निपटने में, मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से, इनमें से प्रत्येक के सशक्तीकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय योगदान है।

मुद्दों को हॉलिस्टिक दृष्टि से समझने के लिए यह आवश्यक है कि समस्या–अभिमुख पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने से पहले मुद्दों को समुचित शोध के द्वारा समझा जाए । शोध को पुलिस व्यवस्था से एकान्वित करने में डॉ. पी.एम. नायर के पास दुर्लभ अनुभव हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोडल अधिकारी के रूप में तथा स्त्रियों और बच्चों की ट्रैफिकिंग पर एक्शन–शोध में, जो 2002-2004 के दौरान संपन्न हुआ, प्रमुख शोध तथा अनुसंधानकर्ता के रूप में, उन्होंने ट्रैफिकिंग के आयामों को उसकी समग्रता में समझा है। पुलिस व्यवस्था में 29 वर्षों के दौरान, जिनमें से एक दशक तक वे सीबीआई में रहे, वे ट्रैफिकिंग के असंख्य अपराधों से जूझते रहे। मानव ट्रैफिकिंग के प्रतिकार के बारे में उनके पास जैसी समझ, ज्ञान और विशेषज्ञता है, वह सचमुच अनोखी और असाधारण है। संप्रति वे अपने शोध निष्कर्षों को एक्शन कार्यक्रमों में रूपांतरित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस विस्तुत पुस्तिका में साक्ष्य–आधारित परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया है। 'क्या करें' और' क्या न करें' की शैली में प्रस्तुतीकरण तथा ट्रैफिकिंग की रोकथाम और उससे संघर्ष की दिशा में कैसे काम किया जाए, यह जिस प्रवाहमय और उपयोगकर्ता–मित्र ढंग से उन्होंने समझाया है, उससे इस किताब की माँग लगातार बनी रही है। मुझे यह देख कर हार्दिक प्रसन्नता है कि डॉ. नायर इस पुस्तक की गुणवत्ता में वृद्धि कर तथा इसे और अधिक समृद्ध बना कर इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सशक्तीकरण करनेवाली यह पुस्तिका पुलिस तंत्र के सभी स्तरों पर और ट्रैफिकिंग के विरुद्ध संघर्ष कर रहे अन्य सभी स्टेकधारियों के लिए एक मूल्यवान कृति साबित होगी ।

किरण बेदी

चाँदनी जोशी
क्षेत्री कार्यक्रम निदेशक
यूनिफेम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली

नई दिल्ली
नवंबर 2005

भूमिका (प्रथम संस्करण)

यह पुस्तिका एक ऐसे अफसर, श्री पी.एम. नायर, के अनुभव और समझ की उपज है, जो इस बारे में ठीक–ठीक जानकारी का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है कि भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन करने में सक्षम समझदारी और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए क्या करना जरूरी है। यह एक ऐसी किताब है, जिसके पन्ने विद्यमान कानूनों को लागू करते समय अधिकारी पलट सकते हैं। साथ ही, यह उतना ही महत्वपूर्ण अभिमुखीकरण है जो किसी को ट्रैफिकिंग, उपलब्ध कानूनी प्रावधानों, मौजूदा कानूनों के दायरे और उनकेसंवेदनशील प्रयोग की प्रक्रियाओं से अवगत करता है। ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं को पूर्णतावादी तथा व्यवस्थित तरीके से मुक्त कराने के पक्ष में एक सुस्पष्ट प्रशासनिक निर्देश के साथ यह उभरता है। महिलाओं को पूर्णतावादी तथा व्यवस्थित तरीके से मुक्त कराने के पक्ष में एक सुस्पष्ट प्रशासनिक निर्देक के साथ यहसब कुछ उभरता है। महिला हित के प्रति श्री नायर की निष्ठा और प्रयास के कारण उनके प्रति मेरे मन में गहरा प्रशंसा भाव है।

मानव ट्रैफिकिंग की शिकार और उससे मुक्त कराई गई महिलाओं और बच्चों तथा ट्रैफिककर्ताओं से निपटने में निहित दैनंदिन चुनौतियों के प्रति कानून प्रवर्तन एजेंसियों की यह संवेदनशील और समझपूर्ण अनुक्रिया तैयार करने में, इस मैनुअल की समग्री कानून प्रवर्तक एजेंसियों की वास्तव में अनुभूत आवश्यकताओं को प्रकट करती है। यह मैनुअल इस क्षेत्र से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। यह मौजूदा आम धारणओं और दुष्टियों, जो अनिवार्यतः ट्रैफिकिंग की शिकार स्त्रियों और बच्चों और उनके पुनर्वास की प्रक्रियाओं के विरुद्ध जाती हे, के मिथ्यात्व को ध्वस्त करने का काम करता है। इसके अलावा, श्री नैयर ने विषयवस्तु के प्रतिपादन में जो वस्तुनिष्ठता दिखाई है, वह चर्चा को उस अशालीनता की अंतःनिर्मित पूर्व–धारणाओं से मुक्त रखती है जो इस तरह के अनुीाव से गुजरी महिलाओं को अनिवार्यतः गिरफ्त में ले लेता है।

महिलाओं और बच्चों की ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर युनिफेम का सैद्धांतिक फ्रमवर्क 'स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति का सम्मेलन' (सीईडीएडब्ल्यू) और 'बच्चों के अधिकारों का सम्मेलन' (सीआरसी) पर आधारित है। युनिफेम के लिए वे राट्रीय कानून और राष्ट्रीय कार्ययोजनाएँ भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं जिन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत और सहजभेद्य लोगों को ट्रैफिकिंग तथा इससे जुड़े शोषण एवं दुरुपयोग के अन्य सभी रूपों ओर आत्याचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए बनाया गया हे। युनिफेम स्त्रियों के सशक्तीकरण तथा विकास के प्रति मानवाधिकार–आधारित परिप्रेक्ष्य को प्रवर्धित तथा विकसित करने का कार्य संगत रूप से करता है। हम अपने प्रयासों के जरिए उन परिप्रेक्ष्यों, रुखों और तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं जो स्त्रियों की समस्याओं और सहज–भेद्यताओं को समझने के लिए आम तौर पर अपनाए जाते हैं। ट्रैफिकिंग के मामले में हमारी प्रतिबद्धता इस बात पर केंद्रित है कि ट्रैफिक की गई लड़कियों को मुक्त कराए जाएँ, वे अपनी आखिरी मंजिल पर पहुँचें, इसके पहले की मुक्त कराई जाएँ, इस लक्ष्य से समुदाय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संबंध को प्रगाढ़ कर समुदाय तथा सीमा के दोनों तरफ स्थित संस्थाओं की प्रतिबद्धता एवं सांस्थानिक क्षमता बढ़ाई जाए ।

यह मैनुअल भारत में ट्रैफिकिंग पर उपलब्ध साहित्य में एक मूलयवान वृद्धि है। यह सुपाठ्य है ओर प्रवाहपूर्ण शैली में लिखा गया है। मेरा विश्वास है, यह भारत में स्त्रियों और बच्चों की ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में काम कर रही संपूर्ण विकास बिरादरी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मेरा यह विश्वास ळी हे कि यह महिलाओं और बच्चों को ट्रैफिकिंग और उसके परिणामस्वरूप होनेवाले दुरुपयोग ओर शोषण से सुरक्षा प्रदान करने में बृहत्तर, प्रतिबद्ध कार्यक्षेत्रों और साझेदारीयों का निर्माण करने में सहायक होगा। मैं आशा करती हूँ कि उत्तरजीवियों के जीवन में प्रभावी बदलाव आएगा, स्त्रियों के संकट और कष्ट में कमी होगी ओर स्त्रियों की गरिमा के अनुकूल राजनीति, प्रशसनिक तथा विधिक परविश का निर्माण होगा ।

Chandni Joshi

चाँदनी जोशी

यूनाइटेड नेशन्स
ऑफिस ऑन ड्रगस एंड क्राइम

दक्षिण एशिया के लिए
क्षेत्रीय निदेशक

ईपी 16/17, चंद्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021, भारत
टेली. : 91-11-4225000, फैक्स : 91-11-2410-4962, वेबसाइट : http://www.unodc.org/india

1 मार्च 2007

भूमिका (संशोधित संस्करण)

मैं यौन शोषण तथा बलात मजदूरी के लिए स्त्रियों और बच्चों की बिक्री से ज्यादा भयावह कुछ ही अपराधों की कलपना कर सकता हूँ। यह वर्ष – 2007 – अटलांटिक महासागर के आरपार दास व्यापार की समाप्ति की द्विशताब्दी का वर्ष है। फिर भी, तथ्य यह है कि आज की दुनिया में भी दसता का अस्तित्व है। यह देख कर हमें शर्म से मर जाना चाहिए। और, गुस्से से भी ।

इसी तर्क से, कुछ ही काम ऐसे हैं जिन्हें मैं मानव ट्रैफिकिंग और आधुनिक समय की दासता से संघर्ष से अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। ट्रैफिकिंग एक वेश्विक अपराध हे और यह संगठित हैं। यह अरबों डॉलर का उद्योग है तथा जो इसमें शामिल है, उनके लिए मुनाफा पैदा करता है। इससे करोड़ों का जीवन प्रभावित होता हे–खासकर गरीब देशों में ।

मानव तस्करी रोकने के लिए सरकारों ओर नागरिक समाज की सहायता करने में, संयुक्त राष्ट्र मानव ट्रैफिकिंग के प्रतिकार के तीन मशहूर पी – प्रीवेंट (रोको), प्रोटेक्ट (सुरक्षा दो) और प्रॉसिक्यूट (मुकउमा चलाओ) – का समर्थन करता है। हमारे काम का एक हिस्सा स्थानीय स्तर पर कुछ जागरूकता निर्माण अाियान चलाना है। निवारण में सरकारों से यह अनुरोध करना भी शामिल है। कि वे पहली कार्रवाइ के स्तर पर उन कारणों को दूर करने के उद्देश्य से, जो जोखिमपूर्ण आव्रजन के लिए जिम्मेदार हैं, स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए जो भी कर सकते हैं, करें। और यहाँ मैं यह भी कहूँगा कि इस प्रक्रिया में व्यक्तियों और लड़कों की सहायता हासिल करने के लिए हमें ओर ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। कारण, समाज में स्त्रियों की भूमिका के बारे में उनका पूर्वाग्रहयुक्त दृष्टिकोण ही स्त्रियों ओर लड़कीयों` साथ हिंसा, उनके अपमान और उनके साथ दुर्व्यवहार के लिए बहुधा और काफी हद तक जिम्मेदार है। दुनिया भर में देशों, संस्कृतियों और समुदायों को यह स्वीकार करना होगा कि हमारी सभ्यता – और हमारी मानवता – के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पैमाना स्त्रियों ओर लड़कियों का सम्मान करना ओर उनके साथ समानता पेश आना है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, तो हम उत्पीड़ितों को सहायता मुहैया करते है।

और कानून का प्रवर्तन – या प्रॉसिक्यूशन ? यह तीसरा 'पी' है। हाँ, यह सही है कि ट्रैफिकिंग को, खासकर औरतों और बच्चों की, रोकने, उसका दमन करने और उसे दंडित करने का प्रोटोकोल, जो 25 दिसंबर 2003 को लागू हो गया, मौजूदा है। लेकिन यह जिन कानूनों को अंतराष्ट्रीय मान्यता देता हे, उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। दक्षिण एशिया में, सामान्यतः मैं पाता हूँ कि अधिकांश मामलों में ट्रैफिककर्ताओं के खिलाफ असरदार कार्रवाइ करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद है। वास्तव में जिसकी जरूरत है, वह हे मौजूदा प्रणाली का सशक्तीकरण । यह पुस्तिका इसी दिशा में एक प्रयास हे। हमारे लक्ष्य–पाठक है पुलिस विभाग में कार्यरत पुरुष और महिलाएँ तथा प्रॉसिक्यूटर, और न्यायपालिका भी । यह पुस्तिका व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसका उपयोग कानून के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा तत्काल किया जा सकाता है। इस पुस्तिका के लेखक उनमें से एक हें जो ट्रैफिकिंग के विरूद्ध संघर्ष में वर्षों से लगे हैं। उन्होंने भारतीय पुलिस प्रतिष्ठान के भीतर से ट्रैफिकिंग के पाप के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी है। उनकी पुस्तिका की अंतर्दुष्टि इस संघर्ष की व्यावहारिक असलियतों की उपज है। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ ।

मेरा अनुरोध है कि आप इसे पढ़े, इसका प्रयोग करें और इस महाकाय तथा – श्रेष्ठ – संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाएँ ।

गैरी लेविस
प्रतिनिधि
यूएनओडीसी
दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय

भूमिका

यह पुस्तिका जरूरत और माँग, दोनों का नतीजा है। अनगिनत स्त्रियाँ और बच्चे, जिनकी योन शोषण के व्यापार (सीएसई) के लिए ट्रैफिकिंग होती है, मानव अधिकारों का गंभीरतम उल्लंघन भुगतते हैं, परंतु अनुक्रिया (रिस्पांस) की प्रणालियाँ उनकी तकलीफों पर ध्यान देने या उन्हे दूर करने में असमर्थ हैं। अकसर तो ये प्रणालियाँ इन स्त्रियों और बच्चों द्वारा सही जा रही तकलीफों और इन्हे होनेवाली क्षति को बढ़ाती ही हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक तरफ तो ट्रैफिकर और शोषक शायद ही कभी दंडित होते हैं और दूसरी तरफ शोषण के शिकारों को बहुधा अपराधी बताता जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इस विसंगति के मुख्य कारण हैं : (क) कानून, प्रक्रिया और प्रोटोकोल का उपर्याप्त ज्ञान, (ख) मुद्दों और अवधारणाओं की सटीक समझ का अभाव, (ग) मुद्दों के प्रति प्रमाणिक संवेदनशीलता की कमी और (घ) निर्णय लेने की प्रक्रिया में हुक्म चलाने और उस पर हावी होनेवाली की मानसिकताएँ और पूर्वाग्रह। यह पुस्तिका इस क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों को सूत्रबद्ध करती है और इस प्रकार अधिकार–आधारित दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना चाहती है जिससे कानून का प्रवर्तन करनेवाले अधिकारियों का सशक्तीकरण हो।

राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नोडल अधिकारी के रूम में , मैंने 2002-04 की अवधि में 'भारत में स्त्रियों और बच्चों को ट्रैफिकिंग' पर एक्शन–रिसर्च कर्यान्वित किया है। इस गहराई–पूर्ण समाजशास्त्रीय शोध, जिसे इस क्षेत्र में अग्रणी योगदान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता मिली है, के साथ–साथ मैंने स्त्रियों और बच्चों की ट्रैफिकिंग से संबंधित मुद्दों पर पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, सुधार सेवा अधिकारियों, अभियोजको और गैरसरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत, नेपाल और श्रीलंका में आयोजित 150 से ज्यादा प्रशिक्षण शिविरों में इस विषय के मुख्य विशेषज्ञ के रूप में हिस्सेदारी की है। इसके अतिरिक्त, 1978 से अपराधों की जाँच करने और उनका पता लगाने में अपने प्रोफेशनल तथा केंद्रीय जाँच ब्यूरो के लिए अंतराष्ट्रीय ट्रैफिकिंग अपराधों की खोजबीन के अनुभव ने मुझे ट्रैफिकिंग को रोकने और उसका मुकाबला करने के विभिन्न आयामों से परिचित होने का अवसर प्रदान किया है। पुलिस अधिकारियों तथा इस मुद्दे से प्रभावित अन्य लोगों के साथ अंतरक्रियायुक्त असंख्य सत्रों में मैंने इस माँग को महसूस किया कि सटीक प्रक्रियाओं और कार्य–आचार पर एक पुस्तिका प्रकाशित की जानी चाहिए, जिसका उपयोग संबद्ध मुद्दों से निपटने में कानून का प्रर्वतन करनेवाले अधिकारी तथा अन्य लोग कर सकें। यह पुस्तिका उन सहकर्मी–साथियों को समर्पित है जिनकी माँग ने इसकी रचना का कार्य हाथ में लेने में मेरी सहायता की ।

पुस्तिका का यह संस्करण यूएनओडीसी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके लिए मैं श्री गैरी लेविस, प्रतिनिधि, यूएनओडीसी, दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, का आभारी हूँ। पहला संस्करण यूनिफेम द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए मैं सुश्री चाँदनी जोशी, क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक, युनिफेम, दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, का आभारी हूँ। डॉ. किरण बेदी के मुक्तहस्त समर्थन, मार्गनिर्देश तथा प्रेरणा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता। हिन्दी अनुवाद के लिए मैं श्री राजकिशोर का आभारी हूँ।

यह पुस्तिका मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई है। मैंने अवधारणाओं के इर्द–गिर्द छाए कोहरे को हटाने तथा एक व्यावहारिक और अनुकरण–सक्षम पदाचार और मानक प्रचालन पुस्तिका प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह पुस्तिका सरल और स्पष्ट शैली में लिखी गई है, ताकि सभी आसानी से इसका उपयोग कर सकें। साथ ही, अकसर सरल पूछे जानेवाले सवालों का जबाब देने तथा अकसर उपेक्षित पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है। इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि पुस्तिका पाठकों के लिए सुविधाप्रद और स्वतःशिक्षणकारी हो ।

डॉ. पी.एम. नायर

विषय सूची

1.	**अवधारणाओं का स्पष्टीकरण**	**13**
1.1	ट्रैफिकिंग बनाम वेश्यावृत्ति	13
1.2	ट्रैफिकिंग की परिभाषा	13
1.3	ट्रैफिकिंग : एक संगठित अपराध	15
1.4	ट्रैफिकिंग का शिकार व्यक्ति	15
1.5	बाल	15
1.6	ट्रैफिकिंग का शिकार बालिग व्यक्ति	15
1.7	ट्रैफिककर्ता और अन्य शोषक	16
2.	**ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन तथा अन्य अपराध**	18
	■ आइपीसी के तहत अपराध	18
	■ जेजे एक्ट के तहत अपराध	20
	■ मानव अधिकारों का उल्लंघन	20
	■ किस कानून का प्रयोग करें और कब	20
3.	**आइटीपीए की खूबियाँ और उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे किया जाए**	22
3.1	ट्रैफिकिंग के मामलों में किन कानूनों का उपयोग किया जा सकता है	22
3.2	आइटीपीए की अंतर्निहित खूबियाँ	23
3.2.1	सामान्य प्रावधान	23
3.2.2	आइटीपीए के तहत परिभाषित अपराध	23
3.2.3	क्या ग्राहक पर भी केस बनता है	24
3.2.4	ट्रैफिककर्ताओं की कानूनी दंडनीयता	24
3.2.5	पुलिस और अदालतों का क्षेत्राधिकार	25
3.2.6	ट्रैफिकिंग को रोकने और उससे लड़ने के लिए, सशक्त औजार के रूप में, अनुमान का सिद्धांत	26
3.2.7	बाल और नाबालिगों का सीएसई	27
3.2.8	ट्रैफिकिंग के शिकार को मुक्त कराने का आदेश कौन दे सकता है?	27
3.2.9	क्या किसी नागरिक को भी (जैसे, कोई एनजीओ) किसी व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त करने और आदेश माँगने का अधिकार है?	27
3.2.10	अगर नोटिफाइड पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तब भी क्या मुक्त कराना संभव है?	28
3.2.11	सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग कैसे रोका जाए?	28
3.2.11.1	सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं?	28

3.2.11.2	अगर किसी होटल में वेश्यावृत्ति होती है, तो क्या उस होटल का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है?	29
3.2.11.3	क्या होटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है?	29
3.2.11.4	सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग की जिम्मेदारी किन पर है?	29
3.2.11.5	नोटिस दे कर वेश्यालयों को बंद या खाली कराना	29
3.2.11.6	नोटिस दिए बिना वेश्यालयों को बंद या खाली कराना	30
3..2.11.7	वेश्यालय को बंद या खाली कराने के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती	31
3.2.11.8	बाल (6 वर्ष से कम) और नाबालिग (18 वर्ष से कम) के सीएसई के विरुद्ध विशेष प्रावधान	31
3.2.12	सजायाफ्ता व्यक्तियों की निगरानी	31
3.2.13	सजायाफ्ता व्यक्तियों को इलाका-बदर करना	31
3.2.14	कार्यवाही की अंतिमता और तीव्रगति न्यायतंत्र	32
3.2.15	राज्य सरकार के विशेष पुलिस अधिकारी	32
3.2.16	अगर किसी जिले में पुलिस अधिकारियों की कमी हो, तो ट्रैफिकिंग से जूझने के लिए क्या इस समस्या का कोई निदान है?	32
3.2.17	क्या महिला पुलिस अधिकारियों का होना जरूरी है?	33
3.2.18	क्या भारत सरकार आइटीपीए के तहत विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है?	33
3.2.19	सीबीआई को जाँच कैसे सौंपें	33
3.2.20	कानून लागू करने और न्याय प्रदान करने में एनजीओं की भूमिका	34
	■ सलाहकार परिषद	34
	■ सर्च के दौरान पुलिस के साथ रहना	34
	■ मुक्त कराए गए/हटाए गए व्यक्तियों से इंटरव्यू करना	35
	■ मुक्त कराए गए व्यक्तियों का होम वेरिफिकेशन	35
	■ पुनर्वास के बारे में मजिस्ट्रेट को सलाह देना	35
3.2.21	सर्च और मुक्त कराने में क्या कोई गवाह पुलिस को सहयोग देने से मना कर सकता है?	35
3.2.22	मुक्त कराए गए व्यक्तियों का होम वेरिफिकेशन कैसे किया जाए?	35
3.2.23	मुकदमेबाजी के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों और एनजीओ संस्थाओं की सुरक्षा	36

4.	**पुलिस का फर्ज : क्या करें, क्या न करें**	37
4.1	मुक्त कराना : क्या करें, क्या न करें	37
4.2	मुक्त कराने के बाद : क्या करें, क्या न करें	40
4.2.1	क्या किसी बालिग व्यक्ति को हिफाजती हिरासत में लिया जा सकता है?	41
4.3	थाने में अपराध दर्ज करना : क्या करें, क्या न करें	41
4.4	ट्रैफिकिंग अपराधों की जाँच : क्या करें, क्या न करें	42
4.4.1	मुख्य बातें	42

1 4 2	अपराध स्थल की जाँच : क्या करें, क्या न करे।	42
4 4 3	अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी, क्या करें, क्या न करे	43
4 4 4	अभियुक्तों की गिरफ्तारी : आइटीपिए के कानूनी प्रावधान	46
4 4 5	उत्पीड़ित व्यक्तियों को पहूँचाई गई क्षति का आकलन	46
4 4 6	शोषणकर्ताओं के मुनाफे का आकलन	47
4 4 7	उत्पपीड़ित व्यक्तियों से इंटरव्यू : क्या करें, क्या न करे।	48
4 4 8	उत्पपीड़ित व्यक्तियों की मेंडिकल देखभाल : क्या करें, क्या न करे।	50
4 4 9	उत्पपीड़ित व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक देखभाल : क्या करें, क्या न करे।	50
4 4 10	उग्राका सत्यापन (वेरिफिकेशन)	51
4 4 11	ट्रैफिकिंग के संगठित अपराध की तफश्तीश	52
5	ट्रैफिकिंग के मुकदमे : क्या करे, क्या न करें	54
5 1	ट्रायल को जल्दी पूरा करना	54
5 2	ट्रायल के दौरान उत्पीड़ित और गवाहों की देखभाल और सुरक्षा । क्या करे, क्या न करें	55
5 3	उतपीड़ित गवाह की सुरक्षा की व्यवस्थाएँ	57
5 4	ट्रैफिकिंग के निवारण में प्रॉसिक्यूटर की भूमिका	60
6	शोध ओर संदर्भ	61
7	कानून प्रवर्तन में एनजीओं कोसंबद्ध करना	62
7 1	कैसे शुरू करें	62
7 2	मुक्त कराने के बाद एनजीओ की भूमिका	62
7 3	ट्रायल में एनजीओ की भूमिका	63
8	ट्रैफिकिंग की रोकथाम : क्या करें, क्या न करें	66
	■ एकान्वित कार्रवाई	66
	■ माँग पक्ष से निपटना	67
	■ उत्पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा और देखभाल	67
	■ री–ट्रैफिकिंग की रोकथाम	67
	■ जोखिमग्रस्त व्यक्तियों क्षेत्रों की ओर ध्यान देना	68
	■ अन्य सरकारी एजेंसियों से नेटवर्किंग	69
	■ नागरिक समाज के सदस्यों से नेटवर्किंग	69
	■ लापता व्यक्तियों का मुद्दा	69
	■ सीआरपीसी की निवारक धारोओं का उपयोग	70
	■ हेल्पलाई	70
	■ थानों का सुदृढ़ीकरण	70
	■ स्थानीय सरकारों को शामिल करें	70
	■ आँकड़ा कोश	71
	■ मानव ट्रैफिकिंग विरोधी एकक एएचटीयू)	71
9	आसूचना संग्रह ओर उसका प्रसार	72
10	मीडिया से संपर्क : क्या करें, क्या न करें	75
	परिशिष्ट : कानून के तत्व ओर संभावित साक्ष्य : चेकलिस्ट	78
	परिशिष्ट : श्रेष्ठ उदाहरणों के कुछ मॉडल	84
	शब्दावली	88

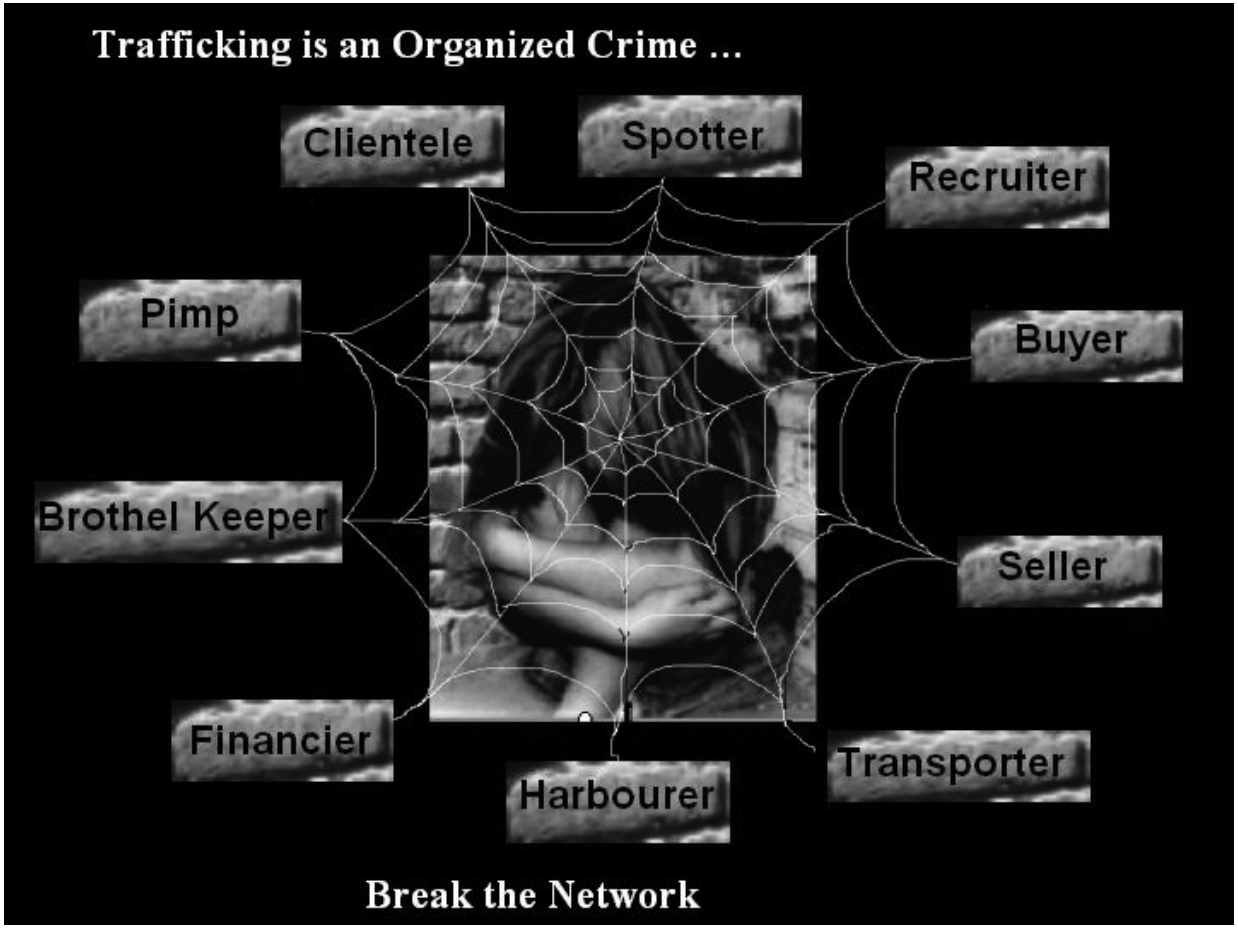
Trafficking is an Organized Crime ...
Clientele
Spotter
Recruiter
Pimp
Buyer
Brothel Keeper
Seller
Financier
Transporter
Harbourer
Break the Network

1
अवधारणाओं का स्पष्टीकरण

इस अध्याय में ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ ऐसी अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिन्हें अकसर सही ढंग से नहीं समझा जाता है, जिसके चलते उन्हें विकृत रूप में पेश किया जाता है। ट्रैफिकिंग की स्थितियों की उचित समझ और उपयुक्त कार्रवाई के लिए इन अवधारणाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है।

1.1 ट्रैफिकिंग बनाम वेश्यावृत्ति

ट्रैफिकिंग का अर्थ वेश्यावृत्ति नहीं है। ये एक-दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। ट्रैफिकिंग को समझने के लिए जरूरी है कि इसे वेश्यावृत्ति से अलग करके देखा जाए। मौजूदा कानून इम्मॉरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 (आइटीपीए) के अनुसार, वेश्यावृत्ति उस स्थिति में अपराध बन जाती है जब किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण होता हो। जब किसी स्त्री या बच्चे का यौन शोषण होता है और कोई व्यक्ति इसका लाभ उठाता है, तब इसे यौन शोषण का व्यापार (कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन) यानी सीएसई कहेंगे। यह कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है तथा शोषण में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनता है। ट्रैफिकिंग वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को सीएसई के लिए नियुक्त, अनुबंधित, उपलब्ध अथवा किराए पर हासिल किया जाता है। इस प्रकार ट्रैफिकिंग एक प्रक्रिया है और सीएसई उसका परिणाम। सीएसई के लिए मौजूद बाजार ट्रैफिकिंग को जन्म देता है, उसे बढ़ावा देता है और उसकी निरंतरता को बनाए रखता है। यह एक दुश्चक्र है। ट्रैफिकिंग अन्य गैरकानूनी कामों का माध्यम भी हो सकती है, जैसे अश्लील सामग्री तैयार करना, यौन पर्यटन को प्रोत्साहन, बार में शराब परोसने, मसाज पार्लर आदि के आवरण में यौन शोषण अथवा शोषणमूलक श्रम, जहाँ यौन दुरुपयोग की स्थिति हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।

आइटीपीए में सिर्फ यौन शोषण के व्यापार के लिए की जानेवाली ट्रैफिकिंग का हवाला दिया गया है। जरूरी नहीं कि यह गतिविधि किसी वेश्यालय में ही हो; यह किसी भी जगह हो सकती है, जैसे रिहायशी मकान में, गाड़ी में या अन्य स्थानों पर। अतः आइटीपीए के तहत काम कर रहे पुलिस अधिकारी को उन सभी स्थितियों में कदम उठाने का अधिकार है जहाँ ट्रैफिकिंग किसी भी रूप में, जिसमें मसाज पार्लर, बार में शराब परोसना, 'टूरिस्ट सर्किट', 'एस्कॉर्ट सेवाएँ', 'फ्रेंडशिप क्लब' आदि शामिल हैं, सीएसई का कारण बनती है या ऐसा होने की आशंका हो।

1.2 'ट्रैफिकिंग' की परिभाषा

ट्रैफिकिंग की परिभाषा आइटीपीए की विभिन्न धाराओं में दी गई है। धारा 5 वेश्यावृत्ति के लिए किसी

व्यक्ति को हासिल करने, ग्रहण करने, यहाँ तक कि उसे इसके लिए प्रेरित करने की भी चर्चा करती है। इस धारा के अनुसार वेश्यावृत्ति कराने के लिए किसी व्यक्ति को हासिल करने का प्रयत्न, ग्रहण करने का प्रयत्न या उसके वेश्यावृत्ति करने का कारण बनना भी ट्रैफिकिंग के दायरे में आता है। इस तरह 'ट्रैफिकिंग' को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है।

ट्रैफिकिंग की एक विस्तृत परिभाषा गोआ चिल्ड्रेन्स एक्ट, 2003 में उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिनियम बच्चों की ट्रैफिकिंग से संबंधित है, पर इसमें दी गई परिभाषा काफी व्यापक है। धारा 2 (जेड) के तहत 'बच्चों की ट्रैफिकिंग' का अर्थ है : *'सीमा के भीतर या उसके बाहर, कानूनी या गैरकानूनी तरीके से, बल प्रयोग की धमकी, या बल प्रयोग या दबाव डालने के अन्य माध्यमों से, अपहरण से, फ्रॉड से, धोखे में रख कर, ताकत का अथवा व्यक्तियों की कमजोर स्थिति का दुरुपयोग कर या उन पर नियंत्रण रखनेवाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए धन या अन्य लाभ दे कर या प्राप्त कर, मौद्रिक लाभ की खातिर या किसी अन्य उद्देश्य से व्यक्तियों को हासिल करना, नियुक्त करना, परिवहित करना, स्थानांतरित करना, स्थान देना या प्राप्त करना'*।

ट्रैफिकिंग के अपराध में मूलतः निम्नलिखित चीजें शामिल हैं :

- **किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से विस्थापित कर दूसरे क्षेत्र में ले जाना।** विस्थापन एक मकान से दूसरे मकान में, एक गाँव से दूसरे गाँव में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में अथवा एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। यहाँ तक कि एक ही मकान के भीतर भी विस्थापन संभव है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। कल्पना करें कि जो व्यक्ति वेश्यालय का संचालन कर रहा है, उसके कब्जे में कई युवा स्त्रियाँ हैं और उनमें से एक स्त्री की जवान होती बेटी है जो उसके साथ ही रहती है। अगर वेश्यालय संचालक दबाव डाल कर या पैसे दे कर माँ को इसके लिए राजी कर लेता है कि उसकी बेटी का इस्तेमाल सीएसइ के लिए किया जा सकता है, तो कहा जाएगा कि उस लड़की को 'माँ के क्षेत्र' से निकाल कर 'वेश्यालय के क्षेत्र' में ले आया गया है। ट्रैफिकिंग कायम करने के लिए महज इतना विस्थापन ही काफी है।

- **ट्रैफिक किए गए व्यक्ति का शोषण।** आइटीपीए और अन्य संबंधित कानूनों का दायरा ट्रैफिक किए गए व्यक्ति के यौन शोषण तक सीमित है। शोषण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष हो सकती है, जैसे कि किसी वेश्यालय में, या अप्रत्यक्ष, जैसे कि कुछ मसाज पार्लरों, डांस बारों इत्यादि में, जहाँ कानूनी रूप से मान्य आर्थिक गतिविधि के परदे में इसे अंजाम दिया जाता है।

- **शोषण का व्यापारीकरण और उसके शिकार व्यक्ति को क्रय-विक्रय की वस्तु बना देना।** ट्रैफिकिंग के शिकार का शोषण इस तरह किया जाता है जैसे वह क्रय-विक्रय की कोई वस्तु हो (*अगले अध्याय में अपराधों की विस्तृत सूची देखें*)। शोषण करनेवाले लोग शोषण की इस गतिवधि से पैसा कमाते हैं। यह भी हो सकता है कि वे इस आमदनी का कुछ हिस्सा शिकार को भी देते हों। आमदनी का कुछ हिस्सा पानेवाली को अकसर सहयोगी बता कर गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और उसे सजा भी दी जाती है। ट्रैफिकिंग की शिकार के साथ, जिसकी निकल भागने की तो छोड़िए, सोचने की आजादी

तक शोषकों द्वारा नियंत्रित की जाती है, इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया जाना चाहिए मानो वह अपराध में सहयोगी हो। उसे 'आमदनी' का एक हिस्सा मिलता भी है, तो यह तथ्य अपनी जगह बना रहता है कि सीएसइ के लिए उसकी ट्रैफिकिंग की गई है और ट्रैफिकिंग के शिकार के रूप में उसकी स्थिति बदल नहीं जाती।

1.3 ट्रैफिकिंग : एक संगठित अपराध

मनुष्यों की ट्रैफिकिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें अनेक अपराध शामिल हैं। यह अपराधों का टोकरा है। इस टोकरे से इन अपराधों के तत्व खोज निकाले जा सकते हैं : व्यपकरण (एबडक्शन), अपहरण (किडनैपिंग), गैरकानूनी ढंग से रोक कर रखना, गैरकानूनी ढंग से अवरुद्ध करना, आपराधिक ढंग से डराना, चोट पहुँचाना, घोर चोट पहुँचाना, यौन हमला, लज्जा-भंग, बलात्कार, प्रकृति-विरुद्ध अपराध, मनुष्यों की खरीद-बिक्री, दास बना कर रखना, आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरित करना (अबेटमेंट) इत्यादि। इसलिए विभिन्न स्थानों और समयों पर किए गए कई प्रकार के दुरुपयोग और दुरुपयोगकर्ता मिल कर ट्रैफिकिंग के संगठित अपराध का निर्माण करते हैं। मानव अधिकारों के कई उल्लंघन, जैसे प्राइवेसी को भंग करना, न्याय से वंचित करना, न्याय तक पहुँच से वंचित करना, मौलिक अधिकारों तथा प्रतिष्ठा का हनन इत्यादि शोषण के अन्य हिस्से हैं। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है।

1.4 ट्रैफिकिंग का शिकार व्यक्ति

आइटीपीए (खासकर धारा 5) तथा संबंधित कानूनों के संदर्भ में, ट्रैफिक किया हुआ व्यक्ति **किसी भी उम्र का ऐसा पुरुष या स्त्री** हो सकता है, जिसे सीएसई के लिए वेश्यालय या किसी ऐसे स्थान पर लाया गया हो जहाँ सीएसई होता है। आइटीपीए के अनुसार किसी व्यक्ति को ट्रैफिक करने का प्रयत्न भी दंडनीय है। **अतएव किसी व्यक्ति की भौतिक रूप से ट्रैफिकिंग होने के पहले ही इस कानून का लागू होना शुरू हो जाता है।**

1.5 बाल

बाल वह व्यक्ति है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। कोई भी बाल, जिसकी ट्रैफिकिंग होने की आशंका है, द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 के तहत ऐसा व्यक्ति है, जिसे 'देखभाल और संरक्षण' की जरूरत है। कानून का प्रवर्तन करनेवाली एजेंसियों का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वे ऐसे बालक-बालिकाओं को आजाद कराएँ, उन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश करें और उनकी पूरी देखभाल करें।

1.6 ट्रैफिकिंग का शिकार बालिग व्यक्ति

बालिग व्यक्तियों के मामले में, मात्र इस बात से कि उनकी सहमति थी, उनकी ट्रैफिकिंग हुई है, इस बात की संभावना खत्म नहीं हो जाती। यदि सहमति उसे विवश कर अथवा बल प्रयोग द्वारा, डरा कर अथवा किसी अन्य दबाव के तहत प्राप्त की गई थी, तो इस सहमति का कोई अर्थ नहीं है और इसलिए ऐसे तमाम मामले ट्रैफिकिंग के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, कोई बालिग औरत किसी वेश्यालय से

'आग्रह करने' (सॉलिसिटिंग) के आरोप में 'उठाई गई' हो, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि वह आग्रह करने की दोषी है, जब तक उसकी *आपराधिक इच्छा* (यानी, इरादे) की जाँच के बाद साबित नहीं हो जाती। **सीएसई के इरादे से ट्रैफिक की गई स्त्री उसका शिकार है, अभियुक्त नहीं।**

1.7 ट्रैफिककर्ता और अन्य शोषक

ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है। सामान्यतः इस अपराध की प्रक्रिया कई स्थानों से गुजरती है, जहाँ अनेक व्यक्ति इसमें शामिल रहते हैं : (क) वह स्थान जहाँ उत्पीड़ित व्यक्ति को 'हासिल' किया गया है, (ख) वे स्थान जिनसे हो कर उसे ले जाया जाता है और (ग) वे स्थान जहाँ उसका शोषण होता है। अतएव **शोषकों की सूची में आनेवाले व्यक्तियों में ये भी शामिल हैं :**

- **वेश्यालय का संचालक :** तथा वेश्यालय में अथवा शोषण के वास्तविक स्थान पर अन्य शोषक। इस वर्ग में इन सभी को शामिल किया जाता है :
  - वेश्यालय की मासी (मादाम) अथवा 'डांस बार' या 'मसाज पार्लर' या किसी अन्य स्थान, जहाँ शोषण होता है, का इंचार्ज।
  - ऐसे स्थानों के 'मैनेजर' तथा अन्य सभी सहभागी।
  - जहाँ शोषण होता है, उस होटल के मालिक, इंचार्ज हैं इत्यादि। इस श्रेणी में इन्हें भी शामिल किया जाता है—वेश्यालय के रूप में व्यवहृत स्थानों/वाहनों का धंधा करनेवाले (आइटीपीए, धारा 3(1), वे व्यक्ति जो किसी स्थान को वेश्यालय के रूप में प्रयुक्त करने की अनुमति देते हैं (आइटीपीए, धारा 3(2), वे व्यक्ति जो शोषण के शिकार को वेश्यालयों में या शोषण के अन्य स्थानों में कैद रखते हैं (आइटीपीए, धारा 6) और वे व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने देते हैं (आइटीपीए धारा 7(2))।
- **ग्राहक :** ग्राहक, जो ट्रैफिक की गई स्त्री का दुरुपयोग करता है, निश्चित रूप से शोषक है। यह वही व्यक्ति है जो 'माँग' यानी बाजार और सीएसइ के अस्तित्व को कायम रखता है। प्रत्येक ग्राहक आइटीपीए एवं अन्य कानूनों के तहत दंडनीय है। (*ब्यौरे के लिए देखें अनुच्छेद 3.2.3*)।
- **पैसा लगानेवाले :** वे सभी, जो ट्रैफिकिंग में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं, इस जाल के हिस्से हैं। इस वर्ग में इन सभी को शामिल किया जा सकता है, जो उत्पीड़ित व्यक्तियों को हासिल करने, ले जाने, ठहराने और स्थान देने में पैसा लगाते हैं, और वे भी जो वेश्यालयों में रुपया उधार देने या लेने का काम करते हैं।
- **दुष्प्रेरक :** वे सभी, जो शोषण या ट्रैफिकिंग में शामिल किसी भी प्रक्रिया के दुष्प्रेरक या उसमें सहायक हैं, आइटीपीए (आइटीपीए की धाराएँ 3,4,5,6,7,9—भारतीय दंड संहिता के अध्याय पाँच 'अपराधों का दुष्प्रेरण' के साथ मिला कर पठनीय) के तहत दंडनीय हैं।
- **जो सीएसई की आमदनी पर गुजारा करते हैं :** वह व्यक्ति जो, जानते हुए, वेश्यावृत्ति की कमाई पर पूर्णतः या अंशतः गुजारा करता है, दंडनीय है (धारा 4, आइटीपीए)। इस वर्ग में वे सभी

व्यक्ति शामिल हैं जो शोषण से प्राप्त किए जानेवाले गैरकानूनी फायदों में हिस्सेदार हैं। वे पैसों का धंधा करनेवाले व्यापारी भी, जो वेश्यालयों (या होटलों) से पैसे की उगाही करते हैं या वहाँ उधारी पर पैसा लगाते हैं और इस लेन-देन पर आधारित धंधा करते हैं, इस धारा के तहत दंडनीय है। जो होटल संचालक लड़कियों के शोषण से कमाई करता है, वह असंदिग्ध रूप से आइटीपीए की धारा 4 के दायरे में आता है।

- पहचान करनेवाला, नियुक्त करनेवाला, बेचनेवाला, खरीदनेवाला, ठेकेदार, एजेंट या इनमें से किसी की भी ओर से काम करनेवाला।
- परिवहनकर्ता, आश्रय देनेवाला तथा शरण देनेवाला - ये सभी रैकेट के अंग हैं।
- **सभी षड्यंत्रकारी :** ट्रैफिकिंग की लगभग सभी स्थितियों में शोषण की प्रक्रिया अनेक चरणों में पूरी होती है तथा प्रत्येक चरण में अनेक व्यक्ति षड्यंत्र के हिस्सेदार होते हैं। इस तरह आपराधिक षड्यंत्र का केस बनता है। जब आपसी रजामंदी के आधार पर कोई गैरकानूनी कार्य किया जाता है, तो वह आपराधिक षड्यंत्र (भारतीय दंड संहिता, धारा 120बी) के तहत है। आइटीपीए के अनुसार, वे सभी व्यक्ति, जो किसी स्थान का उपयोग वेश्यालय के रूप में होने देने के लिए षड्यंत्र करते हैं या जो शोषण से होनेवाली कमाई पर—आंशिक रूप से भी—गुजारा करते हैं (धारा 4) या जो किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए हासिल या दुष्प्रेरित या ग्रहण करते हैं (धारा 5), षड्यंत्रकारी की श्रेणी में आते हैं।

इस प्रकार शोषकों और दुरुपयोगकर्ताओं की सूची अपरिहार्यतः लंबी और लचीली है और जरूरी नहीं कि इस सूची के सदस्य हमेशा प्रथम दृष्टि में ही दिखाई पड़ जाए। प्रोफेशनल जाँच से ही अलग-अलग दिखानेवाली चीजों के बीच मौजूद अंतर्संबंधों को प्रकाश में लाया जा सकता है और सभी संबंधित व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है।

2
ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन तथा अन्य अपराध

ट्रैफिकिंग को आम तौर पर वेश्यावृत्ति का पर्याय मान लिया जाता है। फलस्वरूप ट्रैफिकिंग की समस्या की गंभीरता की पूरी समझ दिखाई नहीं पड़ती। अतः यहाँ ट्रैफिकिंग के शिकार के विरुद्ध विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, उसके अधिकारों का जो उल्लंघन होता है और उसे जिस-जिस तरह क्षति पहुँचाई जाती है, इसकी सूची पेश की जा रही है। ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति के साथ सावधानी तथा संवेदना के साथ बातचीत की जाए, तभी इन उल्लंघनों का एहसास हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को खुल कर अपनी बात कहने का मौका दिया जाए तथा इसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो उसकी अनसुनी कहानी उसके साथ हुई ज्यादतियों की एक लंबी फेहरिस्त पेश करेगी। आम तौर पर, ट्रैफिकिंग की शिकार किसी बालिका के साथ जो अपराध होते हैं, उन्हें **भारतीय दंड संहिता** की अनेक धाराओं में रखा जा सकता है। जैसे,

- उसे अपने सामाजिक दायरे से जबरन निकाला गया है, जो उसका अपहरण/व्यपहरण (किडनैपिंग/एबडक्शन) करने के बराबर है (इन मामलों में आइपीसी की धाराएँ 361, 362, 365, 366 लागू की जा सकती हैं)
- उसे गैरकानूनी ढंग से उपापित (प्रोक्योर) किया गया है (आइपीसी, धारा 366ए)
- उसे किसी के द्वारा बेचा गया है (आइपीसी, धारा 372)
- उसे किसी के द्वारा खरीदा गया है (आइपीसी, धारा 373)
- उसे किसी अन्य देश से लाया गया है (यदि वह किसी अन्य देश की अथवा जम्मू और कश्मीर राज्य की है और उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो आइपीसी, धारा 366बी)
- उसे गैरकानूनी ढंग से अवरुद्ध किया गया है (आइपीसी, धारा 340)
- उसे गैरकानूनी ढंग से निरुद्ध किया गया है
- उसे शारीरिक चोट पहुँचाई गई है (आइपीसी, धारा 327, 329)
- उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है (आइपीसी, धारा 350)
- उसे मानसिक रूप से परेशान या प्रताड़ित किया गया है या मानसिक चोट पहुँचाई गई है (आइपीसी, धारा 351)
- उसे इस तरीके से डराया गया है जो अपराध की कोटि में आता है (आइपीसी, धारा 506)

- उसका लज्जा-भंग किया गया है
- उसके साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार या बार-बार बलात्कार हुआ है (आइपीसी, धारा 375)
- उसका विकृति के दायरे में आनेवाला यौन शोषण हुआ है (प्रकृति-विरुद्ध अपराध) (आइपीसी, धारा 377)
- उसकी मानहानि की गई है (आइपीसी, धारा 499)
- उससे जबरन गैरकानूनी श्रम कराया गया है (आइपीसी, धारा 374)
- उसे आपराधिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है (आइपीसी, धारा 120)

यह सूची सिर्फ उदाहरण देने के लिए है। इसे संपूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। यह संदेहरहित है कि ट्रैफिकिंग के प्रत्येक मामले में उत्पीड़िता के विरुद्ध ऊपर दी गई सूची में से कम से कम एक या एक से अधिक अपराध किया जाता है। इस कारण नतीजे में वह अकसर शिकार गर्भवती हो जाती है, क्योंकि उसके साथ असुरक्षित संभोग किया गया होता है। यदि उसका गर्भपात कराया गया है, तो यह अपराध आइपीसी की धारा 312 से धारा 318 के तहत आता है। कुछ मामलों में, उसे पहुँचाई गई चोट के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अथवा उससे पैदा होनेवाली समस्याओं के परिणामस्वरूप उत्पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में मानव वध (हॉमिसाइड)/हत्या/मर्डर का अपराध भी बनता है।

आइटीपीए के तहत विचारित अपराध यौन शोषण का व्यापार (सीएसई) के दायरे में आते हैं। संक्षेप में इन अपराधों की सूची इस प्रकार है :

- **वेश्यालय चलाना या उसका प्रबंध करना** (अथवा वेश्यालय चलाने या उसका प्रबंध करने में सहायता करना) अथवा **किसी स्थान का उपयोग वेश्यालय के रूप में करने देना** (इसमें वाहन भी शामिल हैं) — आइटीपीए, धारा 3
- **वेश्यावृत्ति की कमाई पर गुजर करना (आंशिक रूप से भी)** — आइटीपीए, धारा 4
- **वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्तियों को उपलब्ध (प्रोक्योर) करना, उन्हें प्रेरित करना, उनको लेना अथवा उनकी ट्रैफिकिंग करना** (आइटीपीए, धारा 5), उपलब्ध करने या लेने का **प्रयत्न** भी अपराध की श्रेणी में आता है।
- **किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर** (वेश्यालय या किसी भी अन्य स्थान पर) **रोक कर रखना**, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है — आइटीपीए, धारा 6
- कोई भी व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) **जो सार्वजनिक स्थानों के आसपास वेश्यावृत्ति करता है या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है** (इसमें होटल, वाहन आदि शामिल हैं) — आइटीपीए, धारा 7
- किसी भी **सार्वजनिक स्थान** पर अथवा जहाँ से सार्वजनिक स्थान दिखाई देता है, ऐसे स्थान पर लोगों को वेश्यागमन के लिए प्रलुब्ध अथवा आग्रह करना — आइटीपीए, धारा 9
- हिरासत में बंद व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) को प्रलुब्ध करना (इसमें हिरासत में बंद महिला या पुरुष

को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रलुब्ध कराना या इसमें मदद करना भी शामिल है) — आइटीपीए, धारा 9

जुवेनाइल जस्टिस (केअर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 (जेजे एक्ट, 2000) में भी दंड देने के प्रावधान हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका किसी बाल (बालक या बालिका) पर नियंत्रण है, जो उस बाल पर हमला करता है, उसका परित्याग कर देता है, उसे अरक्षित छोड़ देता है या जान-बूझ कर उसके साथ लापरवाही बरतता है अथवा हमला करने, परित्याग कर देने या अरक्षित छोड़ देने के लिए उसे उपलब्ध (प्रोक्योर) करता है, जिससे उस बाल को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुँचे, वह जेजे एक्ट की धारा 23 के तहत दंडनीय है।

ट्रैफिक किए गए व्यक्ति के **मानव अधिकारों का उल्लंघन** कई तरह से होता है। इस सूची में निम्नलिखित अपराध शामिल हैं :

- जीने के अधिकार से वंचित करना (गुलाम की तरह बना कर रखना)
- सुरक्षा के अधिकार से वंचित करना
- प्रतिष्ठा से वंचित करना
- न्याय तथा शिकायतों के निपटान तक पहुँच के अधिकार से वंचित करना
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच से वंचित रखना
- आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करना (उदाहरण के लिए, जब उत्पीड़िता की दुबारा ट्रैफिकिंग हो)
- अपने समुदाय में लौटने के अधिकार से वंचित करना
- दुहरी मार (उदाहरण के लिए, ट्रैफिक कर सीमा के पार लाए जा रही उत्पीड़िता को कभी-कभी इस बात के लिए सजा दी जाती है कि उसके पास पासपोर्ट, वीजा आदि कागजात नहीं हैं और इसके साथ ही उसे 'आग्रह' (सॉलिसिटिंग) करने के लिए भी दंडित किया जाता है
- अपना मामला पेश करने के अधिकार से वंचित करना
- उसके बारे में फैसला होने से पहले उसे अपनी बात पेश करने के अधिकार से वंचित करना

अधिकारों के उल्लंघन की सूची लंबी है और संविधान/संलेखों/समझौतों के प्रावधानों के आधार पर इस सूची का विस्तार किया जा सकता है।

किस कानून का प्रयोग करें और कब

आइटीपीए एक विशेष विषय से संबंधित कानून है और ट्रैफिकिंग से तथा उसके परिणामस्वरूप होनेवाले शोषण से जुड़े हुए मुद्दों पर उसके प्रावधान विस्तृत, कठोर तथा असरदार हैं। साथ ही,

आइटीपीए के प्रावधानों का प्रयोग आइपीसी इत्यादि के साथ करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी को किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र उस मामले में लागू होनेवाले सभी कानूनों की गंभीरतर धाराओं के तहत दाखिल करना चाहिए। आइटीपीए के प्रावधानों का प्रयोग आइपीसी, जेजे एक्ट तथा जिस मामले की जाँच की जा रही है, उसके तथ्यों के विशेष संदर्भ में लागू होनेवाले अन्य कानूनों के प्रावधानों के साथ करने से न हिचकें। कानून की ठीक-ठीक धाराओं को लागू करने के मामले में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ट्रैफिकिंग की शिकार स्त्री को आइटीपीए की धारा 8 अथवा किसी भी कानून की किसी धारा के तहत प्रताड़ित न करें। जब जाँच से यह स्पष्ट हो जाए कि उसकी जानकारी और सहमति के विरुद्ध उसका यौन शोषण हुआ है, तो आरोप पत्र सभी शोषणकर्ताओं के विरुद्ध सिर्फ आइटीपीए के तहत नहीं, बल्कि आइपीसी की ऐसी धाराओं के तहत भी करें, जिनका संबंध यौन हमले से है (धारा 376, 377 इत्यादि)। लालच दे कर, छल से, डरा कर, बल प्रयोग के द्वारा, मजबूर कर, ताकत इत्यादि से हासिल की गई 'सहमति' कानूनी नजरिए से सहमति नहीं है। इसके अलावा, यदि ट्रैफिकिंग या यौन शोषण की शिकार बालिका है, तो उसकी सहमति होने पर भी मुकम्मल अपराध बनता है।

3
आइटीपीए की खूबियाँ और उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे किया जाए

आइटीपीए एक विस्तृत कानून है। यह कानून ट्रैफिकिंग रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कानून को लागू करानेवाली तथा न्याय दिलानेवाली एजेंसियों को पूरे अधिकार और ताकत देता है। यह कानून 1956 में बनाया गया था। उसके बाद भारत की संसद ने इसे दो बार संशोधित किया - पहली बार 1978 में और दूसरी बार 1986 में। इन संशोधनों में ट्रैफिकिंग को रोकने पर जोर दिया गया है। यह बात दूसरे देशों में बनाए गए कानूनों में आम तौर पर नहीं मिलती। बहरहाल, कई वजहों से इस विशेष कानून की धाराओं का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन धाराओं का अकसर गलत उपयोग तथा दुरुपयोग होता है। रिसर्च से पता चलता है कि इसका मुख्य कारण है, इन धाराओं की जानकारी न होना और इन धाराओं में जो बातें कही गई हैं, उनके बारे में समझ की कमी। नीचे जो चेकलिस्ट दी जा रही है, वह कानून का पालन करानेवाली एजेंसियों और इस समस्या से जूझ रहे अन्य व्यक्तियों के लिए गाइड बुक का काम कर सकती है। इससे उन सवालों का जवाब मिल जाएगा जो अकसर पूछे जाते हैं (या, अकसर नहीं पूछे जाते) और जिन पहलुओं की ओर अकसर ध्यान नहीं दिया जाता, उन पहलुओं की ओर ध्यान जाएगा।

3.1 ट्रैफिकिंग के मामलों में किन कानूनों का उपयोग किया जा सकता है

ट्रैफिकिंग के मामलों में जिन कानूनों का उपयोग किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं :

- इम्मॉरल ट्रैफिक (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1956 (आइटीपीए)
- जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 (जेजे एक्ट, 2000)
- गोआ चिल्ड्रेंस एक्ट, 2003 (सिर्फ गोआ राज्य में लागू)
- इंडियन पीनल कोड, 1860 (आइपीसी) (इस अधिनियम की कौन-कौन-सी धाराएँ लागू हो सकती हैं, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है)
- प्रॉसिज्योर से संबंधित कानून (क्रिमिनल प्रॉसिज्योर कोड अर्थात सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इत्यादि)
- सीआरपीसी की वे धाराएँ, जिनका संबंध अपराध को रोकने यानी उसे न होने देने से है
- इस सिलसिले में लागू हो सकनेवाले अन्य, कानून (जैसे, ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) का शोषण अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता है और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा इंटरनेट के जरिए इस सामग्री को प्रसारित किया जाता है) तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

एक्ट, 2000 (यानी, आइटी एक्ट की धारा 67) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.2 आइटीपीए की अंतर्निहित खूबियाँ

3.2.1 सामान्य प्रावधान

- यह कानून पुरुषों और स्त्रियों की ट्रैफिकिंग पर लागू होता है।
- किसी भी व्यक्ति का व्यापारिक यौन शोषण अपराध है। उस व्यक्ति की उम्र चाहे जो भी हो और वह पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
- यह कानून स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों को खास तवज्जो देता है।
- इस कानून में खास तौर से बताया गया है कि ट्रैफिकिंग की चुनौती का सामना करने में गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। शायद कोई और उदाहरण नहीं है, जहाँ मानव ट्रैफिकिंग विरोधी कानून को लागू करने में गैरसरकारी संगठनों को अधिकार दिए गए हैं।
- इस कानून का जोर ट्रैफिकिंग की समस्या से निजात पाने पर है, न कि वेश्यावृत्ति को रोकने पर, जैसा कि आम तौर पर मान लिया जाता है।
- यह कानून न्यायिक मजिस्ट्रेटों और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को भी निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है।
- यह कानून तलाशी लेने (सर्च), छुड़ाने आदि में हिस्सा ले रहे पुलिस अधिकारियों, गैरकानूनी संगठनों आदि को उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक या सिविल कार्यवाही से विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

3.2.2 आइटीपीए के तहत परिभाषित अपराध

- **धारा 3, आइटीपीए** : वेश्यालय चलाना या उसका इंतजाम देखना (या, वेश्यालय चलाने अथवा उसका इंतजाम देखने में मदद करना या किसी स्थान का (इसमें वाहन भी शामिल है) इस्तेमाल वेश्यालय की तरह होने देना या इसके लिए अनुमति देना।
- **धारा 4, आइटीपीए :** वेश्यावृत्ति की कमाई पर गुजर करना (पूर्णतः अथवा अंशतः)।
- **धारा 5, आइटीपीए :** वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों (स्त्री या पुरुष) को हासिल (प्रोक्योर) करना, लालच देना, उनकी ट्रैफिकिंग करना अथवा उन्हें लेना। हासिल करने या लेने का **प्रयास** भी इस धारा के तहत अपराध में आता है।
- **धारा 6, आइटीपीए :** किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर (वेश्यालय या किसी अन्य स्थान पर) रोक कर रखना, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती हो।
- **धारा 7, आइटीपीए :** किसी सार्वजनिक स्थान (इसमें होटल, वाहन आदि शामिल हैं) के

आसपास जो कोई व्यक्ति (व्यक्ति या पुरुष) वेश्यावृत्ति करता है या वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है।

- **धारा 8, आइटीपीए :** किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा ऐसे स्थान पर जो किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ता हो, लोगों को वेश्यागमन के लिए लालच देना (सेड्यूस करना) अथवा इसके लिए आग्रह (सॉलिसिट) करना।
- **धारा 9, आइटीपीए :** जो व्यक्ति हिरासत में हो, उसे वेश्यावृत्ति के लिए लालच देना (इसमें हिरासत में रह रहे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए लालच दिलवाना या इसमें सहायता करना भी शामिल है)।

3.2.3 क्या ग्राहक पर भी केस बनता है

हाँ, ग्राहक पर भी केस बनता है। पहले तो उस पर आइटीपीए की धारा 5(1) और धारा 7(1) के तहत केस कायम करना चाहिए। यह वह व्यक्ति है जो अन्य व्यक्ति द्वारा वेश्यावृत्ति करने का **कारण बनता है** या **उसे इसके लिए प्रेरित करता है**, अतः वह धारा 5(1)(डी) के तहत दंडनीय है (*चेरियन बनाम केरल, 1973, सीआरएल.एल.जे./839,* इसके अलावा, यह वह व्यक्ति है **'जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है'** और वह धारा 7(1) के तहत दंडनीय है। इसके अलावा, आइटीपीए की धारा 7 की उपधारा 1ए में साफ-साफ बताया गया है कि यदि 'वेश्यावृत्ति' का अपराध किसी बाल या नाबालिग के साथ किया गया है, तो **यह अपराध करनेवाला** (इसमें ग्राहक भी शामिल है) ज्यादा कड़े दंड और जुर्माने का भागी है और उसे कम से कम 7 वर्ष की सजा मिलेगी।

आइटीपीए के इन प्रावधानों के अलावा, वह उत्पीड़िता के अधिकारों के सभी उल्लंघनों का **दुष्प्रेरक** (अबेटर) है, इसलिए उस पर आइपीसी की धारा 114 के तहत मामला बनता है। यदि उत्पीड़ित व्यक्ति **बालक या बालिका** है, तो 'ग्राहक' पर लगाए गए आरोपों में **बलात्कार** (धारा 376, आइपीसी) भी जोड़ देना चाहिए। यदि उत्पीड़ित व्यक्ति **बालिग** है, तब आइपीसी की धारा 376 लागू होगी, यदि यह साबित किया जा सके कि उत्पीड़िता की रजामंदी में **जानकारी या स्वेच्छा** शामिल नहीं थी। इसके अलावा, उत्पीड़िता के साथ **प्रकृति-विरुद्ध** (परवर्स) **यौन क्रियाएँ** आइपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय हैं।

3.2.4 ट्रैफिककर्ताओं की कानूनी दंडनीयता (लाइबिलिटी)

आइटीपीए की धारा 5 के तहत, ट्रैफिकिंग तो दंडनीय है ही, इसकी **कोशिश भी** दंडनीय है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति की रजामंदी थी। **ट्रैफिकिंग** के कई **तरीके** हो सकते हैं, जैसे प्रोक्योर करना या प्रोक्योर करने की कोशिश करना, प्रेरित करना, ले जाना, ले जाने की कोशिश करना, किसी व्यक्ति को ले जाए जाने का कारण बनना, किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यावृत्ति करने का कारण बनना अथवा उसे फुसलाना इत्यादि।

यदि ट्रैफिकिंग का अपराध उत्पीड़िता की रजामंदी के खिलाफ किया गया है, तो अपराधी ज्यादा कड़ी सजा पाने के काबिल है। यदि ट्रैफिक किए गए व्यक्ति की उम्र 12 साल से कम है यानी वह बालक या बालिका है, तो इसके लिए कम से कम 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है।

मामले से जुड़े हुए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ट्रैफिकर्ता आइटीपीए की धारा 4, धारा 6 और धारा 9 के तहत भी अपराधी हैं। इसके अलावा, दुष्प्रेरक (अबेटर) और/अथवा षड्यंत्रकारी होने के नाते उन पर आइपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है (इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है)।

3.2.5 पुलिस और अदालतों का क्षेत्राधिकार (जूरिसडिक्शन)

ट्रैफिकिंग का मामला किस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए? ऐसे केसों में सुनवाई करने का अधिकार किस अदालत को है? ट्रैफिकिंग एक 'श्रृंखलाबद्ध अपराध' है, अतः इनमें से किसी भी स्थान पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है (आईटीपीए की धारा 5(3) के प्रावधान देखें) :

- वह स्थान, जहाँ से ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति को हासिल (प्रोक्योर) किया गया है, जहाँ से जाने के लिए उसे प्रेरित किया गया है, जहाँ से उसे ले जाया गया है अथवा जहाँ से जाने के लिए उसे मजबूर किया गया है, जहाँ से उसे हासिल करने (प्रोक्योर) या ले जाने की कोशिश की गई है। **इसका मतलब है वह स्थान, जहाँ से ट्रैफिकिंग की शुरुआत हुई।**

- वह स्थान, जहाँ जाने के लिए ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) को दुष्प्रेरित किया गया है अथवा जहाँ उसे ले जाया गया है या ले जाने के लिए मजबूर किया गया है या जहाँ ले जाने की कोशिश की गई है। **यानी वह स्थान, जहाँ ट्रैफिक किए गए व्यक्ति को ले जाया जाता है अथवा उसका शोषण होता है और पारगमन के वे बिंदु, जहाँ शोषण जारी रहता है।**

चूँकि अदालत के क्षेत्राधिकार (जूरिसडिक्शन) में ये तीनों स्थान आते हैं - जहाँ से ट्रैफिकिंग की शुरुआत हुई, जहाँ-जहाँ उत्पीड़िता को ले जाया गया और जहाँ उसे पहुँचाया गया, अतः इन सभी स्थानों के पुलिस स्टेशनों का भी क्षेत्राधिकार बन जाता है। इस संदर्भ में, 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची इस प्रकार है :

- ट्रैफिकिंग के किसी मामले में, ट्रैफिकिंग के प्रारंभ (सोर्स) बिंदु, पारगमन (ट्रांजिट) बिंदु और लक्ष्य (डेस्टिनेशन) बिंदु पर स्थित पुलिस एजेंसियों का फर्ज और जिम्मेदारी है कि वे अपने पुलिस स्टेशनों में एफआइआर दर्ज करें।

- प्रारंभ बिंदु और लक्ष्य बिंदु दोनों ही स्थानों पर एफआइआर दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है — अगर पहले स्थान (सोर्स) पर सिर्फ ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज किया जाता है और दूसरे स्थान (डेस्टिनेशन) पर सिर्फ यौन शोषण का मामला दर्ज होता है। वैसे, सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि दोनों में से किसी एक ही स्थान पर एफआइआर दर्ज की जाए और प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक हुए सभी अपराधों को जाँच के दायरे में लाया जाए।

- अगर प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु, दोनों ही स्थानों पर एफआइआर दर्ज की जाती है, तो जब और जैसे ही इसका सबूत मिल जाए कि दोनों के बीच कोई कड़ी काम कर रही है, तो दोनों स्थानों पर हो रही जाँच को एक साथ मिला देना चाहिए। इसके बाद, पुलिस दोनों में से किसी भी एक स्थान पर अदालत में चार्ज रिपोर्ट फाइल कर सकती है और इसके साथ ही दूसरे स्थान पर की जा रही जाँच को बंद कर सकती है, ताकि दुहरी मेहनत या दुहरे संकट के कानून से बचा जा सके।

- चूँकि ट्रैफिकिंग की कोशिश भी आइटीपी की धारा 5(3) के तहत अपराध है, इससे कानून को

लागू करनेवाली एजेंसियों को बहुत मजबूत हथियार मिल जाता है जिसका इस्तेमाल कर वे ट्रैफिकिंग करनेवालों के साथ-साथ ट्रैफिकिंग के लिए उकसानेवालों, इसमें सहायता करनेवालों और इसकी साजिश करनेवालों, सभी को सजा दिलवा सकती हैं।

दुहरे संकट का कानून उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब कथित अपराधों पर कार्रवाई अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग धाराओं के तहत की जा रही हो, भले ही वे अपराध एक ही कड़ी के अंग हों। उदाहरण के लिए, यदि एक जगह ट्रैफिकिंग के लिए आइटीपीए की धारा 5 के तहत एफआइआर दर्ज की गई है और दूसरी जगह आइटीपीए की धारा 7, आईपीसी की धारा 376 इत्यादि के तहत यौन शोषण के लिए एफआइआर दर्ज की गई है, और दोनों का ताल्लुक एक ही अपराध से है, तो यह कानूनी रूप से कहीं से भी गलत नहीं है।

3.2.6 पूर्वानुमान का सिद्धांत ट्रैफिकिंग को रोकने और उससे लड़ने के लिए एक सशक्त औजार है।

आइटीपीए इस तथ्य के माध्यम से कि पूर्वानुमान के निर्दिष्ट प्रावधान प्रमाणित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की मानी जाती है, कानून को लागू कराने वाली एजेंसियों को काफी शक्ति प्रदान करता है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं :

- धारा 3 में वेश्यालय चलाने अथवा किसी स्थान का वेश्यालय की तरह इस्तेमाल होने देने के लिए सजा की व्यवस्था है। धारा 3(2ए) में कहा गया है कि **यह माना जाएगा** कि संबंधित व्यक्ति (उस स्थान का मालिक, किराएदार, जिसने उस स्थान को लीज पर लिया है या वह स्थान जिसके चार्ज में है) को उपर्युक्त बात की जानकारी है, अगर :
  - किसी स्थानीय अखबार में यह रिपोर्ट छपी हो कि खोजबीन के दौरान पाया गया कि उस स्थान का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए हो रहा है।
  - सर्च लिस्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को दी गई है।
- यदि यह साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति क, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, किसी अन्य व्यक्ति ख के आने-जाने को नियंत्रित या प्रभावित करता है — इस तरह से कि क वेश्यावृत्ति करने में ख की सहायता कर रहा है या इसके लिए उसे मजबूर कर रहा है, तो **यह माना जाएगा** कि क ख की वेश्यावृत्ति की कमाई पर, जानते-समझते हुए, गुजर कर रहा है। ऐसा व्यक्ति आइटीपीए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
- अगर कोई व्यक्ति वेश्यालय में किसी बालक या बालिका के साथ पाया जाता है, तो **यह माना जाएगा** कि उस व्यक्ति ने उस बालक या बालिका को सीएसई के लिए रोक रखा है। ऐसा व्यक्ति आइटीपीए की धारा 6(2) के तहत दंडनीय है।
- यदि मेडिकल जाँच से यह साबित हो जाए कि किसी वेश्यालय में जिस बालक या बालिका को रोक कर रखा गया है, उसके साथ यौन कुचेष्टा हुई थी, तो **यह माना जाएगा** कि उसे सीएसई के लिए रोका हुआ था और उसका यौन शोषण किया गया है। यह कानूनी अनुमान उसे रोक कर रखनेवाले के खिलाफ एक असरदार औजार है।

- आइटीपीए की धारा 6(3) के अनुसार, **यह माना जाएगा** कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री या (किसी भी उम्र की) लड़की को वेश्यालय में या किसी भी स्थान पर सीएसई के लिए रोक कर रखा था, अगर उस व्यक्ति ने उस स्त्री या लड़की की कोई चीज (जैसे गहना, कपड़ा, पैसा इत्यादि) इस इरादे से अपने पास रख रखी हो कि वह वहाँ से भाग न सके। वह व्यक्ति तब भी दोषी माना जाएगा अगर उसने किसी स्त्री या लड़की को धमकाया हो कि वह उस व्यक्ति द्वारा या उसके कहने पर किसी और व्यक्ति द्वारा दी गई अथवा उधार दी गई कोई चीज ले कर भागी, तो उसे मारा-पीटा जाएगा।

3.2.7 बाल और नाबालिगों का सीएसई

बाल (बालक-बालिकाओं) और नाबालिगों के सीएसई को कानून गंभीर अपराध मानता है। ऐसे मामलों में, उस बालक/बालिका या नाबालिग व्यक्ति की सहमति हो या न हो आइटीपीए की धारा 7 के तहत निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं :

- सहमति थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
- बाल (बालक-बालिका) या नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के लिए सजा में बढ़ोतरी
- न्यूनतम सजा : 7 वर्ष का सश्रम कारावास
- जेल के साथ-साथ जुर्माना भी
- यदि किसी बालक/बालिका का यौन शोषण होटल में होता है, तो होटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है (देखें धारा 7(2)(सी) के तहत प्रावधान)।

3.2.8 ट्रैफिकिंग के शिकार को मुक्त कराने का आदेश कौन दे सकता है?

आइटीपीए की धारा 16 में हर ऐसे व्यक्ति को (उसकी उम्र जो भी हो) मुक्त कराने का अधिकार दिया गया है, जिससे किसी वेश्यालय में वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, मुक्त कराया जा सकता है। यह अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट (एमएम या जेएम) और एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (डीएम या एसडीएम), दोनों को है। इसलिए वेश्यावृत्ति के शिकार व्यक्ति को छुड़ाने के आदेश (ऑर्डर) के लिए इनमें से किसी से भी दरख्वास्त की जा सकती है। मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का कारण हो कि कोई व्यक्ति वेश्यालय में वेश्यावृत्ति कर रहा है या उससे वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, तो वह उसे मुक्त कराने का आदेश दे सकता है।

आइटीपीए की धारा 15 विशेष पुलिस अधिकारियों को वारंट के बगैर सर्च करने का और धारा 15(4) के तहत मुक्त कराने का अधिकार देती है। इसके तहत विशेष पुलिस अधिकारियों को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं।

3.2.9 क्या किसी नागरिक को भी (जैसे, कोई एनजीओ) ट्रैफिकिंग के शिकार को मुक्त कराने के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त करने और आदेश माँगने का अधिकार है?

उत्तर है, हाँ। आइटीपीए की धारा 16 के तहत, मजिस्ट्रेट के पास यह मानने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को मुक्त कराने की जरूरत है, तो वह इसके लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को

(जिसका पद एसआई से नीचे न हो) आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट को यह सूचना सरकारी एजेंसियों से मिल सकती है या **किसी भी अन्य स्रोत से**। इस प्रकार इनमें से किसी से भी मजिस्ट्रेट को सूचना मिल सकती है :

- पुलिस
- राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति (जैसे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित (नोटिफाइड) रेस्क्यू ऑफिसर)
- कोई भी एनजीओ
- कोई अन्य स्रोत

3.2.10 अगर नोटिफाइड पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तब भी क्या मुक्त कराना संभव है?

हाँ, संभव है। आइटीपीए की धारा 16 के तहत, मजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस अधिकारी को (उसे आइटीपीए की धारा 13 के तहत नोटिफाइ किया गया हो अथवा नहीं) इसके लिए अधिकृत कर सकता है, बशर्ते वह पुलिस अधिकारी एसआई या इससे ऊँचे पद पर हो।

3.2.11 सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग कैसे रोका जाए?

आइटीपीए की धारा 7 में कानून लागू करानेवाली एजेंसियों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उनका कर्तव्य न केवल सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, बल्कि इस दुरुपयोग को रोकना भी है। इस सिलसिले में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

3.2.11.1 सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं?

आइटीपीए की धारा 7 के अनुसार, 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा में ये सभी स्थान शामिल हैं :

- सरकार द्वारा नोटिफाइड किसी भी क्षेत्र के भीतर आनेवाला स्थान
- सार्वजनिक पूजा, शिक्षा संस्थान, होटल, अस्पताल, नर्सिंग होम या सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य सरकारी अथवा गैरसरकारी स्थान से 200 मीटर की दूरी के दायरे में आनेवाला स्थान
- कोई भी होटल (होटल रिसीट्स टैक्स एक्ट, 198 में होटल की परिभाषा यह दी गई है : ऐसा कोई भी स्थान होटल है, जहाँ निवास की सुविधा व्यवसाय के तौर पर, मुद्रा के एवज में, दी जाती है)
- कोई भी ट्रांसपोर्ट या वाहन, जिसका इस्तेमाल आम जनता कर सकती है।
- 'कोई भी स्थान जो जनसाधारण के इस्तेमाल के लिए आशयित है या जहाँ तक जनसाधारण की पहुँच है' सार्वजनिक स्थान है। 'यह आवश्यक नहीं है कि वह सार्वजनिक संपत्ति हो।' 'यदि वह निजी संपत्ति है, तो इतना काफी है कि वहाँ तक जनसाधारण की पहुँच है।' *(गौरव जैन बनाम भारत सरकार, एआईआर 1997 एससी 2021)*

3.2.11.2 अगर किसी होटल में वेश्यावृत्ति होती है, तो क्या उस होटल का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है?

हाँ। आइटीपीए की धारा 7(2)(सी) के तहत, यदि वह स्थान, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई होटल है, तो उस होटल का लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यह अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसी स्थितियों में होटल का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए पुलिस अधिकारी को संबंधित अदालत (इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सक्षम अदालत है) में दरख्वास्त देनी चाहिए।

3.2.11.3 क्या होटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है?

हाँ। आइटीपीए की धारा 7(2)(सी) के तहत, यदि यह साबित किया जा सकता है कि होटल में वेश्यावृत्ति या सीएसई का शिकार कोई बाल या नाबालिग है (यानी वह व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है), तो होटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त देनी चाहिए।

3.2.11.4 सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग की जिम्मेदारी किन पर है?

आइटीपीए की धारा 7 के तहत, इन व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है :

- ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो वेश्यावृत्ति करता है या करती है
- ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है (जैसे, ग्राहक)
- सार्वजनिक स्थान का संचालन करनेवाला कोई भी व्यक्ति जो यह दुरुपयोग होने देता है
- ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने वह स्थान किराए या लीज पर लिया है, जिसका उस पर कब्जा है या वह स्थान जिसके चार्ज में है (जैसा कि इसके पहले चर्चा की जा चुकी है), जो उस स्थान का या उसके किसी हिस्से का दुरुपयोग होने देता है।
- ऐसी किसी भी स्थान का मालिक, उसे लीज पर देनेवाला या उस जमीन का मालिक या उनका एजेंट, जो उस स्थान का या उसके किसी हिस्से का दुरुपयोग होने देता है या जो स्वेच्छया इस दुरुपयोग में शामिल है

3.2.11.5 नोटिस दे कर वेश्यालयों को बंद या खाली कराना

- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आइटीपीए की धारा 18(1) के तहत, पुलिस, एनजीओ या किसी भी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। पुलिस कमिश्नर या कोई भी अन्य अधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए हैं, कानून की इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकता है।
- सूचना यह मिलनी चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के दायरे में स्थित किसी मकान, कमरे, जगह या उसके एक हिस्से का इस्तेमाल किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यालय के रूप में या किसी व्यक्ति के यौन शोषण के व्यापार (सीएसई) के लिए हो रहा है।

- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (उस मकान, कमरे, जगह या उसके हिस्से के) मालिक, उसे लीज पर देनेवाले या उस जमीन के मालिक या उनके एजेंट को और इसके साथ ही ऐसे मकान, कमरे, जगह या उसके हिस्से के किराएदार, उसे लीज पर लेनेवाले, उस पर कब्जेदार या उसका चार्ज सँभालनेवाले व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।
- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई उपर्युक्त नोटिस यह निर्देश देती है कि नोटिस पाने के 7 दिनों के भीतर कारण बताया जाए कि दुरुपयोग की वजह से उस संपत्ति को जब्त क्यों न कर लिया जाए।
- निर्णय करने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आरोपित व्यक्ति का पक्ष सुनना चाहिए।
- सुनवाई के बाद, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि दुरुपयोग का आरोप सही है, तो वह (क) आदेश जारी करने के 7 दिनों के भीतर कब्जेदार को वहाँ से हटाने का निर्देश दे सकता है और (ख) निर्देश दे सकता है कि अगले एक वर्ष के दौरान (अगर उस स्थान की तलाशी के दौरान वहाँ कोई बालक/बालिका या नाबालिग पाया या पाई गई है, तो यह अवधि 3 वर्ष की होगी) उस स्थान को फिर किराए पर देने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है।
- आइटीपीए की धारा 18(3) के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस आदेश के विरूद्ध न तो अपील की जा सकती है और न उसे स्थगित (स्टे) किया जा सकता है।

  चूँकि वेश्यालय बंद कर दिए जाने से शोषण करनेवालों की 'आय' रुक जाती है और अपील के जरिए उन्हें कोई राहत भी नहीं मिल सकती, अतः यह कानून की एक कठोर धारा है। इसका इस्तेमाल प्रशासक, पुलिस, प्रॉसिक्यूटर और एनजीओ ट्रैफिकिंग को खत्म करने और रोकने के लिए असरदार ढंग से कर सकते हैं।
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

3.2.11.6 नोटिस दिए बिना वेश्यालयों को बंद और खाली कराना

आइटीपीए की धारा 18(2) के अनुसार, किसी व्यक्ति को आइटीपीए की धारा 3 (वेश्यालय चलाना इत्यादि) अथवा धारा 7 (सीएसई के लिए सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग) के तहत सजा देते हुए, अदालत ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिए बगैर वेश्यालय को बंद या खाली कराने का आदेश जारी कर सकती है। अतः आइटीपीए की धारा 3 अथवा धारा 7 के तहत सजा दिए जाने के मामले में पुलिस/प्रॉसिक्यूटर को आइटीपीए की धारा 18 के तहत वेश्यालय को बंद या खाली कराने के आदेश के लिए अदालत में दरख्वास्त देनी चाहिए।

बहरहाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वेश्यालय को खाली कराने का आदेश जिस व्यक्ति से खाली कराया जा रहा है, उसकी दोष-सिद्धि (कन्विक्शन) के बाद का घटनाक्रम है। यह दोष-सिद्धि के पहले नहीं हो सकता। (*ए.सी. अगरवाल तथा अन्य बनाम राम कली, 1968 सीआरआइ.एल.जे. 82*)

3.2.11.7 वेश्यालय को बंद या खाली कराने के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती

आइटीपीए की धारा 18(3) के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आइटीपीए की धारा 18(1) के तहत और सजा देनेवाली अदालत द्वारा धारा आइटीपीए की 18(2) के तहत जारी आदेशों के खिलाफ अपील नहीं जा सकती और न ही कोई सिविल या क्रिमिनल अदालत उन्हें स्थगित या रद्द कर सकती है। इसलिए सक्षम अदालत द्वारा दिए गए आदेश की अंतिमता सीएसई से संघर्ष का बहुत ही शक्तिशाली औजार है।

3.2.11.8 बाल (16 वर्ष से कम) और नाबालिग (18 वर्ष से कम) के सीएसई के विरुद्ध विशेष प्रावधान

किसी बाल या नाबालिग के सीएसई में जो भी शामिल है, उसके लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष का कारावास है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है (आइटीपीए, धारा 7 (1ए)।

- ऐसे व्यक्ति की सजा तय करने के समय कारावास के साथ-साथ जुर्माना लगाना अनिवार्य है।
- अगर दुरुपयोग की घटना किसी होटल में होती है और शिकार बाल या नाबालिग है, तो होटल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। (धारा 7(2) (सी), आइटीपीए)

3.2.12 सजायाफ्ता व्यक्तियों की निगरानी

आइटीपीए की धारा 11 के अनुसार, आइटीपीए अथवा आइपीसी की संबधित धाराओं (धारा 363, 365, 366, 366ए, 366बी, 367, 368, 370, 371, 372 या 373) के तहत जो व्यक्ति पहले सिद्धदोष हो चुका है, उसे आइटीपीए इत्यादि के तहत दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दुबारा सजा दी जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनाए गए नियमों के अनुसार अदालत उसे यह आदेश दे सकती है कि वह रिहा होने के 5 वर्ष तक अपने निवास स्थान में परिवर्तन अथवा वहाँ से अपनी गैरहाजिरी की सूचना देता रहे। यदि राज्य सरकार की ओर से इस तरह के नियम बनाए गए हैं, तो कानून का पालन करानेवाली एजेंसियों के पास यह एक जोरदार हथियार है, जिसकी मदद से सजा-प्राप्त व्यक्ति के आवागमन और उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को घटित होने से रोका जा सके। जिस राज्य में इस तरह के नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ राज्य सरकार से अनुरोध किया जा सकता है कि वह आइटीपीए के तहत इस बारे में विस्तृत कानून बनाए।

3.2.13 सजायाफ्ता व्यक्तियों को इलाका-बदर करना

आइटीपीए की धारा 20 के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह सजायाफ्ता व्यक्ति को इलाका-बदर कर किसी ऐसी जगह भेज दे जो उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में अथवा उस दायरे के बाहर है। यह सजायाफ्ता व्यक्तियों को भविष्य में शोषण करने से रोकने का जबरदस्त हथियार है। कंविक्शन के तुरंत बाद पुलिस को संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन करना चाहिए ताकि वह इलाका-बदर करने की कार्यवाही शुरू कर सके।

3.2.14 कार्यवाही की अंतिमता तथा तीव्रगति न्यायतंत्र

आइटीपीए एक विशेष कानून है, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिससे कानूनी कार्यवाही बहुत दिनों तक न खिंचती रहे। इन प्रावधानों और प्रतिबंधों का इस्तेमाल पुलिस, प्रॉसिक्यूटर और न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा हो और न्याय में विलंब न हो। ये प्रावधान इस प्रकार हैं :

- आइटीपीए की धारा 18 के तहत, मजिस्ट्रेट अथवा कोर्ट द्वारा जारी वेश्यालय को खाली कराने के आदेश के खिलाफ न तो अपील की जा सकती है, न इस आदेश को स्थगित (स्टे) किया जा सकता है।
- आइटीपीए की धारा 17(4) के तहत एहतियाती हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट (एसडीएम, डीएम, एमएम अथवा जेएम) द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील सेशंस कोर्ट में ही की जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। साफ है कि सेशंस कोर्ट से ऊपर अपील नहीं की जा सकती।
- आइटीपीए के तहत आनेवाले अपराधों के ट्रायल के लिए विशेष अदालतों (इनमें एक्सक्लूसिव अदालतें शामिल हैं) का गठन राज्य सरकारें (आइटीपीए की धारा 22ए के तहत) ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार (आइटीपीए की धारा 22ए के तहत) भी कर सकती है।
- समरी ट्रायल : जब भी जरूरी हो, राज्य सरकार (समरी ट्रायल से संबंधित सीआरपीसी की धाराओं 262, 263, 264 और 265 के प्रावधानों के अनुसार) मुकदमों का समरी ट्रायल करने के लिए अदालत को अधिकृत कर सकती है। लेकिन समरी ट्रायल में अधिकतम सजा एक वर्ष की ही हो सकती है। अगर अदालत को लगता है कि सजा की मात्रा इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो मुकदमे को नियमित ट्रायल के लिए लौटाया जा सकता है।

3.2.15 राज्य सरकार का विशेष पुलिस अधिकारी

आइटीपीए की धारा 13(1) के तहत, राज्य सरकार, नोटिफिकेशन जारी कर, एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को, जिनका दर्जा पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) नियुक्त कर सकती है, जिसका अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित होना चाहिए। यह अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक हो सकता है। चूँकि ट्रैफिकिंग के बहुत-से मामलों का संबंध कई जिलों अथवा कई राज्यों से होता है, ऐसे नोटिफिकेशन जारी करते समय अधिकार-क्षेत्र को सीमित न करना ही बेहतर है। एसपीओ का अधिकार क्षेत्र कम से कम 'अपराधी के कार्य-क्षेत्र' तक विस्तृत तो होना ही चाहिए, ताकि एसपीओ की तफतीश किसी विशेष इलाके तक सीमित न रहे। (यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का एंटी-ट्रैफिकिंग एक्ट, 2000 उल्लेखनीय है, जिसमें कानून को लागू करानेवाली एजेंसी का अधिकार क्षेत्र दुनिया के किसी भी कोने तक है, जहाँ अपराध की जाँच करते हुए वह पहुँचता है।)

3.2.16 अगर किसी जिले में पुलिस अधिकारियों की कमी हो, तो ट्रैफिकिंग से जूझने के लिए इस समस्या का कोई निदान है?

हाँ, है। आइटीपीए की धारा 13(2ए) **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट** को अधिकार देती है कि वह किसी **रिटायर**

पुलिस अधिकारी को (रिटायरमेंट के समय उसका दर्जा पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए) **अथवा किसी रिटायर सैनिक अधिकारी को** (रिटायरमेंट के समय उसका दर्जा कमीशंड ऑफिसर से नीचे का नहीं होना चाहिए) एसपीओ नियुक्त कर सकता है। यह अपेक्षित है कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) उपयुक्त रिटायर अधिकारियों की पहचान करे तथा अधिसूचना के लिए डीएम से संपर्क करे। यदि महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो एसपीओ को महिला गैरसरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता लेनी चाहिए।

3.2.17 क्या महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है?

आइटीपीए की धारा 13(3)ए के अनुसार, पर्याप्त संख्या में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी – इन अधिकारियों में, **जहाँ भी व्यावहारिक हो, महिला अधिकारी शामिल होंगी,** राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एसपीओ की सहायता करेंगी। सर्वोत्तम स्थिति यह होगी कि प्रत्येक यूनिट के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारियों में पुरुष और महिला, दोनों होने चाहिए। जहाँ भी इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के दर्जे की महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध हों, उन्हें एसपीओ नियुक्त करना चाहिए। यदि महिला पुलिस अफसर उपलब्ध नहीं है, तो एसपीओ को महिला/सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता लेनी चाहिए।

3.2.18 क्या भारत सरकार आइटीपीए के तहत विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है?

आइटीपीए की धारा 13(3)(4) के तहत, भारत सरकार अधिसूचना के माध्यम से एंटी-ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी (एटीपीओ) नियुक्त कर सकती है। इनका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत होगा। एटीपीओ की नियुक्ति इन अपराधों की तफतीश के लिए की जा सकती है :

- जो अपराध आइटीपीए के तहत आते हैं
- जो अपराध एक से अधिक राज्यों में होनेवाले, व्यक्तियों के यौन शोषण से संबंधित किसी भी कानून के तहत आते हैं। इस प्रकार, नोटिफाइड एटीपीओ न केवल ट्रैफिकिंग से संबंधित अपराधों की, बल्कि इस प्रकार के अन्य अपराधों की भी जाँच कर सकता है, जैसे अश्लील सामग्री तैयार करनेवाले रैकेट, औरतों की 'बिक्री' और 'खरीद' इत्यादि, जिनका दायरा कई राज्यों और कई देशों तक फैला हुआ होता है।

भारत सरकार ने (देखें, नोटिफिकेशन संख्या 2–27/2001-सीपी, तारीख 28 अगस्त 2001, महिला और शिशु कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) **सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन) में पुलिस इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारियों को (एंटी-) ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है।** इन अधिकारियों का अधिकार-क्षेत्र आइटीपीए के तहत आनेवाले अपराधों अथवा एक से अधिक राज्यों में होनेवाले, व्यक्तियों के यौन शोषण से संबंधित किसी भी अन्य कानून के तहत आनेवाले अपराधों की तफतीश के लिए पूरा भारत होगा।

3.2.19 सीबीआई को जाँच कैसे सौंपें

चूँकि सीबीआई के अधिकारों का स्रोत डीएसपीई (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट) एक्ट है और भारत के संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, अतः डीएसपीई की

धारा 6 के तहत अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जानी चाहिए, जिसके द्वारा ऐसे अपराधों की जाँच-पड़ताल के लिए सीबीआई को अधिकृत किया जाए। इसके बाद भारत सरकार डीएसपीई की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करती है, जिसके द्वारा सीबीआई को इस जाँच-पड़ताल के लिए अधिकृत किया जाता है। अतः पिछले पैराग्राफ में उद्धृत, भारत सरकार द्वारा जारी 28 अगस्त 2001 की अधिसूचना के बावजूद, सीबीआई ट्रैफिकिंग से संबंधित किसी अपराध की तफतीश का काम तभी अपने हाथ में लेती है, जब राज्य की पुलिस, उपर्युक्त मामला जिसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता हो, उस केस की फाइल सीबीआई को सौंप दे। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय सीबीआई को ऐसा कोई मामला अपने हाथ में लेने का निर्देश देता है, तो सीबीआई सरकार की अधिसूचना की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, न करेगी। अकसर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश जन हित याचिकाओं (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन - पीआईएल) पर विचार करते समय दिए जाते हैं।

3.2.20 कानून लागू कराने और न्याय प्रदान करने में गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका

आइटीपीए एक सामाजिक कानून है, जिसमें एनजीओ/सीबीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी ये भूमिकाएँ उल्लेखनीय हैं :

- **सलाहकार परिषद :** राज्य सरकार, आइटीपीए की धारा 13(3)(बी) के तहत, अधिसूचना निकाल कर प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं की गैरसरकारी सलाहकार परिषद गठित कर सकती है। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिला कर इन कार्यकर्ताओं की संख्या पाँच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस परिषद को आइटीपीए की कार्यशीलता (वर्किंग) के बारे में आम महत्व के प्रश्नों पर एसपीओ को सलाह देने का अधिकार है। यह परिषद पुलिस को इन मामलों में सलाह दे सकती है और इसके लिए सुविधा प्रदान कर सकती है — (क) मुक्त कराना, (ख) मुक्त कराए गए व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, (ग) उत्पीड़ित व्यक्तियों की ऐसी देखभाल, जो उनके सर्वोत्तम हित में हो, (घ) उत्पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तीकरण तथा पुनर्वास के लिए कदम उठाना, (ङ) ट्रैफिकिंग करनेवालों तथा अन्य शोषकों के खिलाफ कठोर कदम उठाना, (च) ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए कदम उठाना और कार्यान्वित करना और (छ) सभी संबद्ध सरकारी और गैरसरकारी एजेंसियों से नेटवर्किंग करना।

- **सर्च के दौरान पुलिस के साथ रहना :** उत्पीड़ित व्यक्तियों अथवा आरोपित व्यक्तियों के लिए सर्च के समय उपस्थित रहने और सर्च का गवाह बनने के लिए एसपीओ को इलाके के दो या दो से अधिक सम्माननीय व्यक्तियों, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए (आइटीपीए, धारा 15(2) की मौजूदगी का प्रबंध करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में पुलिस द्वारा संपर्क करने के लिए एनजीओ सबसे उपयुक्त संगठन है। आइटीपीए की धारा 15(2) के प्रावधान के तहत पुरुष गवाह उसी इलाके का होना चाहिए, जबकि महिला गवाह किसी भी इलाके की हो सकती है। किसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता को साथ ले कर जाना बेहतर रहेगा। पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उन महिला कार्यकर्ताओं और एनजीओ संस्थाओं की सूची बना कर अपने पास रखनी चाहिए, जिनकी सेवाएँ ऐसी स्थितियों में ली जा सकती हैं। यह धारा गैरसरकारी संगठनों को मुक्त कराने की प्रक्रिया का अंग होने का कानूनी अधिकार देती है।

- **मुक्त कराए गए/हटाए गए व्यक्तियों से इंटरव्यू करना :** आइटीपीए की धारा 15(6ए) के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी महिला से, जो सर्च के दौरान मुक्त कराई या हटाई गई हो (इनमें उत्पीड़ित, संदिग्ध तथा आरोपित, तीनों प्रकार की महिलाएँ शामिल हैं) इंटरव्यू किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा एनजीओ की महिला सदस्य की उपस्थिति में ही कर सकता है। यह धारा गैरसरकारी संगठनों को जाँच प्रक्रिया का अंग बनने का कानूनी अधिकार देती है।

- **मुक्त कराए गए व्यक्तियों का होम वेरिफिकेशन :** आइटीपीए की धारा 17(2) में मजिस्ट्रेट को यह अनिवार्य जिम्मेदारी दी गई है कि वह मुक्त कराए गए व्यक्ति के पुनर्वास पर अंतिम निर्णय लेने के पहले उसका होम वेरिफिकेशन कराए। इस बारे में निर्देश प्रोबेशन अधिकारी (प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 के तहत) को दिया जाना है। मजिस्ट्रेट इस काम के लिए किसी एनजीओ को भी कह सकता है। प्रोबेशन अधिकारी भी, जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, यह काम एनजीओ को सौंप सकता है। यह धारा गैरसरकारी संगठनों को पुनर्वास प्रक्रिया का अंग बनने का कानूनी अधिकार देती है।

- **पुनर्वास के बारे में एनजीओ द्वारा मजिस्ट्रेट को सलाह दिया जाना :** मुक्त कराए गए व्यक्ति के होम वेरिफिकेशन और पुनर्वास के मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट, आइटीपीए की धारा 17(5) के तहत, पाँच सम्माननीय व्यक्तियों के समूह को समन कर सकता है — इनमें से तीन महिलाएँ होनी चाहिए। बेहतर होगा कि मजिस्ट्रेट को ऐसी गैरसरकारी संस्थाओं की सूची दी जाए जो इस क्षेत्र में काम कर रही हों, ताकि उपयुक्त समय पर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके। यह धारा गैरसरकारी संगठनों को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का भी अंग बनने का कानूनी अधिकार और यह सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि यह प्रक्रिया मानव अधिकारों के सिद्धांतों के अनुकूल हो और सभी निर्णय मुक्त कराए गए व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में हों।

3.2.21 सर्च और मुक्त कराने में क्या कोई गवाह पुलिस से सहयोग करने से मना कर सकता है?

आइटीपीए की धारा 15(3) के अनुसार, ऐसा व्यक्ति, जिसे सर्च के दौरान उपस्थित रहने तथा गवाह बनने के लिए लिखित आदेश दिया गया है अथवा इस आदेश की सुपुर्दगी हुई है, बिना किसी उचित कारण के इससे इनकार करता है या इसे नजरअंदाज करता है, उसे आइपीसी की धारा 187 (कानून द्वारा परिबद्ध होने पर भी लोक सेवक की सहायता करने से इनकार) के तहत अपराधी माना जाएगा। यह असंज्ञेय (नॉन-कॉग्निजेबल) और जमानती (बेलेबल) अपराध है, इसके लिए 6 महीने तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

3.2.22 मुक्त कराए गए व्यक्तियों का होम वेरिफिकेशन कैसे किया जाए?

आइटीपीए की धारा 17(2) का अनिवार्य तकाजा है कि मुक्त कराए गए व्यक्ति का होम वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशन में ये बातें शामिल हैं : (क) उसके द्वारा बताई गई उम्र सही है कि नहीं, (ख) उसका चरित्र और इतिहास, (ग) क्या उस व्यक्ति के माता-पिता/अभिभावक/पति उसकी जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं? (घ) अगर वह घर भेज दी जाती है, तो उस पर घर की स्थिति का कैसा प्रभाव पड़ने की संभावना है, (ङ) उसका व्यक्तित्व और (च) आइटीपीए की धारा 17(5) के तहत

उसके पुनर्वास की संभावनाएँ। चूँकि वेरिफिकेशन का काम एनजीओ को सौंपा जा सकता है, अतः कानून का पालन करानेवाले अधिकारियों को चाहिए कि वे उपयुक्त एनजीओ संगठनों के संपर्क में रहें और उनका नाम, पता तथा अन्य तफसीलें मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाएँ। किसी एनजीओ को जिम्मेदारी सौंप दिए जाने के बाद उसे आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में देर न हो। वेरिफिकेशन के काम में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन करनेवाले व्यक्ति/व्यक्तियों को उत्पीड़िता, उसके शुभचिंतकों, मित्रों, माता-पिता, अभिभावकों, पड़ोसियों और उन सभी व्यक्तियों से, जो सूचना दे सकते हैं, विचार-विमर्श करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें अभिभावक ट्रैफिकिंग में खुद शामिल रहे हैं। इसलिए किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है (होम वेरिफिकेशन की तफसील के लिए देखें—पाटकर, 2004)।

3.2.23 मुकदमेबाजी के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों और एनजीओ संस्थानों की सुरक्षा

आइटीपीए की धारा 15(6) में नेकनीयत (बोनाफाइड) काम के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है। जो अधिकृत पुलिस अधिकारी, गवाह और एनजीओ सर्च में भाग लेते हैं, सर्च के मौके पर उपस्थित रहते हैं या उसका गवाह बनते हैं, उनके विरुद्ध सर्च से संबंधित या उस उद्देश्य से किए गए किसी नेकनीयत (बोनाफाइड) काम के लिए किसी प्रकार की मुकदमेबाजी अथवा सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही नहीं हो सकती (आइटीपीए, धारा 15)।

4
पुलिस का फर्ज : क्या करें और क्या न करें

4.1 मुक्त कराना : क्या करें, क्या न करें

- विशेष पुलिस अधिकारी आइटीपीए की धारा 15 के तहत **बिना किसी वारंट के सर्च करने और मुक्त कराने का काम** कर सकता है। इसलिए एसपीओ अपनी पहल पर और तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
- मजिस्ट्रेट (सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के पद के) **किसी भी पुलिस अधिकारी** को किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय मुक्त कराने के लिए आइटीपीए की धारा 16 के तहत अधिकृत कर सकता है। यदि एसपीओ की नियुक्ति नहीं की गई है, तो उपलब्ध पुलिस अधिकारी इस प्रावधान के तहत अपने को ये काम करने का अधिकारी महसूस कर सकता है/सकती है। उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, आदेश प्राप्त करना चाहिए और मुक्त कराने के काम में लग जाना चाहिए।
- मुक्त कराने के काम में किसी भी कीमत पर **देर न करें**। देर का मतलब है न्याय देने में विलंब और शोषण का जारी रहना। आसूचना (इंटेलिजेंस) जमा करें और समय पर कार्रवाई करें।
- मुक्त कराने के लिए सूचना का **स्रोत** कोई भी हो सकता है। इसमें एनजीओ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मजिस्ट्रेट एनजीओ सहित **किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट** का संज्ञान (कॉग्निजेंस) ले सकता है। (आईटीपीए, धारा 16)
- जेएम/एमएम/एसडीएम/डीएम की श्रेणी का **कोई भी व्यक्ति** मजिस्ट्रेट हो सकता है (आइटीपीए, धारा 16)। एक मात्र शर्त यह है कि वह इलाका उसके अधिकार-क्षेत्र में होना चाहिए।
- सर्च/रेस्क्यू पार्टी में दो **महिला पुलिस अधिकारियों** का होना आवश्यक है (धारा 15(6ए)। अतः अपने थाने और पास के थाने के अधिकार क्षेत्र में तथा आसपास रह रही महिला पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार रखें। अगर महिला पुलिस अधिकारियों की कमी हो, तो रिटायर महिला पुलिस अधिकारियों को आइटीपीए की धारा 13(2ए) के तहत एसपीओ नियुक्त कराएँ।
- सर्च के दौरान दो सम्माननीय व्यक्तियों का **गवाह** के बतौर मौजूद रहना आवश्यक है और इनमें से एक महिला होनी चाहिए (आइटीपीए, धारा 15(2)। इसके लिए एनजीओ संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करें। इलाके की एनजीओ संस्थाओं को करना चाहिए या उनमें से किसी एक की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए।

- आइटीपीए की धारा 15(16ए) के अनुसार मुक्त कराए गए व्यक्ति से **इंटरव्यू** सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या एनजीओ की किसी महिला की उपस्थिति में या उनके द्वारा किया जाना चाहिए। थाने में एनजीओ संस्थाओं की सूची बना कर रखें।
- मुक्त कराए गए व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत **पेश किया जाना चाहिए** (आइटीपीए, धारा 16)।
- उत्पीड़ित व्यक्तियों को आरोपित तथा संदिग्ध व्यक्तियों से **अलग रखें**, ताकि ये उत्पीड़ितों को धमका न सकें, न ही उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकें।
- मुक्त कराने की प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद की स्थिति में उत्पीड़ित व्यक्तियों के **अधिकारों की रक्षा** की जानी चाहिए। इसके तहत ये बातें शामिल हैं :

  - मुक्त कराई गई स्त्री को अपनी तमाम चीजें, जैसे कपड़े, पैसे, गहने इत्यादि, अपने साथ ले जाने की **सुविधा प्रदान** करें।
  - यदि मुक्त कराई गई स्त्री के **बच्चे** उसके साथ हों, तो उन्हें उसके साथ ही रहने दें। इस बारे में अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि बच्चे वेश्यालय में ही न छूट जाएँ।
  - अपनी भाषा/मुद्रा/व्यवहार आदि के मामले में **सतर्क** रहें। उनमें गाली-गलौज या धमकी का तत्व नहीं होना चाहिए, न ही उसके द्वारा उत्पीड़ित स्त्री के अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए।
  - उत्पीड़ित स्त्रियों के बारे में **प्रचार** होने से रोकें, ताकि वे गुमनाम ही बनी रहें।
  - जहाँ से उत्पीड़ित स्त्रियों को छुड़ाया गया है, वहीं उनसे **मुख्तसर बातचीत** कर पता लगा लें कि उनकी उम्र क्या है (ताकि जेजे एक्ट का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, इसका निर्णय हो सके) और उनका निजी सामान कहाँ रखा है (ताकि ये चीजें उनके साथ ही ले जाई जा सके)। एक या दो अधिकारियों को खास तौर पर इस काम पर लगा देना चाहिए।
  - उत्पीड़ित स्त्री का **सामान** उचित स्थान और समय पर उसके हवाले कर दिया जाए, इसका खयाल रखें (जैसे उत्पीड़ित के कपड़े वगैरह बरामदगी के तुरंत बाद उन्हें दे दिए जाने चाहिए)।
  - सदमे का असर कम करने के लिए **काउंसिलर** का प्रबंध करें। ऐसे एनजीओ और प्रशिक्षित काउंसिलरों की सूची बना कर रखें जो इस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हों।
  - उत्पीड़िता को **कानूनी सलाह** उपलब्ध कराएँ। ऐसे वकीलों की सूची बना कर रखें जो उत्पीड़ित महिला के लिए काम करने के इच्छुक हों।
  - **मेडिकल सहायता** तुरंत दी जानी चाहिए। मेडिकल सहायता में मानसिक स्वास्थ्य को जरूर शमिल करें। आइटीपीए की धारा 15(5ए) के तहत, मजिस्ट्रेट को ये जानकारियाँ हासिल करने के लिए मेडिकल जाँच का आदेश देना चाहिए -
    - ✓ उम्र का निर्णय
    - ✓ चोट
    - ✓ यौन प्रहार
    - ✓ एसटीडी (संक्रामक यौन रोग)

- **बाल-संबंधित मामले** जेजे एक्ट में आते हैं। इसलिए जब मुक्त कराने का काम चल रहा हो, तब बालक-बालिकाओं को बालिग उत्पीड़ित व्यक्तियों से अलग कर लें और उनके साथ जे.जे. एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश आएँ। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अधिक सावधानी और देखभाल की जरूरत है, अतः उनकी देखभाल जेजे एक्ट के तहत गठित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा होनी चाहिए।

- पुलिस अधिकारियों को पहले से यह पता होना चाहिए कि **रेस्क्यू होम** कहाँ स्थित है। यदि ऐसे केंद्र नहीं हैं और उनकी जरूरत है, तो इस बारे में संबद्ध अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। हाल में अनेक एनजीओ संस्थाओं ने इस तरह के होम स्थापित किए हैं। उनके पते, टेलीफोन नंबर, किस व्यक्ति से संपर्क किया जाए इत्यादि सूचनाओं की सूची बना कर रखें।

- रेस्क्यू का काम जैसे ही पूरा हो, कृपया संबंधित रेस्क्यू होम के अधिकारियों को तुरंत **सूचित करें** कि कितने व्यक्ति वहाँ लाए जा रहे हैं, ताकि वे उनके आगमन की तैयारी करके रखें और अपने को व्यवस्थित कर सकें।

- रेस्क्यू पार्टी के साथ पर्याप्त संख्या में **गाड़ियाँ** होनी चाहिए, ताकि मुक्त कराई गई स्त्रियों को, प्रचार और जनता की निगाहों से बचा कर, जल्द से जल्द ले जाया जा सके। अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों को मुक्त कराए गए व्यक्तियों के साथ कभी नहीं रखा जाना चाहिए।

- वेश्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों सहित समस्त महत्वपूर्ण साक्ष्य की **तलाशी और जब्ती** महत्वपूर्ण काम है। जैसे ही मौका मिले, यह काम पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि किसी के द्वारा, खासकर शोषकों के द्वारा, साक्ष्य नष्ट या गायब न कर दिया जाए।

> 2002 में मुंबई में रेस्क्यू के एक मामले में, रेस्क्यू पार्टी से जो दस्तावेज वेश्यालय में ही छूट गए, उनमें एक रजिस्टर भी था, जिसमें सीएसई के लिए मिले भुगतानों तथा विभिन्न शोषकों, सहायता प्रदान करनेवालों (एबेटर) और षड्यंत्रकारियों को दिए गए भुगतानों के ब्यौरे थे। इस दस्तावेज की जाँच-पड़ताल से ट्रैफिकिंग के जाल का पर्दाफाश किया जा सकता था और सभी अपराधियों को सजा दिलाई जा सकती थी। तफसील के लिए 'ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चिल्ड्रेन' पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 2004 की शोध रिपोर्ट (ओरिएंट लांगमैन द्वारा प्रकाशित, 2005) देखें।

- उत्पीड़ित व्यक्तियों के साथ कैसे पेश आएँ, इस विषय पर पुलिस अधिकारियों का **प्रशिक्षण** बहुत ही जरूरी है, ताकि उन्हें संबद्ध मुद्दों के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया जा सके। इस पुस्तिका की स्थानीय भाषा में अनुवादित प्रति एक उपयुक्त साधन का काम करेगी।

- रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे प्रत्येक अधिकारी की **जवाबदेही** सुनिश्चित करें। ऊपर जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है, उन सभी के बारे में रेस्क्यू के पहले ही उन्हें बता दें और ध्यान रखें कि हर बात का पालन हो। जवाबदेही का एक अहम पहलू है अच्छे काम की तारीफ और गलत काम की आलोचना। जो हुआ और जो नहीं हुआ, दोनों ही इसमें शामिल हैं। सर्च के दौरान की स्थिति और वर्तमान स्थिति को समझने तथा उनका आकलन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित एनजीओ

की सेवाएँ लें, जो निष्पक्षता के साथ यह काम कर सके, ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।

4.2 मुक्त कराने के बाद : क्या करें, क्या न करें

- मुक्त कराए गए व्यक्तियों के निजी विवरण, जैसे उनकी उम्र, मूल निवास, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक इतिहास इत्यादि जानने के लिए और यह निश्चित करने के लिए कि उनका वास्तविक हित किसमें है, उनसे इंटरव्यू करें, ताकि उसके अनुसार कदम उठाए जा सकें। जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया में इंटरव्यू करना इसलिए भी जरूरी है ताकि ट्रैफिकिंग करनेवालों और अन्य शोषणकर्ताओं का पता लगाया जा सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। एनजीओ और प्रशिक्षित काउंसिलर उत्पीड़ित व्यक्ति को सदमे से बाहर लाने और उसकी हिचक दूर करने में उपयोगी हैं, ताकि पुलिस अधिकारी इंटरव्यू को जारी रख सकें। आइटीपीए की धारा 15(6ए) के मुताबिक इंटरव्यू अनिवार्य रूप से किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा महिला एनजीओ कार्यकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिए।
- सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत एक या एक से ज्यादा बयान हो सकते हैं। इसलिए जैसे-जैसे घटनाक्रम खुलता जाए और जब उत्पीड़िता बयान देने की हालत में हो, खासकर काउंसिलिंग के बाद, बयान दर्ज करते जाएँ।
- मुक्त कराए गए व्यक्तियों को (इन्हें आम तौर पर विक्टिम (उत्पीड़ित व्यक्ति) या सरवाइवर कहा जाता है) मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में देर न करें। (आइटीपीए, धारा 7)
- एसपीओ छुड़ाए गए व्यक्ति को किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है - आइटीपीए, धारा 17
- सामयिक तौर पर हिरासत में रखने की अनुमति 10 दिन से ज्यादा समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती। यह अवधि पूरी होने के पहले उत्पीड़ित व्यक्ति को उपयुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। (आइटीपीए, धारा 17)
- छुड़ाए गए बच्चों को जेजे एक्ट के तहत गठित शिशु कल्याण समिति के सामने पेश किया जाना चाहिए।
- जब तक होम वेरिफिकेशन पूरा न हो जाए, उत्पीड़ित व्यक्ति को संबद्ध मजिस्ट्रेट की अनुमति हासिल करने के बाद किसी भी मान्यताप्राप्त पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है।
- होम वेरिफिकेशन प्रोबेशनरी ऑफिसर द्वारा किया जाना चाहिए – वह एनजीओ की सेवाएँ ले सकता है।
- उत्पीड़ित व्यक्ति को जिस पुनर्वास गृह में रखा जाना है, वह स्थान उपयुक्त है या नहीं, इसकी जाँच पहले ही कर लेनी चाहिए।
- होम वेरिफिकेशन के लिए मजिस्ट्रेट पाँच एनजीओ संस्थाओं (तीन महिला एनजीओ कार्यकर्ताओं को मिला कर) की सेवाएँ ले सकता है और फैसला लेने की प्रक्रिया में उनसे विचार-विमर्श भी कर सकता है। (आइटीपीए, धारा 17(5))

- हादसा-ग्रस्त उत्पीड़ित व्यक्तियों की काउंसिलिंग के लिए एनजीओ संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करना आदर्श है। ऐसे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं/एनजीओ संस्थाओं की सूची थाने में रखनी चाहिए जिनकी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। अधिकांश राज्यों में कुछ खास थानों में फैमिली काउंसिलिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में कुछ खास पुलिस स्टेशनों पर उपलब्ध परिवार काउंसिलिंग केंद्रों में प्रशिक्षित काउंसिलर उपलब्ध हैं, जिनकी सेवाएँ ली जा सकती हैं।
- कानूनी काउंसिलिंग के लिए वकीलों/एनजीओ संस्थाओं से नेटवर्किंग अपेक्षित है। इसके लिए इच्छुक वकीलों की सूची थाने में रखनी चाहिए। वकीलों की सूची के लिए बार काउंसिल तथा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से संपर्क करें।
- मुक्त कराने के तुरंत बाद मेडिकल देखभाल (मानसिक स्वास्थ्य सहित) मुहैया करानी चाहिए। जरूरत हो, तो विशेषज्ञों द्वारा देखरेख की व्यवस्था करें। इसके लिए अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ मेडिकल एसोसिएशनों से भी संपर्क किया जा सकता है।
- पुनर्वास से संबंधित कदम उठाने के लिए उपयुक्त एजेंसियों (सरकारी, गैरसरकारी और औद्योगिक निगम) से नेटवर्क करें।

4.2.1 क्या किसी बालिग व्यक्ति को हिफाजती हिरासत में लिया जा सकता है?

उत्तर है, हाँ। आइटीपीए की धारा 17 बच्चों और बालिगों, दोनों पर लागू होती है। अगर जाँच से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को, उसकी उम्र जो भी हो, देखभाल की जरूरत है, तो मजिस्ट्रेट को आइटीपीए की धारा 17(4) के तहत किसी सुरक्षा गृह में उसे हिफाजती हिरासत में रखने के लिए निर्देश देना चाहिए।

4.3 थाने में अपराध (एफआइआर) दर्ज करना : क्या करें, क्या न करें

- एफआइआर दर्ज करने में देर न करें।
- एफआइआर शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित होना चाहिए। पुलिस बयान को न बदल सकती है न उसमें उलटफेर कर सकती है। अगर शिकायतकर्ता उत्पीड़ित महिला स्वयं है, तो वह सदमे में हो सकती है और उन घटनाओं को ठीक-ठाक याद नहीं भी कर सकती जो अपराध की कोटि में आती हैं। पुलिस अफसर उन घटनाओं को याद करने में उसकी मदद कर सकता है। अन्यथा भी, सीआरपीसी की धारा 161 या 164 के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति के बयान में, जो उचित प्रक्रिया में रिकॉर्ड की गई हो, सारी बातें तफसील से आनी चाहिए – वे बातें भी, जो एफआइआर में छूट गई हों।
- शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है। अगर शिकायत लिखाने के लिए कोई सामने नहीं आता, तो पुलिस अधिकारी को खुद शिकायतकर्ता बनना चाहिए।
- थाने के अधिकार क्षेत्र पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि ट्रैफिकिंग एक सतत अपराध है, एफआइआर प्रारंभ या अंत, दोनों में से किसी भी जगह दर्ज की जा सकती है। यह अपराध दोनों जगहों की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आईटीपीए की धारा 5(3) में इसका

खास तौर से प्रावधान है। अगर किसी एक ही मामले में दो या दो से अधिक एफआइआर जुदा-जुदा थानों में दर्ज की गई हों, तो पुलिस अधिकारी आपस में सलाह-मशविरा कर सारा साक्ष्य और केस के दस्तावेज किसी एक थाने में ट्रांसफर कर सकते हैं, जहाँ से भविष्य की कार्रवाई का संचालन होगा।

- एफआइआर की एक प्रति शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जानी चाहिए।
- महिला गवाहों/उत्पीड़ित व्यक्तियों का इंटरव्यू उस स्थान – विशेष पर लिया जाना चाहिए जहाँ वे चाहें। इंटरव्यू के लिए पुलिस को उनके पास जाना चाहिए – न कि उन्हें पुलिस के पास आना चाहिए।
- किसी भी महिला गवाह को सूर्यास्त के बाद थाने में नहीं बुलाना चाहिए।
- उत्पीड़ित व्यक्ति/शिकायतकर्ता का यह अधिकार है कि वे जाँच की प्रगति के बारे में जानें। उनका यह अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए।
- उत्पीड़ित व्यक्ति और उसके शुभचिंतकों तथा उसकी देखरेख करनेवाले एनजीओ से उचित संपर्क बनाए रखें।
- न्याय प्रदान करने की दिशा में एफआइआर पहला दस्तावेज है। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, वह मुख्यतः एफआइआर पर ही निर्भर है। तथ्यों को विकृत कर लिखी गई एफआइआर से, जिसमें उत्पीड़ित व्यक्ति को आरोपित के रूप में दिखाया गया है, उत्पीड़ित व्यक्ति को और अधिक नुकसान होता है। इसलिए उत्पीड़ित व्यक्ति को उत्पीड़ित के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए और यह बात एफआइआर में ही और उससे आगे भी जोर देकर कहने की जरूरत है।
- केसों को आइटीपीए तथा लागू होनेवाले अन्य कानूनों जैसे आइपीसी तथा बांडेड लेबर सिस्टम (एबोलिशन) एक्ट, 1976, चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1986, चिल्ड्रेन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) एक्ट, 1933, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999 इत्यादि विशेष कानूनों की उपयुक्त धाराओं के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।
- ट्रैफिकिंग के सारे केसों को 'गंभीर अपराध' अथवा 'स्पेशल रिपोर्ट क्राइम' (जहाँ जैसी भाषा चलती हो) के रूप में लिया जाना चाहिए और उनकी छानबीन और सुपरविजन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए – खास तौर से उनके द्वारा, जो इसके लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किए गए हैं। इस दिशा में एसपी/डीसीपी द्वारा पहल की जानी चाहिए।
- दुरुपयोगकर्ता और दुरुपयोग के शिकार के बीच के डाइनॉमिक्स को समझने का प्रयास करें। सभी कदम इसी के अनुसार उठाए जाने चाहिए।

4.4 ट्रैफिकिंग अपराधों की जाँच : क्या करें, क्या न करें

4.4.1 मुख्य बातें

- खुफिया सूचनाओं और इंटरव्यू के आधार पर संदिग्ध/आरोपित व्यक्तियों और उत्पीड़ित व्यक्ति के बीच फर्क कीजिए। **उत्पीड़ित व्यक्तियों के साथ संदिग्ध या आरोपित व्यक्ति की तरह सलूक न करें।**

- आरोपित व्यक्ति के अधिकारों का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करना न भूलें कि **उत्पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों** की भी रक्षा की जानी है। इसमें ये बातें शामिल हैं :
  - संदिग्ध और आरोपित व्यक्तियों को उत्पीड़ित व्यक्तियों से **अलग** रखें।
  - उत्पीड़ित व्यक्ति को शब्दों/क्रियाओं/भंगिमा/व्यवहार आदि के जरिए न **धमकाएँ** न उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें।
  - **प्रचार** बिलकुल न होने दें। उत्पीड़ित व्यक्ति का नाम सामने न आए, यह सुनिश्चित करें।
  - उत्पीड़िता का साथ दें। उसे जो क्षति पहुँची है, उसे प्रामाणिक बनाएँ। उसमें यह एहसास पैदा करें कि जो कुछ हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कि वह तो उत्पीड़न का शिकार हुई है, कि उसे चोट पहुँचाई गई है।
  - उत्पीड़ित व्यक्तियों को **अधिकार-संपन्न** बनाएँ। उन्हें उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें, ताकि वे भी इसका ध्यान रखें कि उनके अधिकारों का उल्लंघन न होने पाए।
  - इस ओर ध्यान दें कि उत्पीड़ित व्यक्ति को उसका **सारा सामान, संपत्ति** इत्यादि, बिना देर किए, वापस मिल गया है या नहीं।
  - इस ओर ध्यान दें कि **उत्पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों** को उचित सार-सँभाल मिले। मुक्त कराए जाने के पहले अगर माँ और बच्चे साथ-साथ रह रहे थे, तो उन्हें एक-दूसरे से अलग न किया जाए।
  - उत्पीड़ित व्यक्ति को उसका **सारा बकाया और उचित दावे** मिल जाएँ, इसमें उसकी मदद करें, क्योंकि ज्यादातर वेश्यालय संचालक उत्पीड़ित व्यक्तियों को उनकी आमदनी देना नहीं चाहते।
  - मुक्त कराने के दौरान और बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान उत्पीड़ित व्यक्तियों की शारीरिक **सुरक्षा** का ध्यान रखें।
  - उत्पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल जाँच कराने में देर न करें। जहाँ तक संभव हो, महिला डॉक्टरों अथवा पैरा-मेडिकल स्टाफ की सेवाओं का उपयोग करें। उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ महिला कांस्टेबल रखें। उम्र का वेरिफिकेशन मेडिकल जाँच का अंग है। अगर ऐसा लगे कि मेडिकल जाँच में बदनीयती हुई है – खास तौर से उम्र तय करने के मामले में, तो सक्षम न्यायिक अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर मामले को मेडिकल बोर्ड के लिए रेफर कराएँ।
  - इन सभी गतिविधियों में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं/एनजीओ की सहायता लें। आइटीपीए की धारा 13(3)(बी) के प्रावधान का उपयोग करते हुए इन कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को सलाहकार समिति में नोटिफाइ कराएँ। अगर वे नोटिफाइड नहीं हैं, तब भी पुलिस अपनी गतिविधियों में उन्हें अपने साथ जोड़ सकती है – इस पर कोई रोक नहीं है।

- वेश्यावृत्ति के साथ जुड़े हुए **सामाजिक लांछन** के कारण ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों को 'वेश्या' कह कर उन्हें नीची निगाह से देखने की प्रवृति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति की भर्त्सना की जानी चाहिए तथा इससे स्वयं भी बचना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिकिंग की शिकार महिला न तो अभियुक्त है, न ट्रैफिकिंग में सहयोगी और न उसकी दुष्प्रेरक। उत्पीड़ित व्यक्ति की यह **पहचान कि वह उत्पीड़ित** है, बनाए रखी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया के दौरान इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए उसे तमाम तरह की सुरक्षा दें और पूरी सावधानी बरतें।

- जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए आतंककारी या उसके अधिकारों की अवहेलना करनेवाली नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार इंटरव्यू करने से उत्पीड़ित व्यक्ति को बचाएँ, क्योंकि इससे उसे बार-बार उन्हीं घटनाओं को याद करना होगा और उसी हादसे से गुजरना होगा।

- यदि उत्पीड़ित व्यक्ति का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाना है, तो यथाशीघ्र रिकॉर्ड कर लें, ताकि उसकी घर वापसी अथवा उसे उसके देश वापस भेजने में देर न हो। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत आगे और बयान लेना संभव है, इसलिए इस काम को समाप्त करने की जल्दी न करें, विशेषतः जब उत्पीड़ित व्यक्ति हादसे के आतंक से बाहर न आ पाया हो।

- जाँच-पड़ताल एक ऐसी योजना पर आधारित होना चाहिए जो सहकर्मियों तथा अन्य प्रोफेशनल लोगों से विचार-विमर्श कर तथा उत्पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों को केंद्र में रख कर बनाई गई हो।

- कानून का **वर्गीकरण** तथा अपराध के अलग-अलग पहलुओं की सूची बनाएँ। इसके बाद प्रत्येक पहलू की अंतर्वस्तु (कंटेन्ट) निश्चित करने का प्रयास करें। प्रत्येक पहलू की जाँच-पड़ताल करें, ताकि एक भी पहलू छूट न जाए। एक-एक पहलू के अनुसार गवाही का संयोजन करें, ताकि उसकी प्रस्तुति दमदार और कायल करनेवाली हो। प्रत्येक अपराध के अलग-अलग पहलू होते हैं, यद्यपि सभी अपराधों में कुछ साझा बिंदु भी होते हैं। चेकलिस्ट से मिला कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी पहलू छूट न सके। *(आइटीपीए की दंडात्मक धाराओं के प्रमुख तत्वों और उनके लिए किस तरह की गवाही पेश की जा सकती है, यह परिशिष्ट-1 के तहत चेकलिस्ट में दिया गया है।)*

4.4.2 अपराध स्थल (सीन ऑफ क्राइम) की जाँच : क्या करें, क्या न करें

जाँच अधिकारी को देखना चाहिए कि जाँच में लापरवाही न बरती जाए न वह सतही हो। आम तौर पर अपराध स्थल का अर्थ वेश्यालय का एक कमरा समझा जाता है। यह गलत है। अपराध स्थल का दायरा विस्तृत होता है। इसके दायरे में ये सभी स्थान आते हैं : जहाँ उत्पीड़ित व्यक्ति की ट्रैफिकिंग हुई थी, वे सारी जगहें जहाँ उसे ले जाया गया, रास्ते के पड़ाव बिंदु, अंतिम स्थान, जहाँ उसका शोषण होता था इत्यादि। इसलिए अपराध स्थल में इन सभी स्थानों को शामिल करना चाहिए :

- **प्रारंभ बिंदु** (यानी जहाँ से उत्पीड़िता को उठाया गया)
- **ट्रैफिकिंग का रूट** (इसमें परिवहन के साधन भी शामिल हैं)

- **रास्ते में पड़ाव के बिंदु** (यानी ट्रैफिकिंग के दौरान में जहाँ-जहाँ ठहरा गया)
- वह **स्थान, जहाँ** उत्पीड़िता को अंत में ले जाया गया
- **शोषण के स्थान** (जैसे, वेश्यालय)
- वे सभी **स्थान**, जहाँ यौन शोषण से बनी सामग्री भेजी गई (यानी, सीएसई का इस्तेमाल अश्लील सामग्री के निर्माण के लिए गया गया हो, तो अपराध स्थल में वे जगहें भी शमिल की जाएँगी जहाँ वह अश्लील सामग्री भेजी गई, स्टोर की गई, ट्रांसपोर्ट की गई और जहाँ उसकी खरीद-बिक्री हुई इत्यादि)

  - **ट्रैफिकिंग का नक्शा :** ट्रैफिकिंग के रूट का नक्शा बनाएँ और उसे केस डायरी का हिस्सा बना कर रखें। उसमें दिखाएँ कि ट्रैफिकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वहाँ से उत्पीड़ित व्यक्ति को कहाँ-कहाँ ले जाया गया और उसे यौन शोषण के किन-किन स्थानों पर पहुँचाया गया। इस सबको एक सिलसिले के रूप में चिह्नित करें।

  - **अपराध स्थल के दस्तावेज :** अपराध के विभिन्न स्थलों पर रखे गए रिकॉर्ड की तफतीश करें (यानी, वेश्यालय का वह रजिस्टर, जिसमें आमदनी, खर्च और संबंधित व्यक्तियों के नाम हों। जिनके नाम रजिस्टर में हों, उन शोषणकर्ताओं की भूमिका की जाँच करें और उनके विरुद्ध साक्ष्य का पता लगाएँ। यदि ठीक ढंग से जाँच की जाए, तो इन दस्तावेज का बहुत अधिक महत्व है –सूचनाएँ और गवाही दोनों हासिल करने के लिए।

  - **अपराध स्थल की फोटोग्राफी/वीडियो चित्र :** इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से शोषण के दायरे और गहनता का दृश्यात्मक प्रभाव पैदा होता है। इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ उत्पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना न करें (उदाहरण के लिए, उत्पीड़ित व्यक्ति की पहचान को सामने लाने से बचें)।

4.4.3 अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी : क्या करें, क्या न करें

तफतीश का लक्ष्य यह होना चाहिए कि सभी शोषणकर्ताओं को सजा मिले। उनकी भूमिकाओं में तारतम्य होता है और इसलिए लगातार तफतीश से उनका पारस्परिक संबंध एक के बाद एक खुलेगा और प्रत्येक की भूमिका स्पष्ट होगी। 'संगठित अपराध दृष्टिकोण' से काम लें और अतीत में तथा अन्यत्र अपराधों के अंतःसूत्रों के एक-दूसरे से जुड़ाव की जाँच करें। तफतीश करनेवालों के लिए यह सुनिश्चित करना एक वास्तविक चुनौती होती है कि समूचे साक्ष्य को सामने लाया जाए, चार्ज शीट में उसे शामिल किया जाए और सभी शोषणकर्ताओं को अदालत से सजा दिलाई जाए। कंविक्शन ही प्रोफेशनल तफतीश की सच्ची कसौटी है। इस सिलसिले में क्या करें, क्या न करें की सूची इस प्रकार हैः

शोषणकर्ता कौन हैं, जिनकी जाँच की जानी चाहिए?

- **ट्रैफिककर्त्ता :** (यानी उत्पीड़िता को पेशे में ले आनेवाले, उनके एजेंट, उनके बॉस, वे सभी जिनका दिमाग इस सबके पीछे काम कर रहा है इत्यादि)।

- **परिवहन करनेवाले** (जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं और ठहरने की जगह का इंतजाम करते हैं)
- **षड्यंत्रकारी** (वे सभी जो ट्रैफिकिंग और शोषण के विभिन्न चरणों में योगदान करते हैं)
- **दुष्प्रेरक** (अबेटर) (वे सभी, जो अपनी उपस्थिति, भागीदारी अथवा कुछ करके या करने से बच कर विभिन्न गतिविधियों में दुष्प्रेरक (अबेटर) का काम करते हैं)
- **पैसा लगानेवाले** (वे सभी जो विभिन्न गतिविधियों में पैसा लगाते हैं और जो शोषण के स्थानों पर ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों को उधार के जाल में फँसाए रखने में योगदान करते हैं)
- **दुरुपयोगकर्ता** (ग्राहक, दलाल, वेश्यालय के मैनेजर अथवा मासी (मैडम) इत्यादि और वे सभी जो माँग पैदा करते हैं - खास तौर से वहाँ, जहाँ शोषण होता है)

शोषणकर्ताओं की सूची लंबी है, ये तो उनके कुछ उदाहरण भर हैं। जाँच-पड़ताल से जैसे-जैसे इन व्यक्तियों का संबंध स्पष्ट होता है, बहुत-से अन्य लोग सामने आएँगे। जाँच का काम है केस की गहराई में जाना, उसके सभी पहलुओं पर निगाह डालना और साक्ष्य को खोज निकालना। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करने होंगे :

- **अपराध स्थल का सर्च :** ढूँढ़नेवाली निगाह के लिए अपराध स्थल ढेर सारे साक्ष्य उपलब्ध कराता है। सर्च व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके होना चाहिए। किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अपराध स्थल की पहले से घेराबंदी कर लें। उत्पीड़ित व्यक्तियों से पूछताछ जाँच अधिकारी को अनेक स्थानों तक, खासकर उन स्थानों तक जहाँ ट्रैफिक किए हुए व्यक्तियों को छिपा कर रखा गया है, ले जा सकती है। साक्ष्य जब्त करने, उस पर लेबल लगाने और उसे ले जाने में कस्टोडी की श्रृंखला बनानी चाहिए।
- **संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिकाओं के बीच संबंध कायम करना :** उत्पीड़ित व्यक्ति और अन्य गवाहों के बयान विस्तार से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, ताकि ट्रैफिकिंग और शोषण की पूरी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिकाओं के बीच संबंध कायम किया जा सके। व्यक्ति जो भाषा बोलता है, उसी भाषा में उसका बयान रिकॉर्ड करें। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए जानेवाले आवेगों, भावनाओं और अन्य अभिव्यक्तियों की अनदेखी न करें।
- **संदिग्ध व्यक्तियों की मेडिकल जाँच,** जितनी जल्द संभव हो, की जानी चाहिए। ऐसे अपराध में, जहाँ आरोपित को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया हो, मेडिकल जाँच से शोषण के स्तर का पता चल सकता है। मेडिकल जाँच के बाद अन्य वैज्ञानिक जाँच भी कराई जानी चाहिए, जैसे अपराध स्थल से बरामद की गई सामग्री की फॉरेंसिक जाँच।
- **संदिग्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू :** इंटरव्यू करने से संदिग्ध व्यक्ति की पृष्ठभूमि पहचानने और उसकी शक्ति और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है, जिसका उपयोग जाँच के दौरान अपराध तंत्र के स्वरूप को रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए पूछताछ वैज्ञानिक होनी चाहिए, ताकि अभियुक्त को घटना-क्रम की तफसील में ले जाया जा सके। इंडियन एविडेंस एक्ट (धारा 25) के अनुसार, पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकारोक्ति

(कन्फेशन) अदालत में मान्य नहीं है, अगर उस स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप कोई बरामदगी नहीं होती। इसलिए जाँच अधिकारी को जाँच के दौरान ज्ञात चीजों को **बरामद** करने और **नई चीजों का पता लगाने** का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल, पुलिस अधिकारी के सामने आरोपित द्वारा द्वारा की गई स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) में अनेक ऐसी बातें मिल सकती हैं जिनके सहारे जाँच को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभियुक्त के एलिबाई को और ज्यादा वेरिफाइ करना चाहिए और वह गलत साबित हुआ, तो गवाही में उसका खंडन किया जाना चाहिए। उसका खंडन करनेवाले साक्ष्य को तथा गवाहों के मौखिक बयानों को केस डायरी में शामिल किया जाना चाहिए।

- **संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ** विस्तार से होनी चाहिए, ताकि अन्य संदिग्घ व्यक्तियों की भूमिका, अपराध की मात्रा, अन्य अपराधों में भागीदारी, ट्रैफिकिंग और शोषण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलू, उससे होनेवाली आमदनी, खर्च, बनाई गई संपत्ति, किया गया विनिवेश आदि तथ्य सामने आ सकें। ये सारी बातें रिकॉर्ड में आनी चाहिए, ताकि कंविक्शन होने की स्थिति में इन गैरकानूनी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। इसलिए जाँच अधिकारी को अपराध के सभी पहलुओं (**क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे**) के बारे में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए।

- **अपराधियों की गिरफ्तारी** उपयुक्त समय पर होनी चाहिए। गिरफ्तार करने में उतावली का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे चार्ज शीट फाइल करने के लिए मिलनेवाला समय कम हो जाता है। सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार, यदि गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर (गंभीर अपराधों के मामले में 90 दिनों के भीतर) चार्ज शीट फाइल नहीं होती, तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश मामलों में सीबीआई जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही गिरफ्तारी करती है। यदि गिरफ्तारी के पहले पर्याप्त साक्ष्य जुटाया जा सके और तरतीब से पेश किया जा सके, तो यह अदालत में जमानत का विरोध करने में उपयोगी होगा। बहरहाल, कुछ स्थितियों में (जैसे, गिरफ्तार नहीं किए जाने पर अभियुक्त लापता हो जाएगा और उसका पता नहीं चल सकेगा या वह और अपराध करेगा, उत्पीड़ित व्यक्ति या गवाहों को नुकसान पहुँचाएगा या केस को नुकसान पहुँचाएगा), गिरफ्तार करने में देर नहीं की जानी चाहिए।

आइटीपीए के अंतर्गत, ट्रैफिकिंग का **प्रयत्न** करना भी अपराध है। अतः जाँच अधिकारी के पास **ऐसे व्यक्तियों की लंबी सूची** होती है, जिन्हें ट्रैफिकिंग के आरोप के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे हर व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए और उसे रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए, जो ट्रैफिकिंग के किसी कृत्य में शामिल हो – भले ही आंशिक रूप से या जिसने उसमें योगदान किया हो या जिसकी भूमिका ट्रैफिकिंग की प्रक्रिया की ओर जाता हो। अपराधी का इरादा और उसकी जानकारी, अपराध को कायम करने में दो महत्वपूर्ण तत्व है। अगर किसी व्यक्ति का इरादा न भी हो, पर यह उसकी जानकारी में हो कि उसके काम से ट्रैफिकिंग में मदद मिलती है, तो उसे अपराधी की कोटि में शामिल करने के लिए यह काफी है। अतएव जाँच करनेवालों को सिर्फ जो हुआ और जो नहीं हुआ, ऐसे कामों की ही नहीं, बल्कि इन कामों के पीछे की मानसिकता की भी जाँच करनी चाहिए।

4.4.4 अभियुक्त की गिरफ्तारी : आइटीपीए के कानूनी प्रावधान

- आइटीपीए की धाराओं 3,4,5,6,7,8 और 9 में बताए गए अपराध संज्ञेय (कॉग्निजेबल) हैं। आइटीपीए की उपयुक्त धाराओं तथा आइपीसी एवं लागू हो सकनेवाले अन्य कानूनों का उपयोग करें। कानून की गंभीरतर धाराएँ लगाने से जमानत पर छूटना आसान नहीं होगा। जहाँ भी लागू हो सकते हैं, विशेष कानूनों के प्रावधानों का प्रयोग करें, जैसे बांडेड लेबर सिस्टम (एबोलिशन) एक्ट, 1976, चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1986, चिल्ड्रेन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) एक्ट, 1933, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999, गोआ चिल्ड्रेन्स एक्ट, 2003 इत्यादि।
- नोटिफाइड एसपीओ को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है (आइटीपीए की धारा 14(i))।
- एसपीओ गिरफ्तार करने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश दे सकता है और उसे उसके लिए अधिकृत कर सकता है (आइटीपीए की धारा 14(ii)।
- एसपीओ, अर्जेंट होने पर, किसी भी पुलिस अधिकारी को लिखित स्वीकृति के बगैर भी अधिकृत (आइटीपीए की धारा 14(iii)) कर सकता है, यदि :
  - अभियुक्त के भाग निकलने की आशंका हो
  - अभियुक्त की पहचान संदिग्ध हो
- जिस आधार पर पुलिस अधिकारी को अधिकृत किया गया है, उसे पुलिस दस्तावेजों (जनरल डायरी और केस डायरी) में स्पष्ट तौर पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- गिरफ्तारी के लिए अधिकार पत्र किसी अधिकारी के नाम पर होना चाहिए – अगर नाम का उल्लेख नहीं है, तो अधिकार पत्र मान्य नहीं होगा।
- गिरफ्तार करने का अधिकार पत्र जाँच करने के अधिकार पत्र से अलग है।
- सिर्फ सक्षम और नोटिफाइड अधिकारी ही अपराध की जाँच कर सकता है। तकनीकी गलतियों के कारण अकसर अदालत में केस डिस्चार्ज हो जाते हैं।
- आरोपित की गिरफ्तारी पर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, जैसे वे किसी भी अन्य अपराध पर लागू होते हैं।

4.4.5 उत्पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाई गई क्षति का आकलन

आजकल जाँच के दौरान आम तौर पर इस पहलू की उपेक्षा कर दी जाती है। उत्पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाए गए तमाम तरह के नुकसान और क्षति का आकलन करें और उसे दस्तावेज में दर्ज करें। इसमें ये नुकसान शामिल हैं :

- शारीरिक हमले से लगनेवाली चोट (मार-पीट, सिगरेट से जलाना इत्यादि)
- बलात्कार और अन्य यौन आक्रमणों से लगनेवाली चोट

- शोषण के विभिन्न कृत्यों के परिणामस्वरूप पहुँचनेवाली चोट (जैसे सुरक्षित यौन क्रिया से वंचित कर दिए जाने के कारण गर्भपात)
- मेडिकल देखभाल और सावधानी से वंचित करने से होनेवाली शारीरिक क्षति (जैसे यूटीआई, जो पहले की मामूली चोटों का समय पर इलाज न होने से हो जाता है)
- मेडिकल स्थिति - इसमें एसटीडी, एचआईवी आदि शामिल हैं (एचआइवी परीक्षण के लिए उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है)
- न केवल शोषण और धमकियों से तथा प्राइवेसी और गरिमा के नकार से, बल्कि अपनी, अपने बच्चों की उपेक्षा और बच्चों के दुरुपयोग से होनेवाली मनोवैज्ञानिक क्षति (व्यक्ति को दी गई मानसिक यंत्रणा, सदमा, तनाव इत्यादि)
- उत्पीड़ित व्यक्ति के बच्चों को, खासकर उन बच्चों को जो उनके साथ रह रहे हैं, पहुँचाई गई शारीरिक और मानसिक चोट।

क्षति का आकलन डॉक्टरों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, मनश्चिकित्सकों और मनो-सामाजिक विशेषज्ञों की मदद से प्रोफेशनल स्तर पर किया जा सकता है। उत्पीड़ित व्यक्ति के अपने अनुभव तथा उसके साथ संबद्ध एनजीओ, काउंसिलरों आदि के अवलोकन भी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें ठीक तरह से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और केस के दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए। भाषा में तोड़-मरोड़ न करें। उत्पीड़ित व्यक्ति की अपनी भाषा में ही उसका बयान रिकॉर्ड करें। उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रकट किए जानेवाले संवेगों, भावनाओं आदि की उपेक्षा न करें। इन सबको दर्ज करें। जहाँ तक उत्पीड़ित बच्चों का सवाल है, वे घटनाओं को जिस तरह बयान करें, उन्हें उसी तरह रिकॉर्ड करें – न उसकी भाषा बदलें, न विषयवस्तु।

4.4.6 शोषणकर्ता के मुनाफे का आकलन

यह जाँच कार्य का एक और पहलू है, जिसकी आम तौर पर उपेक्षा की जाती है। ट्रैफिकिंग के केसों में, शोषणकर्ताओं को आर्थिक तथा अन्य प्रकार के फायदे होते हैं, जबकि उत्पीड़ित व्यक्ति का नुकसान और शोषण जारी रहता है। इसके अलावा, लड़की की उम्र जितनी कम होती है, उसका उतना ही ज्यादा शोषण होता है और परिणामस्वरूप शोषणकर्ता को उतनी ही ज्यादा 'आमदनी' होती है। एनएचआरसी के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि ट्रैफिककर्ताओं और अन्य शोषणकर्ताओं ने बिना किसी लागत के या बहुत मामूली लागत से हैरतअंगेज रूप से भारी मुनाफा कमाया है। इसलिए इन संपत्तियों का आकलन करना और ट्रैफिकिंग को रोकना तथा उसका मुकाबला करना जरूरी है। इस सिलसिले में 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची इस प्रकार है :

- ट्रैफिकिंग से संबंधित तमाम संपत्तियों, आमदनियों, मुनाफों और खर्चों की जाँच करें और उन्हें रिकॉर्ड में शामिल करें।
- 'अपराध से हुए मुनाफे' का ट्रैफिकिंग के अपराध से संबंध स्थापित करने के लिए दस्तावेजी और मौखिक गवाही का उपयोग करें (उदाहरण के लिए, ट्रैफिकिंग करनेवालों की चल-अचल

संपत्ति, उनकी ऐयाशी-भरी जीवन शैली और खर्चों की जाँच करें)।

- सावधानी के साथ इंटरव्यू के जरिए इन पहलुओं के बारे में ट्रैफिकिंग के शिकार उत्पीड़ित व्यक्तियों, उनके अभिभावकों/पालितों से खुफिया सूचनाएँ संग्रहीत करें।
- मुनाफे, धन जमा करने के स्थानों, धन/संपत्तियों का इस्तेमाल इत्यादि के ब्यौरों का पता लगाने के लिए अभियुक्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों के साथ लगातार पूछताछ करें।
- अन्य शोषणकर्ताओं तथा मुनाफेबाजों से के संबंध को उजागर करने के लिए ट्रैफिककर्ताओं की ट्रैफिकिंग करनेवालों की संपत्तियों और मुनाफों की जाँच करें। इससे शोषण की गंभीरता और मात्रा पर प्रकाश पड़ेगा।
- इस दिशा में की गई जाँच के ब्यौरे केस डायरी में दर्ज किए जाने चाहिए और ट्रायल के दौरान अदालत का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, ताकि सजा होने पर इस सारी संपत्ति को जब्त करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी जा सके।

4.4.7 उत्पीड़ित व्यक्तियों से इंटरव्यू : क्या करें, क्या न करें

- उत्पीड़ित महिलाओं से इंटरव्यू महिला पुलिस अधिकारी को करना चाहिए। यदि महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं हो, तो इंटरव्यू की प्रक्रिया में महिला एनजीओ कार्यकर्ता या काउंसिलर को शामिल करें।
- यह सुनिश्चित करें कि आरोपित/संदिग्ध अपराधी आसपास मौजूद न हों।
- इंटरव्यू उस स्थान पर करें, जहाँ उत्पीड़ित सुविधा का अनुभव करती हो। यह स्थान उसकी पसंद का होना चाहिए।
- माहौल को बच्चों के साथ दोस्ताना बनाए रखें, अगर उत्पीड़ित बालक या बालिका है।
- ऐसे व्यक्ति को संबद्ध करें जिसकी उपस्थिति में उत्पीड़िता आश्वस्त अनुभव करती हो। इस मौके पर बच्चों की प्रोफेशनल देखभाल करनेवाला व्यक्ति, परामर्शदाता आदि उपयुक्त रहेंगे।
- इंटरव्यू को बहुत सारे दर्शकों, हस्तक्षेपों और शोरगुल से मुक्त रखें।
- जब भी जरूरत हो, मनश्चिकित्सकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करें।
- बेहद जरूरी न हो, तो बार-बार इंटरव्यू करने से बचें। वरिष्ठ अधिकारियों और सुपरवाइज करनेवाले अधिकारियों को चाहिए कि वे जाँच अधिकारी द्वारा किए जा रहे इंटरव्यू में हिस्सेदारी करें। बार-बार इंटरव्यू करने से इसलिए बचना चाहिए कि उत्पीड़ित व्यक्ति को उस हादसे से बार-बार न गुजरना पड़े।
- हादसे से मुक्त होने में उत्पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, ताकि वह घटनाओं को ठीक-ठीक, तार्किक ढंग से और पूरी तरह याद कर सके।
- उत्पीड़िता का साथ दें। उसे जो क्षति पहुँची है, उसे प्रामाणिक बनाएँ। उसमें यह एहसास पैदा

करें कि जो कुछ हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कि वह तो उत्पीड़न का शिकार हुई है, कि उसे चोट पहुँचाई गई है।

- उत्पीड़ित व्यक्ति को सावधानी और सहानुभूति के साथ सुनें। उसे उसके नजरिए से समझने की कोशिश करें। उत्पीड़ित बालक/बालिका को बालिगों की भाषा और शब्दावली की जानकारी नहीं होती। जाँच अधिकारी को उसकी समझ के स्तर तक जाने का प्रयास करना चाहिए।
- अच्छा या बुरा जैसे फैसले देने तथा टिप्पणी और आलोचना करने से बचें।
- याद रखें कि ट्रैफिकिंग और शोषण के सभी पहलुओं के बारे में बताने के लिए उत्पीड़ित व्यक्ति सर्वोत्तम गवाह है। अतः उसका बयान तार्किक और विस्तृत होना चाहिए और उसमें ट्रैफिकिंग की प्रक्रिया के सभी पहलुओं का समावेश होना चाहिए, जैसे शोषण, उसमें शामिल विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका और घटनाओं की पूरी श्रृंखला।
- उन घटनाओं, तथ्यों और विषयवस्तुओं की चेकलिस्ट बनाएँ जिनके बारे में उत्पीड़ित व्यक्ति से इंटरव्यू करने की जरूरत है। जैसे-जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा, नई घटनाएँ, तथ्य और विषयवस्तु उभरेंगे। इंटरव्यू का तार्किक ढाँचा ऐसा होना चाहिए जिससे सभी जरूरी ब्यौरे सामने आ जाएँ।
- उत्पीड़ित व्यक्तियों का इंटरव्यू बहुत सावधानी से और उनका खयाल रखते हुए किया जाना चाहिए। इसका ध्यान रखें कि जाँच की प्रक्रिया उसे दुबारा हादसे से न भर दे। गवाही के लिहाज से महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को याद करने में उत्पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने की दृष्टि से संवेदनशील तकनीकों (यानी कॉग्निटिव इंटरव्यू) का उपयोग करना आवश्यक है। संभव है उत्पीड़ित महिला इन तथ्यों के महत्व के बारे में न जानती हो, लेकिन पुलिस अधिकारी को इसका पता होना चाहिए। इंटरव्यू उत्पीड़ित व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए न कि किसी और व्यक्ति के हित में।
- उत्पीड़ित व्यक्ति को पूरी जानकारी दे कर उसकी सहमति से उसके बयान की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग (जैसे, वीडियोग्राफी) की जा सकती है, जिसका उपयोग अंततः अदालत में हो सकता है। हर हाल में, उसकी गुमनामियत की रक्षा करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए।
- उत्पीड़ित महिला कुछ पूछना चाहती है या कोई शक जाहिर करना चाहती है, तो इसमें उसकी मदद करें। इससे बातचीत खुलेगी।
- उत्पीड़ित व्यक्ति का बयान उसकी ही भाषा में दर्ज करें। उसका अनुवाद बाद में हो सकता है। इंटरव्यू के दौरान प्रकट होनेवाली भावनाओं और 'बॉडी लैंग्वेज' को इंटरव्यू के रिकॉर्ड में शामिल करना न भूलें।
- बयान दर्ज करनेवाले पुलिस अधिकारी को बयान पर हस्ताक्षर करना चाहिए और अपना पूरा नाम, पद और पता दर्ज करना चाहिए।
- उत्पीड़ित व्यक्ति और उसके बयानों का प्रचार बिलकुल नहीं होना चाहिए। सभी अवसरों पर (इनमें अदालत ले जाना और वहाँ से वापस लाना भी शामिल है) गुमनामियत बनाए रखें।

- यदि दुबारा परीक्षण करने की जरूरत हो, तो उत्पीड़ित व्यक्ति की सहमति माँगें और उसकी सुविधा का ध्यान रखें।
- सीआरपीसी की धारा 161 और धारा 164 के तहत उत्पीड़ित का बयान रिकॉर्ड करने में देर न करें, अन्यथा उसकी वापसी/अपने देश भेजे जाने में विलंब हो सकता है। इस मामले में जल्दी भी नहीं मचाई जानी चाहिए। उत्पीड़ित व्यक्ति जब भी बयान देना चाहता है, उस समय उसका अतिरिक्त बयान लेने पर कोई रोक नहीं है।
- उत्पीड़ित व्यक्ति को जहाँ ठहराया जाए या ले जाया जाए, उसे महिला पुलिस अधिकारी का समुचित संरक्षण प्रदान करें।
- उत्पीड़ित व्यक्ति के आराम का खयाल जरूर रखें। उसके लिए विश्राम, शौच आदि के स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब और जहाँ जरूरत हो, खाना, पानी, चाय आदि का इंतजाम करें। खाने-पीने के मामले में बाल उत्पीड़ितों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि पुलिस द्वारा की गई सभी कार्रवाइयाँ उत्पीड़ित के सर्वोत्तम हित में हों। निर्णय करने का आदर्श आधार यह पता लगाना है कि उत्पीड़ित का सर्वोत्तम हित किसमें है।
- इंटरव्यू के बाद उत्पीड़ित व्यक्ति को धन्यवाद देना न भूलें।

4.4.8 उत्पीड़ित व्यक्तियों की मेडिकल देखभाल : क्या करें, क्या न करें

- सभी परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा होने चाहिए। यदि महिला डॉक्टर उपलब्ध न हो, तो मेडिकल परीक्षण के दौरान अन्य महिलाओं जैसे नर्सों/काउंसिलरों/एनजीओ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सुनिश्चित करें।
- अगर महिला अधिकारी उपलब्ध है, तो पुरुष पुलिस अधिकारियों तथा अन्य पुरुषों को, जहाँ जाँच हो रही हो, उस स्थान से दूर रहना चाहिए।
- डॉक्टर को सिर्फ शारीरिक चोटों का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक क्षति का भी आकलन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर किसी मनश्चिकित्सक को संबद्ध करें।
- मेडिकल साक्ष्य को खूब सँभाल कर रखें और उसकी श्रृंखलाबद्ध कस्टडी सुनिश्चित करें।
- मेडिकल देखभाल का इंतजाम करने में देर न करें। समय पर सहायता मिलने से उत्पीड़ित व्यक्ति को तनावरहित बनाने और उसकी हादसा-ग्रस्तता कम करने में सहायता मिलती है।

4.4.9 उत्पीड़ित व्यक्ति की मनोसामाजिक देखभाल : क्या करें, क्या न करें

दुर्भाग्यवश, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी पुलिस तथा अन्य परवर्ती देखभाल-एजेंसियों द्वारा अकसर उपेक्षा की जाती है, जबकि उत्पीड़ित व्यक्ति की देखभाल और पुनर्वास में इसकी निर्णायक भूमिका है। इस पहलू की देख-रेख के लिए उपयुक्त सरकारी/गैरसरकारी एजेंसियों को संबद्ध करें। यह नोट करने की बात है कि अप्रशिक्षित काउंसिलर उत्पीड़ित व्यक्ति को और ज्यादा क्षतिग्रस्त कर सकता है तथा सदमें में डाल सकता है। अतः बिलकुल शुरू से ही उत्पीड़ित के लिए प्रशिक्षित और योग्य विशेषज्ञ की व्यवस्था करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हादसे से मुक्ति के

लिए काउंसिलिंग उत्पीड़ित व्यक्ति के घर/निवास स्थान पर भी होनी चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हादसे पर काबू पाने में उत्पीड़ित व्यक्ति को समय लगता है। इसके अलावा काउंसिलर/मनश्चिकित्सक अदालत में एक महत्वपूर्ण गवाह होगा। अतः आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ फाइल की गई चार्ज शीट में विशेषज्ञ गवाह के रूप में उसका जिक्र होना चाहिए।

मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग के लिए बहुत-सी रणनीतियाँ उपलब्ध हैं। रणनीति जो भी अपनाई जाए, उसका फोकस उत्पीड़ित व्यक्ति को अधिकार-संपन्न बनाने पर होना चाहिए। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कदम और पहलें अधिकार-आधारित और उत्पीड़ित व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में हो (*तफसील के लिए देखें द साउंड्स ऑफ साइलेंस : अ मैनुअल फॉर फॉर्मिंग थेरापेटिक रिलेशनशिप्स, डॉ. अचल भगत, सार्थक*)

4.4.10 उम्र का सत्यापन (वेरिफिकेशन)

जिस मजिस्ट्रेट के सामने छुड़ाए/मुक्त कराए गए व्यक्ति को पेश किया जाता है, वह आइटीपीए की धारा 17(2) के तहत उसकी उम्र का वेरिफिकेशन कराएगा। आइपीसी की 323, 366ए, 366बी 372, 375, जैसी धाराएँ और जेजे एक्ट की धाराएँ लागू होंगी या नहीं, यह तय करने में उम्र का निर्णायक महत्व है। यदि व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो जेजे एक्ट लागू होगा और मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को उपयुक्त प्राधिकरण - सीडब्ल्यूसी - को रेफर कर दे। अतएव मुक्त कराए गए व्यक्ति की उम्र का सही अनुमान एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि जेजे एक्ट की धारा 49 सक्षम अधिकारी को उम्र तय करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत करती है, पर आम तौर पर प्रथम दृष्टि में यह निर्णय करने की जिम्मेदारी मुक्त करानेवाले अधिकारियों पर छोड़ दी जाती है कि छुड़ाया गया व्यक्ति बालिग है या बालक/बालिका। इस दिशा में 'क्या करें', और 'क्या न करें' की सूची इस प्रकार है :

- प्रथम दृष्टि में उम्र का पूर्वानुमान मुक्त कराए गए व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए।
- वस्तुपरक पैमाने तक पहुँचने के लिए, जैसे स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि, उस व्यक्ति का इंटरव्यू करें। व्यक्ति के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ होती हैं, जो उसकी उम्र के बारे में जानकारी दे सकती हैं।
- उम्र तय करने में पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों आदि को संबद्ध करें।
- वेश्यालय की 'मादाम' या शोषणकर्ताओं द्वारा बताई गई उम्र पर यकीन करें। ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे।
- उत्पीड़ित व्यक्ति शोषणकर्ताओं के दबाव में अपनी गलत उम्र बता सकता है। उत्पीड़ित व्यक्ति से सावधानी से बात करने पर सच्चाई का पता चल सकता है।
- उम्र का वेरिफिकेशन करने के लिए मेडिकल/प्रोफेशनल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को ओस्सिफिकेशन टेस्ट तथा अन्य परीक्षण करने होते हैं। अतः इन प्रोफेशनल व्यक्तियों को, जितनी जल्द संभव हो, इस काम से संबद्ध करें।

- यदि विशेषज्ञ उम्र के बारे में सही-सही बता सकने में असमर्थ है और उसका मत यह है कि उम्र एक खास रेंज (जैसे 17-19 वर्ष) में होनी चाहिए, तो संदेह का लाभ उत्पीड़ित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए (जैसे, इस मामले में उस व्यक्ति को 17 वर्ष का बालक/बालिका मान कर चलना चाहिए)।

4.4.11 ट्रैफिकिंग के संगठित अपराध की तफतीश

ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है। अतः अन्य संगठित अपराधों की जाँच करने के सभी सिद्धांतों का प्रयोग ट्रैफिकिंग की तफतीश में किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं :

- ट्रैफिकिंग के एक मामले में ट्रैफिककर्ताओं और शोषणकर्ताओं के बारे में प्राप्त आसूचना (इंटेलिजेंस) ट्रैफिकिंग के अन्य अपराधों की तफतीश में उपयुक्त सामग्री प्रदान कर सकती है। एक मामले से दूसरे मामले का भेद खुलता है। अतः इस आसूचना की साझेदारी तमाम संबद्ध पक्षों के साथ और तुरंत की जानी चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो, इसका दस्तावेजीकरण भी होना चाहिए।

- ट्रैफिककर्ताओं और शोषणकर्ताओं के बारे में - उनकी कार्यविधि, उद्‌गम, गतिविधि का स्थान, आवागमन और प्रभाव, संप्रेषण सूत्र, कमाई तथा उसका प्रेषण, निवेश इत्यादि, खर्चों का पैटर्न, शोषणकर्ताओं के बीच गतिविधि की कड़ियाँ, स्रोत क्षेत्र, पारगमन (ट्रांजिट) क्षेत्र और माँग क्षेत्र के बीच की कड़ियाँ इत्यादि - तथ्य कोष विकसित किया जाना चाहिए।

- अपराध स्थल की पहले की गई तलाशियों के सिलसिले में उपलब्ध सभी दस्तावेज - पुलिस दस्तावेज और मीडिया की रिपोर्टें भी - न केवल साक्ष्य के रूप में, बल्कि संगठित कड़ियों की तफतीश के लिए संकेतक के रूप में भी उपयोगी हैं।

- अंतर-जिला अपराधों के मामले में एसएसपी को फॉलोअप की पहल करनी चाहिए। अंतर-राज्य अपराधों के मामले में उच्च पुलिस अधिकारियों और गुप्तचर शाखा को तफतीश करने वालों को मदद मुहैया करने की पहल करनी चाहिए। जाँच अधिकारी द्वारा भारत में कहीं भी जा कर जाँच करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

- आसूचना संग्रह के लिए गैरसरकारी संगठनों का सहयोग लें। इस समय एटीएसईसी, सीबीएटीएन, एसएपीएटी आदि जैसे गैरसरकारी संगठनों ने सीमाओं के आर-पार नेटवर्क विकसित किए हुए हैं और सीमा-पार के ट्रैफिककर्ताओं पर आसूचना का आदान-प्रदान करते हैं। कानून का प्रवर्तन करनेवाली एजेंसियों द्वारा उनकी सेवाओं का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। कानून का प्रवर्तन करनेवाले अधिकारियों द्वारा सक्षम गैरसरकारी संगठनों को संबद्ध करने पर कोई रोक नहीं है।

- गवाहों के बयानों की रिकार्डिंग : गवाहों के बयानों की, खासकर महत्वपूर्ण बयानों की रिकॉर्डिंग और/या वीडियो रिकॉर्डिंग सीआरपीसी की धारा 164 के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कराएँ, ताकि वे बाद में पलट न सकें। अगर वे पलट जाते हैं, तो उन पर मिथ्या शपथ के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। (*जहीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात, 2004 (91) एआइआर 3114 एससी*)

एएचटी जैसे बहुराष्ट्रीय अपराध के मामले में अन्य देशों में तफतीश कराए जाने की जरूरत पड़ सकती है। साक्ष्य के कानूनी और सरकारी हस्तांतरण के लिए लेटर्स रोगेटरी (एलआर) तैयार कर भेजे जाने चाहिए और उनका फॉलो अप किया जाना चाहिए। (विस्तृत जानकारी के लिए देखें पीएम नायर, *कॉम्बैटिंग ऑर्गनाइज्ड क्राइम,* 2002, कोणार्क पब्लिकशर्स) ऐसे अपराधों में साक्ष्य के हस्तांतरण में मुख्य-मुख्य प्रदर्शों (एग्जिबिट्स) का इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण बेहद महत्व का होगा। बहरहाल, सीमा-पारीय सूत्रों से लैस गैरसरकारी संगठनों के नेटवर्कों (जैसे एटीएसईसी) की सेवाओं का उपयोग ऐसी सूचनाओं के संग्रह और मिलान के लिए किया जा सकता है, जिन्हें, कानूनी साक्ष्य के रूप में, आवश्यक होने पर, एलआर भेज कर सरकारी माध्यमों के जरिए मँगाया जा सकता है।

5
ट्रैफिकिंग के मुकदमे क्या करें, क्या न करें

5.1 ट्रायल को जल्दी पूरा करना

- गवाहों को समय पर सूचना मिले, यह सुनिश्चित करें तथा अदालत में उनकी उपस्थिति को सुविधापूर्ण बनाएँ। ट्रायल में अकसर इसीलिए देर होती है क्योंकि गवाह उपस्थित नहीं होते।
- गवाहों की देखभाल का अर्थ है परिवहन तथा उनकी अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं का खयाल रखना।
- गवाहों को अनुचित प्रचार से बचाएँ।
- अदालत में गवाह के रूप में विशेषज्ञों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनका पता, संपर्क टेलीफोन नंबर, ई-मेल, नेटवर्किंग इत्यादि अपने पास रखना आवश्यक है। उनसे नियमित व्यक्तिगत संपर्क रखना चाहिए।
- पुलिस अफसरों का ट्रांसफर होता रहता है। अतः गवाही के लिए उन्हें बुलाने के लिए उनका नवीनतम पता और संपर्क टेलीफोन नंबर अपने पास रखिए।
- ट्रायल के दौरान आनेवाली समस्याओं और मुद्दों को समय पर सुलझाने के लिए प्रॉसिक्यूटरों और अदालत के स्टाफ से संपर्क बनाए रखें।
- सभी गतिरोधों को हटाने तथा जल्दी और तुरंत न्याय दिलाने के लिए अदालत के पीठासीन अधिकारी, प्रॉसिक्यूटर और संबद्ध पुलिस अधिकारी के बीच पारस्परिक संपर्क अपरिहार्य है। प्रॉसिक्यूटर अदालत का अधिकारी है और इस नाते यह संपर्क बनाने में उसे ही पहल करनी चाहिए।
- जाँच कार्य में किसी प्रमुख गड़बड़ी या कमी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित कर न्याय प्रदानन में प्रॉसिक्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है। इससे अदालत को इस बारे में उपयुक्त निर्णय करने में सहायता मिलेगी कि मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, या और/फिर से तफतीश करने के लिए उसे पुलिस के पास वापस भेज दिया जाए, या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाए या मामले को सीआईडी जैसी किसी विशेषीकृत एजेंसी को जाँच के लिए सौंप दिया जाए।
- आइटीपीए की धारा 22 में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। यह शीघ्रतापूर्वक न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, अतः प्रॉसिक्यूटर को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

- अदालत के सामने सभी तथ्य रखे जाएँ, इसकी व्यवस्था करें। 'यह कर्तव्य जितना अदालत का है उतना ही प्रॉसिक्यूटर का भी कि सभी और प्रमुख तथ्य रिकॉर्ड पर ले जाए जाएँ, ताकि न्याय करने में गलती न हो।' (*शकीला अब्दुल खान बनाम वसंत धोटे, 2003 (7) एससीसी 749 और जहीरा जैफुल्लाह बनाम गुजरात, 2004 (4) एससीसी 158*)

5.2 ट्रायल के दौरान उत्पीड़ितों और गवाहों की देखभाल और सुरक्षा : क्या करें, क्या न करें

- अदालत का वातावरण उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए उबाऊ होता है। उन्हें इस वातावरण के बारे में बताएँ और सलाह दें। उन्हें आश्वस्त करें कि उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा तथा सभी तथ्यों का उनके द्वारा दिया गया विवरण न्याय के लिए आवश्यक है, जो उनके अपने हित में है और व्यापक सार्वजनिक हित में भी।

- उत्पीड़ित व्यक्तियों को केस के तथ्यों के बारे में संक्षेप में बता देना चाहिए, ताकि वे घटनाओं को तार्किक ढंग से याद कर सकें। यह उन्हें गवाह के कटघरे में ले जाने से पहले किया जाना चाहिए।

- प्रॉसिक्यूटरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिवादी पक्ष उत्पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। परेशानी में डालनेवाले सवालों से बचना चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने के लिए तुरंत अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया जाना चाहिए।

- उत्पीड़ित व्यक्ति की पहचान सामने न आने देने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। पहचान न जाहिर होने से उत्पीड़ित व्यक्ति को शक्ति मिलती है और उसमें आत्मविश्वास आता है।

- अदालत से दरख्वास्त करें कि ट्रायल इन-कैमरा (बंद कमरे में) हो। भारत के उच्चतम न्यायालय ने (*साक्षी बनाम भारत सरकार* में उच्चतम न्यायालय का फैसला, 26 मई 2004) निर्देश दिया है कि बालक/बालिकाओं पर यौन आक्रमण के सभी मामलों का ट्रायल बंद कमरे में होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में एक पर्दा लगा होना चाहिए, ताकि उत्पीड़ित बाल संदिग्ध और आरोपित व्यक्तियों की नजर में न आए। अदालत में सहायता करने के लिए बाल काउंसिलर की व्यवस्था करें। ट्रायल की कार्यवाही के दौरान बीच-बीच में पर्याप्त अंतराल (रेसेस) होना चाहिए, ताकि उत्पीड़ित बालक/बालिका विश्राम कर सके। उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त फैसला बालक/बालिकाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक लैंडमार्क फैसला है। अतः उसे शब्दशः और उसकी आत्मा के अनुरूप लागू करने की जरूरत है। पुलिस और प्रॉसिक्यूटरों को इसके लिए ट्रायल अदालत से दरख्वास्त करनी चाहिए।

- उत्पीड़ित व्यक्ति को परेशानी से बचाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग एक आदर्श माध्यम है। जहाँ भी संभव हो, इसे अपनाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने *महाराष्ट्र राज्य* बनाम *डॉ. प्रफुल बी. देसाई* (2003 (4) एससीसी 601 के अपने लैंडमार्क फैसले में वीडियो कांफ्रेंसिंग की वैधता को रेखांकित किया है और ट्रायल के दौरान सुनिश्चित किए जानेवाले सुरक्षात्मक उपाय बताए हैं।

- उत्पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना चाहिए :

- किसी संवेदनशील अधिकारी, विशेषतः महिला पुलिस अधिकारी, को उत्पीड़ित व्यक्ति की देखभाल के लिए लगाएँ।
- ट्रायल शुरू होने के पहले मुकदमे के तथ्यों के बारे में उत्पीड़ित व्यक्ति को सूचित करें (ब्रीफिंग)।
- ट्रायल शुरू होने के पहले उत्पीड़ित व्यक्ति को अदालत के वातावरण से परिचित कराएँ।
- अदालत की कार्यवाही के तुरंत बाद उसे बताएँ कि वहाँ क्या-क्या हुआ (डीब्रीफिंग)।
- डीब्रीफिंग का फॉलोअप करें और जरूरत होने पर उसमें संशोधन करें।
- यदि उत्पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य भाषा बोलता है, तो उपयुक्त अनुवादकों की व्यवस्था करें।
- उत्पीड़ित व्यक्ति के अदालत जाने-आने के लिए वाहन का प्रबंध करें।
- आपातकालीन खर्चों का प्रावधान करें। इसके लिए अदालत के पास कोष होता है। कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु, सरकार ने इसके लिए विशेष कोष की व्यवस्था की है।
- उत्पीड़ित व्यक्ति को उसके आवास स्थान तक वापस ले जाने का ध्यान रखें।
- उसकी अन्य सुविधाओं की ओर ध्यान दें, जैसे विश्राम, शौच आदि के स्थान की व्यवस्था।
- उत्पीड़ित व्यक्ति, गवाहों और उन सभी को जिन्होंने उत्पीड़ित व्यक्ति को अदालत तक ले जाने में मदद की है, धन्यवाद जरूर दें। उनकी सुरक्षित और आरामदेह वापसी की व्यवस्था करें।

■ दोष-सिद्धि के बाद के मामले प्रॉसिक्यूटर के विशेष ध्यान की माँग करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल हैं :

- दुहराए गए अपराधों और इन अपराधियों के लिए अधिक सजा की माँग करना।
- सजा के साथ-साथ जुर्माना लगाने के लिए अदालत से निवेदन करना (कानून की उस धारा का उल्लेख पहले हो चुका है जिसके अनुसार जुर्माना लगाना अनिवार्य है)
- उत्पीड़ित के लिए अपराधी से क्षतिपूर्ति की माँग (सीआरपीसी की धारा 357 के तहत)
- राज्य से क्षतिपूर्ति की माँग (*इस सिलसिले में दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत सरकार* का निर्णय देखें)
- वेश्यालयों को बंद और खाली कराने के लिए आइटीपीए की धारा 18 के तहत कदम उठाना (यह कदम दोष-सिद्धि के पहले भी उठाया जा सकता है, जैसा कि पूर्व के परिच्छेदों 3.2.11.5 से 3.2.11.7 में विवेचन किया जा चुका है)
- सजायाफ्ता व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाना (परिच्छेद 3.2.12 में किया गया विवेचन देखें)
- दोष-सिद्ध व्यक्ति के क्षेत्र-निष्कासन के लिए कदम उठाना (परिच्छेद 3.2.13 में किया गया विवेचन देखें)

5.3 उत्पीड़ित/गवाह की सुरक्षा व्यवस्थाएँ

भारत में उत्पीड़ित व्यक्ति/गवाह की सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कई संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान हैं। इनमें से कुछ की सूची नीचे दी जाती है, जिनका उपयोग कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों द्वारा 'रेडी रेफरेंस' के रूप में किया जा सकता है :

- **गुमनामियत का अधिकार** एक कानूनी अधिकार है (*श्रीमती सुदेश जाखू बनाम नरेंद्र वर्मा, 2004* में उच्चतम न्यायालय का निर्णय)
- **इन कैमरा ट्रायल,** सीआरपीसी की धारा 327 के तहत, बलात्कार के मुकदमों में आवश्यक है। इन कैमरा ट्रायल के प्रावधानों को बालक/बालिकाओं पर यौन हमले के सभी अपराधों तक विस्तारित कर दिया गया है (*साक्षी निर्णय देखें*)। अतः सीएसई के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग से संबंधित सभी अपराधों में इन कैमरा ट्रायल की माँग की जा सकती है।
- अपराधों के ट्रायल में *वीडियो कांफ्रेंस* की अनुमति है। (*प्रफुल देसाई निर्णय देखें*) इससे उत्पीड़ितों और गवाहों की गुमनामियत और उनकी सुरक्षा, दोनों सुनिश्चित हो जाते हैं।
- **सहज वातावरण की व्यवस्था :** *साक्षी बनाम भारत सरकार* में यह निर्णय किया गया था कि 'अदालत के सामने संपूर्ण जाँच का लक्ष्य है सत्य का पता लगाना। यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पीड़ित या गवाह पूरी घटना के बारे में एक सहज वातावरण में, बिना कोई परेशानी अनुभव किए, बयान दे सकें। ... एक परदा खींचा जा सकता है या कोई और इंतजाम किया जा सकता है ताकि उत्पीड़ित या गवाह को अभियुक्त को या उसका चेहरा देखने के संकट न गुजरना पड़े।'
- **अदालत की कार्यवाहियों के बीच अंतराल :** *साक्षी बनाम भारत सरकार* में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जब भी किसी बालक/बालिका या बलात्कार के शिकार को गवाही देनी हो, तो आवश्यकतानुसार पर्याप्त अंतराल देना चाहिए।
- **कानूनी प्रतिनिधित्व** कानूनी अधिकार है। *(देल्ही डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बनाम भारत सरकार, 1995 (1) एससीसी 14)* में कानूनी प्रतिनिधित्व और काउंसिलिंग की आवश्यकता का विस्तार उत्पीड़ित तक पुलिस स्टेशन के बिंदु से ही किया गया है।
- उत्पीड़ित **निजी वकील** कर सकती है/सकता है जो पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की मदद कर सकता है और लिखित बयान भी जमा कर सकता है - पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के अधीन काम करते हुए - सीआरपीसी की धारा 301 (2) के तहत।
- उत्पीड़ित कभी भी अपराध में **सहयोगी** नहीं होता (*गुरचरन सिंह बनाम हरियाणा, एआइआर 1972 एसी 2661*)।
- **उत्पीड़ित/गवाह को क्रॉस-एग्जामिन** करने का अभियुक्त का अधिकार यद्यपि कानूनी अधिकार है, *साक्षी निर्णय* द्वारा इसे सीमित कर दिया गया है अर्थात बालक/बालिका पर यौन हमले के मुकदमे में प्रतिवादी उत्पीड़ित से सीधे सवाल नहीं कर सकता, बल्कि वह अपने प्रश्न अदालत को देगा और अदालत उत्पीड़ित तक ये प्रश्न भिजवा देगी।

- **क्षतिपूर्ति,** सीआरपीसी की धरा 357 के तहत, क्षति/हानि के लिए उत्पीड़ित का अधिकार है।

- दोष-सिद्ध व्यक्ति से उत्पीड़ित को **क्षतिपूर्ति** तब भी दिलवाई जा सकती है जब जुर्माना अदालत के निर्णय का हिस्सा न हो।

- अभियुक्त को **क्षतिपूर्ति** तब भी दिलवाई जा सकती है जब दोष-सिद्धि न हो और ट्रायल भी समाप्त न हुआ हो (*देल्ही डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम भारत सरकार*)

- उत्पीड़ित की उम्र के बारे में संदेह हो, तो यह *आकलन* उत्पीड़ित के पक्ष में किया जाना चाहिए। *कर्नाटक राज्य बनाम माजम्मा* में फैसला किया गया था कि अगर प्रॉसिक्यूशन यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि लड़की की उम्र 16 साल से कम है, तो लड़की के बयान पर विश्वास कर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

- मामले की **रिपोर्ट करने में देर** मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगी, यदि इस देर का विवकेसंगत स्पष्टीकरण तफतीश के दौरान दिया जाता है या सामने लाया जाता है (*हरपाल सिंह बनाम हि.प्र., 1981 (1) एससीसी 560*)।

- **त्रुटिपूर्ण तफतीश :** त्रुटिपूर्ण तफतीश इस बात का कोई आधार नहीं है कि उत्पीड़ित को न्याय से वंचित कर दिया जाए। 'सिर्फ त्रुटि के आधार पर किसी दोषी व्यक्ति को मुक्त कर देना ठीक नहीं होगा; ऐसा करना जाँच अधिकारी के हाथों में खेलने के बराबर होगा, अगर जाँच में त्रुटि जान-बूझ कर की गई है।' (*करनाल सिंह बनाम म.प्र., 1995 5 एससीसी 518* तथा *जहीरा हबीबुल्लाह बनाम गुजरात, 2004 (4) एससीसी 158*)।

- **अभियोजिका की जाँच अनिवार्य नहीं है :** *हिमाचल प्रदेश बनाम मोहन मिश्र, 1995 सीआरएलजे 3845* में उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि 'सिर्फ इस कारण कि उत्पीड़ित लड़की की जाँच नहीं हुई है, अभियुक्त को मुक्त नहीं किया जा सकता, यदि उसके आपराधिक कृत्य को प्रमाणित करने वाले अन्य साक्ष्य उपलब्ध हों।'

- **उत्पीड़ित का चरित्र और पूर्ववृत्त** प्रासंगिक नहीं हैं ... और उनका उपयोग न तो न्यून करने वाली और न ही गंभीर बनाने वाली परिस्थिति के रूप में किया जाना चाहिए। उत्पीड़ित/गवाह के साथ किसी प्रकार का कलंक नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 'आखिर अदालत में जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हे, वह अभियुक्त है, न कि यौन अपराध की शिकार।' (*हरियाणा बनाम प्रेमचंद तथा अन्य, 1990 (1) एसीसी 249, महाराष्ट्र बनाम मधुकर नारायण मारवीकर, एआइआर 1991 एससी 207, पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, एआइआर 1996 एससी 1393)*

- **विश्वसनीयता के बारे में :** यौन अपराध की शिकार की गवाही को बहुत ज्यादा वजन दिया जाना चाहिए - भले ही उसकी परिपुष्टि न होती हो (*पंजाब बनाम गुरमीत सिंह)*। बुद्धिमत्ता का यह नियम कि यौन हमले के शिकार की गवाही भौतिक विवरणों से परिपुष्ट होनी चाहिए, यहाँ लागू नहीं होता (*महाराष्ट्र बनाम सीपीके जैन, एआइआर 1990 एससी 658*)

- **परिपुष्टि के बारे में :** *पंजाब बनाम गुरमीत सिंह* में यह फैसला किया गया था कि बलात्कार की शिकार लड़की, जिसकी उम्र 15-17 साल थी, का बयान स्वीकार करने का आत्मविश्वास प्रदान करता था और इसलिए गवाही की परिपुष्टि की जरूरत नहीं थी। निर्णय किया गया कि दोष-सिद्धि का आदेश रिकॉर्ड करने के पहले अभियोजिता की गवाही की परिपुष्टि की खोज करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। गवाही को गिना नहीं, तौला जाना चाहिए (*हिमाचल प्रदेश बनाम रघुवीर सिंह)*। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोष-सिद्धि का निर्णय सुनाया जाए, इसके पहले प्रत्येक मामले में परिपुष्टि होनी ही चाहिए (*रामेश्वर बनाम राजस्थान, एआइआर 1552 एससी 54*)।

- **उत्पीड़ित/गवाह के बयान में असंगति के बारे में :** यौन आक्रमण से संबंधित मुकदमों में गवाहों के बयान में मामूली अंतर्विरोध या महत्वहीन असंगतियाँ हों, तो इसका प्रभाव मुकदमे पर नहीं पड़ना चाहिए (*पंजाब बनाम गुरमीत सिंह एआइआर 1996 एससी 1393 और आंध्र प्रदेश बनाम गंगुला सत्यमूर्ति, जेटी 1996 (10) एससी 550)*। निर्णय किया गया कि अदालत को पूरे मामले की पृष्ठभूमि की समग्रता में साक्ष्य पर विचार करना चाहिए - संदर्भ से काट कर नहीं।

- **मेडिकल रिपोर्ट के बारे में :** *रामपाल बनाम हरियाणा राज्य, 1994 एसयूपीपी (3) एससीसी 656* में दोष-सिद्धि का आधार सिर्फ अभियोजिका का साक्ष्य था। यद्यपि डॉक्टर को जख्म का कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ा, अदालत ने फैसला किया कि उत्पीड़ित की गवाही पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है और अभियुक्त की दोष-सिद्धि को बहाल रखा।

- **सत्वर ट्रायल** विवेकसम्मत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्यवाही, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 21 में दी गई है, का एक आवश्यक हिस्सा है (*मानेका गांधी बनाम राज्य, 1978 (1) एससीसी 248*)। यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह ऐसी कार्यवाही विकसित करे जिससे ट्रायल तीव्र गति से हो सके (*शीला बरसे बनाम भारत सरकार*, 1986 (3) एससीसी 632)।

- **उत्पीड़ित को न्याय दिलाने में अदालतों की सहभागी भूमिका :** 'अदालतों को ट्रायल में सहभागी भूमिका निभानी चाहिए। उनसे टेप रिकॉर्डर होने की अपेक्षा नहीं की जाती कि गवाहों द्वारा जो भी बयान दिया जाए, उसे वे रिकॉर्ड कर लें। सीआरपीसी की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक सामग्री को सामने लाने के लिए अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को व्यापक और विस्तृत शक्ति प्रदान करती हैं, (जहीरा हबीबुल्लाह बनाम गुजरात, 2004 (4) एससीसी 158)।

- **ट्रायल के दौरान गवाहों की उपस्थिति :** ट्रायल की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रॉसिक्यूशन का यह कर्त्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह गवाहों को समय पर उपस्थित करे। 'ट्रायल के समय गवेषणा अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। गवाहों को प्रस्तुत रखना उसका कर्तव्य है। अगर गवाह उपस्थित नहीं होता, तो यह अदालत का कर्त्तव्य है कि वह उपयुक्त कदम उठाए।' (शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार, 2002 (8) एससी 13)

- **मुक्त कराए जाने का अधिकार :** आइटीपीए की धारा 16 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों और जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे एसआई या इससे ऊपर के पद के किसी पुलिस अधिकारी को किसी भी स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति को मुक्त करवा सकें। इससे उत्पीड़ित को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी संभव साधन से मजिस्ट्रेट को सूचित कर सके और मजिस्ट्रेट का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह उसे मुक्त कराने के लिए कदम उठाए।

- **मुक्त कराए जाने के बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने का अधिकार :** आइटीपीए की धारा 17 में व्यवस्था है कि मुक्त कराए गए व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा या उसके संरक्षण में नहीं रखा जाएगा जो मुक्त कराए गए व्यक्ति पर हानिकर प्रभाव डाल सके। यह सत्यापित करने के लिए कि मुक्त कराए गए व्यक्ति का मूल घर उसकी वापसी के लिए सुरक्षित है या नहीं, कानून की इस धारा में होम वेरिफिकेशन का प्रावधान है।

5.4 ट्रैफिकिंग के निवारण में प्रॉसिक्यूटर की भूमिका

ट्रैफिकिंग के निवारण में प्रॉसिक्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है।

- यदि ट्रैफिककर्ता का दोष सिद्ध हो जाता है और उसे सीखचों के भीतर रखा जाता है, तो इसका स्वाभाविक अर्थ यह है कि ट्रैफिककर्ता को ट्रैफिकिंग करने से वंचित किया जा रहा है। अतः कानून के आक्रामक प्रवर्तन के द्वारा प्रॉसिक्यूटर ट्रैफिकिंग का निवारण सुनिश्चित कर सकते हैं।

- यदि पिछले परिच्छेदों में चर्चित दोष-सिद्धि के बाद के उपाय ट्रैफिककर्ताओं और अन्य शोषणकर्ताओं के खिलाफ उचित तरीके से अपनाए जाते हैं, तो ट्रैफिकिंग के निवारण में इसका बेहद ज्यादा असर पड़ेगा।

- वेश्यालयों और यौन शोषण के व्यापार के ऐसे अन्य स्थानों को असरदार तरीके से खाली कराया जाए, तो यह ट्रैफिकिंग के निवारण का एक और तरीका है। प्रॉसिक्यूटर को आइटीपीए की धारा 18 के तहत इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

- यदि उत्पीड़ितों और उत्तरजीवियों (सरवाइवर) को मुक्त कराने के बाद उनकी देखभाल उचित तरीके से की जाती है जिससे उनके सर्वोत्तम हित के अनुसार उनका पुनर्वास हो सके, तो इसका परिणाम यह होगा कि उनकी दुबारा ट्रैफिकिंग नहीं हो सकेगी। मुक्त कराए जाने के बाद की इस प्रकार की गतिविधियों में प्रॉसिक्यूटर भूमिका निभा सकते हैं - (क) सरकारी विभाग या नागरिक समाज को सीधे शामिल कर अथवा (ख) संबद्ध मुद्दों पर विचार करने के बाद तथा संबद्ध मजिस्ट्रेट से संपर्क कर संबद्ध सरकारी एजेंसी/एनजीओ को मजिस्ट्रेट द्वारा समुचित निर्देश जारी करवाने के माध्यम से।

6
शोध और संदर्भ

शोध, प्रगति और विकास की एक मूलभूत जरूरत है। कार्य योजनाएँ और कार्यक्रम का तभी ठीक-ठाक अभिमुखीकरण, रणनीतिकरण और कार्यान्वयन हो सकता है जब वे यथार्थपरक और उपयुक्त हों। शोध से ही ये 'इनपुट' हासिल किए जा सकते हैं। अतएव एक्शन-शोध के बाद उपयुक्त कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए और इन अनुक्रियाओं और अध्ययन होना चाहिए ताकि सुधार हो सके। अनुक्रिया प्रणाली (रिस्पांस सिस्टम) के साथ शोध की एकन्विति का अभाव वर्तमान दृश्यावली की एक प्रमुख कमी है। बहरहाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा समर्थित, स्त्रियों और बच्चों की ट्रैफिकिंग पर एक्शन-शोध अनुक्रिया प्रणाली के साथ शोध की एकन्विति का एक क्लासिकल उदाहरण है, क्योंकि इस एक्शन-शोध के निष्कर्षों का प्रभावशाली उपयोग प्रशिक्षण, एडवोकेसी, नीति निर्माण तथा कई अन्य एक्शन कार्यक्रमों (खासकर 2006-2007) के दौरान यूएनओडीसी की परियोजना में) किया गया है।

अपराधियों को सजा मिले, जाँच की सफलता की अंतिम कसौटी यही है। इस दृष्टि से अदालती फैसलों का अध्ययन, विश्लेषण तथा शोध किया जाना चाहिए। जहाँ कोई समस्या आए, उसे फ्लैग कर लें और समाधान के लिए समुचित कदम उठाएँ। वरिष्ठ अधिकारियों को गवेषण अधिकारियों और प्रॉसिक्यूटरों के साथ केस का रिव्यू और आत्मपरीक्षण तथा सुधार में उनकी सहायता करनी चाहिए। 'आदर्श उदाहरणों' (गुड प्रैक्टिसेज) पर विचार-विमर्श करना चाहिए और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। ऐसे विश्लेषणों, विचार-विमर्श और माइक्रो-अध्ययन में अकादमिक विद्वानों को संबद्ध करें। न्याय प्रदान की व्यवस्था को सुधारने में अकादमिक क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। मानव ट्रैफिकिंग के कारण, गत्यात्मकता, प्रभाव और अनुक्रिया से संबंधित विषयों पर शोधकर्ताओं द्वारा माइक्रो-शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करें।

संदर्भ सामग्री : समय पर रेफरेंस और इस्तेमाल के लिए खासकर कानूनों, अदालती निर्णयों, प्रोटोकोल, मैनुअलों इत्यादि पर संदर्भ सामग्री का होना आवश्यक है। यह लक्ष्य किया गया है कि कई राज्यों के अधिकांश थानों में यह सुविधा नहीं है। सुपरवाइजर अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी थानों में यह संदर्भ सामग्री मौजूद हो।

आवश्यक संदर्भ सामग्री में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश/फैसले और हैंडबुक, कार्य निष्पादन के मानक, चेकलिस्ट आदि शामिल होने चाहिए।

7
कानून प्रवर्तन की प्रक्रिया में एनजीओं को संबद्ध करना

7.1 कैसे शुरू करें

- एसपी/डीसीपी संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ संस्थाओं की बैठक बुलाएँ। इस मामले में अन्य सरकारी विभागों को जरूर संबद्ध करें। विचार-विमर्श का फोकस यह होना चाहिए : ट्रैफिकिंग को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए जागरूकता पैदा करना तथा इसके लिए नेटवर्किंग और सिनर्जी का विकास करना। इससे स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों के बृहत्तर आयामों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित होगा।
- पुलिस स्टेशन में एनजीओ संस्थाओं की सूची बना कर रखें, जिसमें उनकी निपुणता और विशेषज्ञता के क्षेत्रों के साथ-साथ उनका संपर्क पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल इत्यादि के विवरण हों।
- सलाहकार समिति के लिए, एनजीओ संस्थाओं के साथ-साथ आइटीपीए की धारा 13(3)(बी) के तहत भारत सरकार से नोटिफिकेशन जारी कराएँ। उपयुक्त एनजीओ संस्थाओं के नाम प्रस्तावित करें।
- आइटीपीए की धारा 17(5) और 17(ए) के तहत होम वेरिफिकेशन आवश्यक है। अतः मुक्त कराने के दौरान और मुक्त कराने के बाद की गतिविधियों में एनजीओ को संबद्ध करें। एनजीओ की सूची बना कर रखें और मजिस्ट्रेट को यह सूची प्रदान करें।
- मुक्त कराने के ऑपरेशन के दौरान एनजीओ गवाह, सलाहकार, साझेदार तथा मानव अधिकार अंबुद्समैन के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। यह बात समझी जानी चाहिए और इस पर अमल किया जाना चाहिए।
- एनजीओ से संबद्धता खुफिया सूचनाएँ एकत्रित करने में एक अच्छे स्रोत का काम कर सकती है। वे उत्पीड़ितों तथा जोखिमग्रस्त व्यक्तियों की पहचान करने और जोखिम का आकलन करने में मदद कर सकते हैं। एनजीओ ट्रैफिककर्ताओं और शोषणकर्ताओं के बारे में आसूचना प्रदान कर सकते हैं। मुक्त कराने की योजना बनाने से पहले से ही उन्हें हिस्सेदार बनाएँ।

7.2 मुक्त कराने के बाद एनजीओं की भूमिका

मुक्त कराने के बाद की गतिविधियों में एनजीओ बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें ये बातें शामिल हैं :

- उत्पीड़ित व्यक्ति की काउंसिलिंग तथा उसे हादसा-मुक्त करना।

- उत्पीड़ित व्यक्ति से इंटरव्यू करना, जैसा कि आइटीपीए की धारा 15(6ए) में निर्देश है।
- उत्पीड़ित व्यक्ति का सर्वोत्तम हित निश्चित करने में पुलिस की सहायता करना ताकि पुलिस अधिकारी उसके अनुसार काम कर सकें।
- जाँच के दौरान विशेषतः ट्रैफिकिंग करनेवालों और ट्रैफिकिंग की प्रक्रिया के बारे में सुराग पाने में पुलिस की सहायता करना।
- आवश्यकता पड़ने पर अनुवादक उपलब्ध कराना।
- उत्पीड़ित व्यक्ति को अधिकार-संपन्न बनाना और उसके पुनर्वास का कार्यक्रम :
  - उत्पीड़ित व्यक्ति में अनुकूल परिवर्तन ले आना
  - उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयुक्त कार्यक्रम की पहचान करना
  - पुनर्वास की दृष्टि से उत्पीड़ित व्यक्ति को ज्ञान, हुनर और संसाधनों से अधिकार-संपन्न बनाना। संसाधनों में पर्याप्त धन प्रदान करनेवाले स्रोतों को शामिल किया जाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेशनों के सीएसआर (निगमों की सामाजिक जिम्मेदारी) का काम देखने वालों को शामिल करें।
  - कार्यक्रमों की निरंतरता बनाए रखने के लिए नेटवर्क की व्यवस्था करना
  - उत्पादों की मार्केटिंग और उन्हें मार्केटिंग के योग्य बनाने में सुविधा प्रदान करना
  - उपर्युक्त कार्यक्रम को जारी रखने की व्यवस्था करना तथा इस प्रकार उत्पीड़ित व्यक्ति की दुबारा ट्रैफिकिंग होने से रोकना
- एनजीओ पुलिस और नागरिक समाज के बीच तथा उत्पीड़ित व्यक्ति और नगारिक समाज के बीच उपयुक्त कड़ी का काम करते हैं।

7.3 ट्रायल में एनजीओं की भूमिकाः

अभियुक्तों के ट्रायल की प्रक्रिया में एनजीओ बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी संभावनाओं का उपयोग नहीं किया गया है, हालाँकि अतीत में 'आदर्श उदाहरण' की कुछ घटनाएँ मिलती हैं। पुलिस और प्रॉसिक्यूटर निम्नलिखित तरीकों से एनजीओ संस्थाओं को संबद्ध कर सकते हैं :

- एनजीओ उत्पीड़ित व्यक्ति/गवाह की मानसिकता में उचित परिवर्तन लाने और उन्हें अदालत तथा अदालती कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार करने में **काउंसिलर** के रूप में मदद कर सकते हैं।
- एनजीओ बालक/बालिका की सहायता करने में **बच्चों की देखभाल करनेवालों** के रूप में काम कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने 26 मई 2004 के फैसले में (*साक्षी* बनाम *भारत सरकार*) में निर्देश दिया है कि बालक/बालिकाओं पर यौन आक्रमण के सभी मामलों के ट्रायल

में ऐसे व्यक्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- जब उत्पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य भाषा बोलता हो, तो एनजीओ **अनुवादकों** की व्यवस्था कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, बांग्लादेश से ट्रैफिकिंग कर दिल्ली लाई गई उत्पीड़ित बालिकाएँ दिल्ली की अदालत में गवाही दे रहीं थीं, तो दिल्ली स्थिति एनजीओ **स्टॉप** ने बांग्ला से हिन्दी में अनुवाद करने में अदालत की मदद की थी)।

- **एनजीओ प्रॉसिक्यूटर के रूप में :** कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोलकाता स्थित एनजीओ **स्लारटीसी** को ट्रैफिकिंग के सभी केसों में प्रॉसिक्यूशन का काम देखने के लिए अधिकृत किया गया है। इस एनजीओ ने सरकारी प्रॉसिक्यूटर का स्थान ले लिया है तथा वह उत्पीड़ित व्यक्ति और राज्य की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए प्राइवेट वकीलों की सेवाएँ ले रहा है। यह प्रयोग गत कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल कर रहा है।

- **एनजीओ नेटवर्क** अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिकिंग से जूझने में पुलिस के लिए बहुत अच्छे औजार हैं। एनजीओं के कई मजबूत और प्रभावी नेटवर्क उपलब्ध हैं। ट्रैफिकिंग का मुकाबला करने और उसकी रोकथाम करने में मुक्त कराने, स्वदेश वापस भेजने, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा ऐसी अन्य सेवाओं और प्रक्रियाओं के लिए इन एनजीओं नेटवर्कों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। सरकारी एजेंसियाँ नियमों और प्रक्रियागत अनुशासनों से बँधी हुई होती हैं और अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में ही काम कर सकती हैं, जबकि एनजीओ इन सीमाओं से मुक्त होते हैं। बहरहाल, यदि इन सूचनाओं का उपयोग अदालत में गवाही के तौर पर होता है, तो इनका हस्तांतरण सरकारी चैनल के माध्यम से ही होना चाहिए। इसके अलावा सूचनाओं की गोपनीयता तथा एनजीओ की ईमानदारी निर्णय प्रक्रिया में प्रासंगिक मुद्दे हैं।

- **एनजीओ रिसोर्स सेंटर :** बहुत-सी एनजीओ संस्थाओं ने बृहत रिसोर्स सेंटर तथा नेटवर्क स्थापित किए हैं, जिनका उपयोग पुलिस मुद्दों को समझने तथा प्रशिक्षण तथा संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए रेफरेंस मैनुअलों और गाइड पुस्तकों की तरह कर सकती है। (*उदाहरण के लिए, मुंबई के एनजीओ प्रेरणा का रिसोर्स सेंटर*)। ये रिसोर्स सेंटर अपराधियों के खिलाफ गवाही एकत्रित करने और ट्रैफिकिंग में निहित प्रक्रियाओं को समझने में भी उपयोगी है।

- पुलिस तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का **प्रशिक्षण** : अनुभव बताता है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया में एनजीओ संस्थाओं से संबद्धता प्रशिक्षण मॉडयूल बनाने, उपयुक्त रिसोर्स-परसन प्राप्त करने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, रिसोर्स सामग्री की आपूर्ति करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण करने और प्रभाव का आकलन करने में सफल और उपयोगी रही है। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान एनजीओ 'सिक्के का दूसरा पहलू' पेश कर सकते हैं, जिससे कानून प्रवर्तक अधिकारी अपरिचित हो सकता है। इससे मुकम्मिल तस्वीर हासिल करने और मुद्दों की समग्र समझ बनाने में मदद मिलेगी।

- **शोध :** मैक्रो और माइक्रो शोध परियोजनाओं के संचालन के लिए एनजीओ संस्थाओं की सेवाएँ ली जा सकती हैं। भारत में ट्रैफिकिंग पर एनएचआरसी का शोध कार्य *इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज* नामक एक एनजीओ के माध्यम से कराया गया था। यह इस क्षेत्र में एक मैक्रो-अध्ययन

है और अपने ढंग का पहला काम है (*इस संदर्भ में बालाजी पांडेय, संलाप आदि के द्वारा किए गए अध्ययन भी देखें*)। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो माइक्रो-अध्ययन और शोध की माँग करते हैं। एनजीओ द्वारा किया गया निष्पक्ष शोध कानून प्रवर्तन की एजेंसियों को अपनी गतिविधियों और सेवाओं में संशोधन करने तथा उन्हें नई दिशा प्रदान करने में उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करा सकता है।

8
ट्रैफिकिंग की रोकथाम क्या करें, क्या न करें

रोकथाम उन सभी गतिविधियों का परम लक्ष्य है जो ट्रैफिकिंग की समस्या से जूझने के लिए की जा सकती हैं। इसमें ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों की दुबारा ट्रैफिकिंग (री-ट्रैफिकिंग) को रोकना शामिल है।

- कानून का प्रवर्तन करानेवाली प्रक्रियाएँ **ऐक्यबद्ध** और **व्यापक** होनी चाहिए। इसके लिए इन तीन पी को संयुक्त किया जाना चाहिए : **प्रॉसिक्यूशन** (अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना), **प्रोटेक्शन** (उत्पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा और देखभाल) तथा **प्रिवेंशन** (ट्रैफिकिंग की रोकथाम)। कार्य योजना का ऐसा मॉडल बनाया जाए, जिसमें इन तीनों पी का समन्वय हो। प्रत्येक पी पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और उन्हें एक-दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ा जाए।
- ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए अपराध के सभी स्थानों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :
  - **माँग बिंदु** पर रोकथाम : इसके लिए उचित जाँच, प्रॉसिक्यूशन, कन्विक्शन, माँग पक्ष से प्रभावशाली तरीके से निपटने एवं कन्विक्शन के बाद के सभी उपायों की जरूरत है। एक ही व्यक्ति की दुबारा ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उत्पीड़ितों की उचित देखभाल और सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए।
  - **पारगमन बिंदु** पर रोकथाम : जब ट्रैफिकिंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होती है, तो इसमें पारगमन (ट्रांजिट) बिंदु शामिल होते हैं। ये पारगमन बिंदु प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं - रेलवे जंक्शन, बस स्टॉप, बंदरगाह, सीमा पर स्थित प्रवेश पोस्ट आदि। गोरखपुर के गैरसरकारी संगठन **सेवा** द्वारा सनौली में स्थानीय पुलिस की साझेदारी में शुरू किया गया 'अधिकार हस्तक्षेप केंद्र' ट्रैफिकिंग की रोकथाम का एक क्लासिकल उदाहरण है। पारगमन स्थान पर अवरोधन के द्वारा नौ महीनों की अवधि में 65 लड़कियों को शोषण से बचाया गया (विवरण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पुस्तक में केस अध्ययन देखें)। पारगमन स्थानों पर एनजीओ के साथ सहयोग से भेदियों की नियुक्ति द्वारा प्रभावशाली निगरानी और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखना एक अच्छा तरीका है। पारगमन के रूट, परिवहन के साधन और शामिल व्यक्तियों के नाम जैसे विवरण उत्पीड़ितों से सावधानीपूर्वक इंटरव्यू कर और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर एकत्रित किए जा सकते हैं।
  - **स्रोत बिंदु पर रोकथाम** के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है, जैसे जोखिमग्रस्तता से निपटना, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश, नागरिक समाज और पंचायती राज संस्थानों के साथ नेटवर्किंग, जोखिमग्रस्त समूहों का सशक्तीकरण तथा रोकथाम की दिशा में पुलिस की अन्य

रणनीतियाँ। इन रणनीतियों का विवरण इस प्रकार है :

- ट्रैफिकिंग करने वालों और सभी शोषणकर्ताओं के खिलाफ कंविक्शन, सजा और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें (*इसके पहले के अध्यायों में की गई चर्चा देखें*)

- दोष-सिद्धि के बाद के कदम उठाए जाएँ, यह सुनिश्चित करें। इसमें वेश्यालयों तथा शोषण के अन्य स्थानों को बंद कराना, दोष-सिद्ध व्यक्तियों का निष्कासन, दोष-सिद्ध और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा उनके बारे में विवरण पुस्तिकाएँ, अवैध संपत्तियों की जब्ती आदि शामिल हैं (*इसके पहले के अध्यायों में की गई चर्चा देखें*)।

- **माँग फैक्टर से प्रभावशाली ढंग से निपटें। इसके लिए 'माँग' करनेवाले व्यक्तियों के अनुरूप रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक है।**

  - सभी ट्रैफिककर्ताओं और इरादतन दुरुपयोगकर्ताओं पर, जिन्हें आम तौर पर 'ग्राहक' कहा जाता है, मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके साथ ही, उन सभी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो माँग पक्ष को बनाए रखते हैं, जैसे रुपया लगानेवाले, साँठगाँठ करनेवाले, षडयंत्रकारी, बढ़ावा देनेवाले इत्यादि।

  - किशोर और युवा भी 'ग्राहक' के रूप में आते हैं और माँग पैदा करने में सहायक होते हैं। इनसे अलग तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि इन्हें जानकारी तो होती है, पर यह भी हो सकता है कि इनका इरादा शोषण करने का न हो। इस क्षेत्र की माँग से निपटने के लिए गैरसरकारी संगठनों की सहायता से सेक्सुअलिटी, जेंडर, स्त्रियों और बच्चों के अधिकार आदि मुद्दों पर ऐसे लड़कों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और एडवोकेसी के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

- **उत्पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा और देखभाल** की शुरुआत उन्हें मुक्त कराने की प्रक्रिया के आरंभ से ही हो जाती है। ये यौन शोषण के व्यापार के शिकार हैं - इन्हें अपराधी न मानें। एफआइआर सिर्फ ट्रैफिककर्ताओं और शोषणकर्ताओं के खिलाफ होनी चाहिए - उत्पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ कभी नहीं। जाँच और न्याय दिलाने की दिशा में सभी अगले कदम इसी सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इसके साथ ही, इस पर भी ध्यान दें कि उत्पीड़ित व्यक्तियों का सशक्तीकरण किया जाए और उनका उचित पुनर्वास हो। अकसर पुलिस अधिकारी सोचते हैं कि उत्पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास से उनका कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह धारणा भ्रामक है। पुलिस एक्ट के तहत अपराध की रोकथाम पुलिस का एक अनिवार्य काम है। ट्रैफिकिंग के दुहराव को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ट्रैफिकिंग के शिकार हुए व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाए।

- **री-ट्रैफिकिंग की रोकथाम :** एनएचआरसी के अध्ययन ने यह तथ्य स्थापित किया है कि मुक्त कराए गए व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या में री-ट्रैफिकिंग होती है। कारण कई हैं, जैसे पुलिस तथा अन्य अधिकारियों द्वारा उत्पीड़ित व्यक्तियों को परेशान किया जाना, अभियुक्त के रूप में इनकी गिरफ्तारी और इन्हें अपराधी की श्रेणी में डाल देना। अनुचित/अपर्याप्त पुनर्वास तथा सशक्तीकरण से जीविका के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि इन

व्यक्तियों की स्थिति कमजोर हो जाती है और ये आसानी से ट्रैफिकिंग करनेवालों के शिकार हो जाते हैं। अतएव री-ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं :

- यह जरूरी है कि मुक्त कराए गए व्यक्तियों की उचित काउंसिलिंग की जाए, उनके अधिकारों की दृष्टि से उनका सशक्तीकरण किया जाए और जीविका के पर्याप्त संसाधन, हुनर और मार्केटिंग की सुविधाओं सहित उपयुक्त विकल्प मुहैया कराए जाएँ।
- पुलिस को अन्य सरकारी विभागों (जैसे महिला विकास, शिशु विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि) तथा एनजीओं/आइएनजीओं से, जो संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तथा उन औद्योगिक निगमों से नेटवर्क करना चाहिए जो संबद्ध होना चाहेंगे एवं इन सभी को उत्पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए।
- उत्पीड़ित व्यक्तियों का नियमित रूप से हाल-चाल ले कर यह सुनिश्चित करें कि घर लौटाए गए/पुनर्वास किए गए व्यक्ति अपने समाज के साथ उचित तरीके से घुल-मिल जाएँ।
- इस पर निगरानी रखने के लिए ग्राम स्तर के पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जाए। इस काम में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करें।
- याद रखें कि री-ट्रैफिकिंग अकसर ज्ञात ट्रैफिककर्ताओं तथा उनके गिरोह के द्वारा की जाती है।

■ **जोखिमग्रस्त स्थिति के व्यक्तियों/क्षेत्रों की ओर ध्यान देना** ट्रैफिकिंग को रोकने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। पुलिस को संबंधित सरकारी और गैरसरकारी संगठनों से मिल कर सिनर्जी पैदा करनी चाहिए और निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :

- कमजोर स्थितिवाले व्यक्तियों/क्षेत्रों की पहचान करें तथा उन पर ध्यान केंद्रित करें। उनका सशक्तीकरण करें। इस पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- सर्वाधिक जोखिमग्रस्त व्यक्तियों (जैसे वेश्यालयों में पलनेवाले बच्चे) पर विशेष ध्यान दें।
- संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी को मजबूत करें तथा संभावित विश्राम/आवागमन बिंदुओं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़क किनारे के होटल (ढाबा), समुद्र तट पर स्थित सैरगाह, आदि, पर उत्पीड़ित व्यक्तियों की तलाश में रहें।
- सरकारी विभागों, बहुराष्ट्रीय निगमों आदि से नेटवर्किंग कर अधिकार-संपन्नता के कार्यक्रमों में सहयोग दें।
- जीविका के टिकाऊ विकल्प मुहैया कराने के लिए विभिन्न एजेंसियों को शामिल करें।
- सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों में मानव अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाएँ तथा सामाजिक कल्याणवाले नजरिए का परित्याग करें। इसके लिए मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। एनजीओ के सहयोग से पुलिस की स्वतः सक्रियता इस प्रकार के परिवर्तन की प्रेरणा पैदा कर सकती है।

- **अन्य सरकारी एजेंसियों से नेटवर्किंग :** कार्य-क्षेत्र के अनुसार महिला और शिशु विकास, समाज कल्याण, सीमाओं की देखरेख करनेवाली अर्ध-सैनिक एजेंसियों, जैसे बीएसएफ, आइटीबीपी इत्यादि, के साथ साझेदारी आवश्यक है। वस्तुतः यह पारस्परिक सहयोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। बीएसएफ जैसी एजेंसियों में ट्रैफिकिंग-विरोधी सेल होना चाहिए, जिसका नेटवर्क राज्यों की पुलिस व्यवस्थाओं, मानव अधिकार आयोगों, एनजीओ आदि तक विस्तृत होना चाहिए। इसी तरह, पुलिस एजेंसियों को मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग आदि के साथ नेटवर्क कायम करना चाहिए, ताकि ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाइयाँ अर्थपूर्ण, असरदार और संस्थानीकृत हो सकें।

- **नागरिक समाज के सदस्यों से नेटवर्किंग :** चूँकि इन सभी क्षेत्रों में प्रयासों का समन्वय जरूरी है, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को एनजीओ, सीबीओ, सामाजिक एक्टिविस्टों, अकादमिक क्षेत्र के व्यक्तियों, वकीलों आदि के साथ सिनर्जी विकसित करनी चाहिए। जोखिमग्रस्तता पैदा करनेवाली स्थितियों की पहचान करने और उन पर ध्यान देने, शोषणकर्ताओं पर निगरानी रखने और जागरूकता/सशक्तीकरण के कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाएँ एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। तमिलनाडु (सामाजिक सुरक्षा विभाग) ने इस दिशा में एक श्रेष्ठ मॉडल विकसित किया है।

- **लापता व्यक्तियों का मुद्दा :** 'ट्रैफिकिंग' और 'लापता व्यक्तियों' के बीच मजबूत कड़ी होती है। ट्रैफिकिंग पर एनएचआरसी की शोध रिपोर्ट (2004) से पता चलता है कि एक वर्ष में 30,000 से अधिक बच्चों के लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और इनमें से एक-तिहाई का पता नहीं चल पाता। अध्ययन ने उदाहरणों के साथ स्थापित किया है कि इन 'लापता' बच्चों में से बहुत-से वस्तुतः ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं। अतः ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए ये कदम उठाना जरूरी है :

  - 'लापता' व्यक्तियों और 'ट्रैफिकिंग' के शिकार व्यक्तियों के बीच की कड़ियों को समझिए, क्योंकि जिनके बारे में 'लापता' होने की रिपोर्ट की जाती है, असल में उनमें से बहुतों की ट्रैफिकिंग हुई होती है।
  - वेश्यालयों और शोषण के अन्य स्थानों से मुक्त कराए गए व्यक्तियों की सूची और भारत में कहीं से भी लापता बताए जानेवाले व्यक्तियों की सूची से मिलान कीजिए।
  - दोनों के बीच मौजूद कड़ियों से ट्रैफिकिंग करनेवालों, ट्रैफिकिंग के रूट और ट्रैफिकिंग की प्रक्रियाओं को उजागर करने में सहायता मिलेगी।
  - लापता स्त्रियों और बच्चों का फॉलो अप तब तक करते रहें जब तक किसी तार्किक निष्कर्ष पर न पहुँचा जा सके। इस मुद्दे की जड़ों तक जाने के लिए और खोए हुए व्यक्ति को मुक्त कराने/वापस ले जाने/प्राप्त करने के लिए विशेष टीम बनाएँ। इस प्रक्रिया में सभी कड़ियों का फॉलो अप करें ताकि, आदमी को लापता करने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा दिलवाई जा सके। जरा भी संदेह हो, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बाकायदा एफआइआर रजिस्टर करनी चाहिए और जाँच कार्य जारी रखना चाहिए।
  - अक्सर यह देखा जाता है कि ट्रैफिक किए गए व्यक्ति को ही दोषी करार दिया जाता है मानो

'खो जाने के लिए' वह खुद ही जिम्मेदार हो। इस बात का एहसास होना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में लापता बच्चे समाज के जोखिमग्रस्त वर्गों से आते हैं - ये वे बच्चे हैं जिन्हें सारतः 'देखभाल और सुरक्षा' की आवश्यकता है।

- लापता बच्चों के विवरण उन पुलिस एजेंसियों और एनजीओ को दें, जो ट्रैफिक किए गए व्यक्तियों को मुक्त कराने में लगे हुए हैं, ताकि वे भी 'फॉलोअप' कर सकें।
- कड़ियों की पहचान के लिए एनजीओ/हेल्पलाइन/चाइल्डलाइन आदि से नेटवर्किंग करें। लापता व्यक्तियों के आँकड़ा कोश का विस्तार कर ट्रैफिक किए गए और मुक्त कराए गए व्यक्तियों के साथ उसका समन्वय करें।
- किसी भी एक क्षेत्र में एक खास अवधि में लापता व्यक्तियों की मैपिंग करें (जैसे, पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि तक) और उनका पता लगाने के लिए विशेष ऑपरेशन संचालित करें। देश के किसी भी हिस्से में ले जानेवाली कोई एक कड़ी भी बहुत-से लापता व्यक्तियों का पता लगाने में सुराग का काम कर सकती है।

■ **सीआरपीसी की निवारक धाराओं का उपयोग करें :** सीआरपीसी की धारा 110 में अपराधों के निवारण के लिए काफी गुंजाइश है। ये शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई हैं। मजिस्ट्रेट किसी को भी अच्छे व्यवहार के लिए बंधित कर सकता है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 111, 116, 121 और 122 के तहत उठाए गए कदम संभावित अपराधियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई का काम कर सकते हैं।

■ **हेल्पलाइन :** पुलिस प्रबंधकों (खासकर एसएसपी, डीसीपी) को चाइल्डलाइन, महिलाओं की हेल्पलाइन इत्यादि मौजूदा हेल्पलाइनों से समुचित तथा क्रियात्मक नेटवर्क स्थापित करना चाहिए। त्वरित कार्रवाई के लिए ऐसी हेल्पलाइनों को पुलिस नियंत्रण कक्षों और स्टेशनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

■ **थानों का सुदृढ़ीकरण :** कार्रवाई प्रणालियों के संस्थानीकरण के लिए आवश्यक है कि थानों का, जो पुलिस प्रशासन और लोक सेवा की बुनियादी इकाइयाँ हैं, सुदृढ़ीकरण किया जाए। थानों को आवश्यक मानवीय और भौतिक संसाधनों से शक्ति-संपन्न बनाने के अलावा नियमित प्रशिक्षण तथा चर्चा के द्वारा उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। एसटीएफ की क्रियात्मकता तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तौर-तरीके यहाँ भी लागू होते हैं।

■ **स्थानीय सरकारों को शामिल करें :** पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय लोगों पर काफी प्रभाव होता है। इसलिए निवारक रणनीतियों की दिशा में उनकी सेवाओं का प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। तमिलनाडु ने 2002 में जारी एक सरकारी आदेश के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसके बाद पंचायत सदस्यों के लिए ट्रैफिकिंग की रोकथाम पर प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं। यह मॉडल दूसरों के द्वारा भी अपनाया जा सकता है। पुलिस अफसरों को पंचायती राज संस्थाओं के साथ नेटवर्क करना चाहिए, उनका अभिमुखीकरण किया जाना चाहिए, उन्हें संवेदनशील बनाना चाहिए और ट्रैफिकिंग - प्रतिरोधक गतिविधियों में उन्हें शामिल करना चाहिए। सभी स्टेकधारियों और पंचायती राज संस्थाओं को इन्वॉल्व करते हुए जिला और

ग्राम स्तर की निगरानी समितियाँ डीएम/एसपी के द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।

- **आँकड़ा कोश :** अपराध प्रबंधन का एक आवश्यक पहलू है समुचित आँकड़ा कोश विकसित करना। यह न केवल ट्रैफिकिंग का मुकाबला करने के लिए, बल्कि उसे रोकने के लिए भी बेहद जरूरी है। फिलहाल आँकड़ा कोश का अभाव कानून प्रवर्तन की राह में एक प्रमुख बाधा है। चूँकि गवेषणा (जाँच) अधिकारी कमोबेश अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं, एसपी/डीएसपी जैसे पुलिस प्रबंधकों तथा उच्चतर इकाइयों को न केवल ट्रैफिककर्ताओं और शोषणकर्ताओं के बारे में, बल्कि उत्पीड़ितों और उत्तरजीवियों के बारे में भी आँकड़ा कोश विकसित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। आँकड़ा कोश में ये सूचनाएँ शामिल होनी चाहिए - अपराधियों के बारे में पूरा विवरण, ट्रैफिककर्ताओं का कार्य क्षेत्र, उनके नेटवर्क, स्रोत, पारगमन, लक्ष्य बिंदु के विवरण इत्यादि। इस कोश का नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) करना चाहिए। आँकड़ा कोश का दूसरा पहलू है आँकड़ों का विश्लेषण। इससे आपराधिक आसूचना का विकास करने में सहायता मिलेगी। आँकड़ा कोश का तीसरा पहलू है सभी संबद्ध पक्षों से आपराधिक आसूचना की साझेदारी और ट्रैफिकिंग से संघर्ष करने और उसे रोकने के लिए समुचित कार्रवाई शुरू करने की पहल करना। आँकड़ों और आसूचना का मिलान, विश्लेषण और प्रसार पुलिस कार्य के प्रोफेशनल पहलू हैं। अतएव इनकी जिम्मेदारी पुलिस प्रबंधकों की ही है। इस क्षेत्र में काम कर रहे गैरसरकारी संगठनों को शामिल करना और उपर्युक्त सभी गतिविधियों में पूर्ण रूप से उन्हें जोड़ना अपेक्षित है।

- **मानव ट्रैफिकिंग विरोधी एकक :** ट्रैफिकिंग के विभिन्न आयामों की गहरी समझ स्पष्टतः ट्रैफिकिंग का निवारण और मुकाबला करने में बहु-स्टेकधारियों की साझेदारी की मूलभूत आवश्यकता पर फोकस करने की ओर ले जाएगी। कानून प्रवर्तन की एजेंसियों को अन्य विभागों, जैसे स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम, महिला एवं शिशु विभाग, सुधार प्रशासन विभाग, विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएँ इत्यादि, से निकट संबंध बनाए रखने की जरूरत है। इन सरकारी एजेंसियों को भी चाहिए कि इस क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठनों से आवयविक साझेदारी विकसित करें। पुलिस प्रबंधकों, खासकर एसपी/डीएसपी, को इन सभी संस्थाओं और विभागों से पुलिस की नजदीकी साझेदारी विकसित कर एक मानव ट्रैफिकिंग विरोधी एकक गठित करना चाहिए। इस तरह की इकाई, वर्तमान परिस्थिति में, ट्रैफिकिंग को रोकने और उसका मुकाबला करने में सर्वोत्तम यंत्र है। मानव ट्रैफिकिंग विरोधी इकाई में रखे जाने वाले अधिकारियों और गैरसरकारी संगठनों को विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा अभिमुखीकृत किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्टेकधारी की भूमिका को परिभाषित करने के लिए नियमावली बनाई जानी चाहिए। इस इकाई का दायरा बढ़ा कर इसमें औद्योगिक निगमों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे न केवल कार्यक्रमों के संचालन के लिए कोष संग्रह में, बल्कि उत्तरजीवियों के सशक्तीकरण में उपयुक्त समर्थन तथा सहयोग देने, उनकी सेवाओं का उपयोग उत्पादक गतिविधियों के लिए करने, उनके द्वारा पैदा किया गया सामान बिकवाने आदि में अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की सेवाएँ दे सकें।

9
आसूचना संग्रह और उसका प्रसार

ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है। अतः ट्रैफिकिंग का निवारण और उससे मुकाबला तभी संभव है जब कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियाँ उसके साथ जुड़े मुद्दों पर संगठित अपराधों की दृष्टि से काम करें। किसी भी संगठित अपराध का एक आवश्यक पहलू यह होता है कि अपराध कई होते हैं और अपराधी भी कई होते हैं तथा उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कड़ियाँ आपस में जोड़ती हैं। अतः किसी एक अपराध की तफतीश अन्य अपराधों और अन्य अपराधियों की ओर ले जाती है। इसी प्रकार, किसी एक संदिग्ध/अपराधी की जाँच अन्य अपराधों/अपराधियों की ओर ले जानी चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली आसूचना को आपस में मिलाया जाए, समेकित किया जाए और प्रसारित किया जाए। चूँकि अपराधों की तफतीश अधिकांशतः पुलिस पदानुक्रम में जूनियर स्तर पर की जाती है, जिसकी नेटवर्किंग और संपर्क का दायरा विस्तृत होने की संभावना कम होती है - खासकर उनके सीमित क्षेत्राधिकार के बाहर, पुलिस प्रबंधकों/नेताओं को आपराधिक आसूचना के समेकन और प्रसार की दिशा में पहल करनी चाहिए। ट्रैफिकिंग के आयामों को देखते हुए आसूचना संग्रह का दायरा अत्यंत व्यापक होना चाहिए - इसे स्रोत, पारगमन और लक्ष्य बिंदु के अलग-अलग खानों में नहीं बाँटा जा सकता। इसके अलावा, आसूचना में रणनीतिक (स्ट्राटेजिक) और रणकौशल से संबंधित (टैक्टिकल) दोनों प्रकार के तत्व होने चाहिए।

रणनीतिक सूचना ट्रैफिकिंग की प्रवृत्तियों और आयामों का आकलन करने, नीति निर्माण की योजना बनाने, संसाधनों (मानवीय, वित्तीय और तकनीकी) के आवंटन, मीडिया और जनता के बीच जागरूकता फैलाने, रणनीतिक संसाधनों (अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग) को चिन्हित करने और विभिन्न स्टेकधारियों के लिए प्रशिक्षण के मॉडयूल तथा कार्यक्रम बनाने के लिए आवश्यक है। रणनीतिक सूचना के दायरे में कमजोर स्थिति के क्षेत्रों और व्यक्तियों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल आता है, जिसमें वे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक फैक्टर, जिनकी ट्रैफिकिंग में भूमिका है तथा भौगोलिक फैक्टर, जो ट्रैफिकिंग को आसान बनाते हैं, शामिल हैं।

रणनीति से जुड़ी सूचना उत्पीड़ित व्यक्तियों को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने में मदद करती है, जाँच कार्य के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सिनर्जीयुक्त गतिविधियों को सुविधा प्रदान करती है, कानून प्रवर्तन की एजेंसियों को प्रशिक्षित करने के लिए सामग्री मुहैया करती है और ट्रैफिकिंग का सामना करने के लिए सभी गतिविधियों में मूल्य-वृद्धि करती है। धंधा चलाने के विभिन्न पहलुओं पर जमा की जानेवाली आसूचना का दायरा काफी बड़ा है : जाल में फँसाने के तरीके (इनमें मीडिया में विज्ञापन शामिल है), यात्रा के दस्तावेज (अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिकिंग के मामले में), रूट, यात्रा का माध्यम और समय, पड़ाव के स्थान और समय, ट्रैफिकिंग में शामिल व्यक्ति और पैसा तथा वर्तमान अनुक्रिया प्रणालियों में मौजूद समस्याएँ और चुनौतियाँ।

आसूचना संग्रह करने की प्रक्रियाएँ मानवीय और तकनीकी, दोनों हैं। स्वर्णिम नियम यह है कि पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे :

- सतर्क रहें
- प्राप्त सूचनाओं की प्रमाणिकता की जाँच करने के लिए उन्हें वेरिफाइ करें
- प्राप्त सूचनाओं का वस्तुपरक मूल्यांकन करें
- सूचनाओं की गोपनीयता की रक्षा करें
- स्रोतों को उजागर न होने दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें
- आसूचना संग्रह के लिए अपने स्रोतों को सुविधाएँ प्रदान करें
- क्रियात्मक आसूचना विकसित करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का मिलान और विश्लेषण करें
- क्रियात्मकता के विभिन्न स्तरों तक सूचना का प्रसार करें
- गतिविधियों और कार्य-निष्पादन (परफॉर्मेंस) पर निगरानी रखें
- फीडबैक विकसित करें और उसकी रोशनी में आसूचना का मूल्यांकन तथा उसमें सुधार करें, और
- ट्रैफिकिंग की रोकथाम और उसका सामना करने की गतिविधियों के साथ आसूचना का संयोजन करें।

सूचना के बहुत-से स्रोत ऐसे हैं जिनका पता अकसर ट्रैफिकिंग करनेवालों के नेटवर्क से ही चलता है। प्रोटोकोल का पालन करने तथा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद ट्रैफिकिंग करनेवालों के बीच संवाद पर निगरानी रखें। ट्रैफिकिंग करनेवालों, खासकर ट्रैफिकिंग के लिए सजायाफ्ता व्यक्तियों की, निगरानी से बहुत-सी सूचनाएँ मिलती हैं। लड़कियों और स्त्रियों को फँसाने की जगहों, रास्ते में ठहरने की जगहों इत्यादि के गवाह अतिरिक्त सूचनाएँ प्रदान करते हैं। उत्पीड़ित और मुक्त कराए गए व्यक्तियों से बातचीत सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। काउंसिलर तथा उद्धारगृहों इत्यादि में सेवाएँ प्रदान करनेवाले व्यक्ति यौन उत्पीड़न की शिकार और मुक्त कराई गई महिलाओं से बहुत-सी सूचनाएँ हासिल कर सकते हैं। एनजीओ नेटवर्क, पंचायती राज संस्थाएँ इत्यादि भी जमीनी स्तर से आसूचना के संग्रह में मदद कर सकते हैं।

चूँकि सरकारी माध्यमों से सूचना का अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान औपचारिकतापूर्ण होता है और इसमें समय लगता है, अतः बहुत-से एनजीओं ने अनौपचारिक नेटवर्क बनाए हैं जो समय पर आसूचना के प्रसार में बेहद उपयोगी हो सकते हैं। इन अनौपचारिक प्रणालियों को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे नेटवर्कों के कुछ उदाहरण हैं एटीएसईसी, सीबीएटीएन, एनएएससीईटी आदि। भारत के कई राज्यों तथा नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इनके संपर्क हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एटीएसईसी के नेटवर्क ने आसूचना के संग्रह और प्रसार में निर्णायक योगदान किया है, जिसकी मदद से मुक्त कराए गए व्यक्तियों की समय पर देखभाल की गई है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग को रोका गया है, ट्रैफिकिंग करनेवालों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सुविधा हुई है (*विवरण के लिए*

देखें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पुस्तक में दिए गए केस अध्ययन)। इसी प्रकार, **सपाट** यूनिफेम द्वारा समर्थित एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पुलिस अधिकारी, एनजीओ, एक्टिविस्ट, अकादमिक समुदाय के लोग, वकील आदि प्रोफेशनल शामिल हैं। सीमा-पार की आसूचना के प्रसार के लिए इस नेटवर्क की सहायता ली जा सकती है।

ट्रैफिकिंग करनेवालों तथा ट्रैफिकिंग के अन्य पहलुओं के बारे में भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस एजेंसियों के बीच आसूचना के विनिमय की वर्तमान स्थिति में सुधार की काफी गुंजाइश है। इसके लिए कोई सांस्थानिक तंत्र नहीं है - सिवाय कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई तदर्थ पहलों के। इसलिए एक राज्य के किसी स्थान से किसी उत्पीड़ित व्यक्ति को मुक्त कराने की कोई प्रतिध्वनि दूसरे राज्य में नहीं सुनाई पड़ती जहाँ से उस व्यक्ति की ट्रैफिकिंग हुई थी। कानूनी तथा अधिकार-क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाओं से बँधे हुए जाँच अधिकारी एक सीमा से आगे नहीं जा पाते। अतः पुलिस प्रशासकों, पुलिस व्यवस्थापकों और पुलिस नेतृत्व का यह दायित्व है कि वे समयोचित और प्रभावी आसूचना संग्रह, प्रसार तथा फॉलो-अप की कार्रवाई के लिए कारगर और सांस्थानिक तंत्र विकसित और स्थापित करने की दिशा में पहल करें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ट्रैफिकिंग के मुद्दों से निपटने के लिए राज्यों को दो नोडल अधिकारी चिह्नित करने की सलाह दी थी - एक जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता हो और दूसरा जो पुनर्वास, परवर्ती देखभाल, सशक्तीकरण इत्यादि में शामिल अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व करता हो। राज्यों द्वारा इन नोडल अधिकारियों को चिह्नित किया जा चुका है। उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली में इन नोडल अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। बीपीआरडी के साथ मिल कर यूएनओडीसी ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संगठित किया। इन अधिकारियों को आपस में नेटवर्किंग करने की पहल करनी चाहिए और ट्रैफिकिंग की रोकथाम और उसका मुकाबला करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। स्रोत/पारगमन/लक्ष्य बिंदुओं की कड़ियों वाले राज्यों को आपस में नियमित संवाद माध्यम बनाए रखना चाहिए।

राज्यों में स्थापित किए जाने वाले आँकड़ा कोश (*पिछले अध्याय में की गई चर्चा देखें*) आसूचना संग्रह और प्रसार का एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगे। इसलिए पुलिस प्रबंधकों को इन आँकड़ा कोशों को विकसित और अद्यतन करने तथा इनके प्रसार और ऐसी आसूचना का विकास करने पर, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सके, विशेष ध्यान देना चाहिए। सजायाफ्ता ट्रैफिककर्ताओं और उनके नेटवर्कों के बारे में आँकड़ा संग्रह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके बारे में सभी ब्यौरे जमा करना और उन पर निगरानी रखना आसूचना संग्रह तथा ट्रैफिकिंग की रोकथाम के प्रभावशाली औजार हो सकते हैं।

10
मीडिया से संपर्क क्या करें, क्या न करें

गोपनीयता सीआरपीसी की धारा 327 और जेजे एक्ट की धारा 21 के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। जेजे एक्ट कहता है – इनमें ट्रैफिक किए गए बच्चे भी शामिल हैं – कि देखभाल की जरूरतवाले सभी बच्चों का परिचय गोपनीय रखा जाए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 26 मई 2004 के अपने फैसले (*साक्षी* बनाम *भारत सरकार*) में सीआरपीसी की धारा 327 के दायरे को बच्चों पर यौन आक्रमण के सभी अपराधों तक विस्तृत कर दिया है - इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें सीएसई का शिकार बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों और प्रॉसिक्यूटरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के इन निर्देशों का पालन हो, ताकि बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो सके।

मीडिया एक महत्वपूर्ण स्वतःसक्रिय भूमिका अदा कर सकता है। गवेषणा अधिकारियों और पुलिस व्यवस्थापकों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मीडिया के जरिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित सूचनाओं के लक्ष्योन्मुख प्रसार से -

- सामान्य लोगों का, खासकर कमजोर वर्गों का, सशक्तीकरण होगा।
- विभिन्न मुद्दों पर उनकी जागरूकता और सतर्कता बढ़ेगी।
- 'चुप्पी की संस्कृति' से बाहर आने और 'शून्य सहनशीलता' की संस्कृति की ओर बढ़ने में उनकी सहायता होगी।
- ट्रैफिकिंग की रोकथाम और उसका सामना करने की प्रक्रिया में वे शामिल होंगे।
- अधिकारों के हनन की समस्या से जूझने में उनकी स्वैच्छिक हिस्सेदारी में सहूलियत होगी।
- ट्रैफिककर्ताओं और शोषणकर्ताओं के बारे में आसूचना प्राप्त होगी।
- विभिन्न संबंधित मुद्दों से निपटने में कानून का प्रवर्तन करनेवाली एजेंसियों तथा अन्य स्टेकधारियों को मूल्यवान सामग्री मिलेगी। उदाहरण के लिए, ट्रैफिकिंग पर एनएचआरसी की रिपोर्ट (*पूर्वोक्त*) में सूचीबद्ध केस अध्ययन दिखाते हैं कि मीडिया के हस्तक्षेप ने मेघालय में ट्रैफिकिंग-प्रतिरोधी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया है। जिन बच्चों के बारे में 'लापता' होने की रिपोर्ट लिखाई जाती थी, वास्तव में उनकी ट्रैफिकिंग हुई थी। इस तरह, जो राज्य (मेघालय) यह दिखाता था कि हमारे यहाँ 'आइटीपीए के अंतर्गत कोई अपराध नहीं' हुआ है, वहाँ से ट्रैफिकिंग के कई मामले सामने आने लगे, जिनकी रिपोर्ट एनजीओ (खासकर **इनगॉन** नेटवर्क) को दी जाने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि ट्रैफिकिंग की रोकथाम और उसका सामना करने में सहयोग देना न केवल मीडिया की जबरदस्त जिम्मेदारी है, बल्कि यह मीडिया

को बहुत बड़ा जनादेश है। उसमें इसके लिए काफी गुंजाइश भी है। यह मीडिया में काम कर रहे व्यक्तियों और पुलिस व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है कि वे मिलजुल कर काम करने के लिए समुचित नेटवर्क बनाएँ और आगे की कार्रवाई करें। इस सिलसिले में निम्नलिखित गतिविधियों की पहल की जा सकती है :

- बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों और अदालती फैसलों के प्रति मीडिया में काम कर रहे व्यक्तियों को संवेदनशील बनाएँ।
- मीडिया से संपर्क और घनिष्ठता बनाएँ, ताकि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।
- पुलिस तथा गैरसरकारी संगठनों सहित अन्य स्टेकधारियों द्वारा प्रस्तुत अनुकरणीय उदाहरणों का पर्याप्त प्रचार करें।
- ट्रैफिकिंग करनेवालों तथा अन्य शोषणकर्ताओं को सजा मिलने पर इसका पर्याप्त प्रचार करें। नाम लेने और शर्मिन्दा करने का निश्चित अवरोधक प्रभाव पड़ता है।
- ट्रैफिकिंग करनेवालों द्वारा अपनाई जानेवाली विभिन्न कार्य-पद्धतियों के बारे में मीडिया को सूचित करें, ताकि जनसाधारण में, खासकर समाज के कमजोर वर्गों में, ट्रैफिकिंग के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो सके।
- लापता व्यक्तियों और ट्रैफिकिंग किए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए मीडिया का उपयोग करें, ताकि उनका पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने में सूचना तथा आसूचना का संग्रह किया जा सके।
- सांस्कृतिक/धार्मिक/परंपरागत प्रथाओं द्वारा मान्य ट्रैफिकिंग का सामना करने के लिए मीडिया की सहायता लें।
- यौन शोषण की माँग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए मीडिया का सहयोग लें। स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों का हनन रोकने में जनमत और जन सतर्कता महत्वपूर्ण औजार बन सकते हैं।
- सेक्सुअलिटी, जेंडर तथा स्त्रियों एवं बच्चों के अधिकारों से जुड़े मसलों पर किशोर तथा युवा वर्ग को जागरूक बनाने में मीडिया बड़ी भूमिका निभा सकता है। न केवल ट्रैफिकिंग तथा स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों के हनन को रोकने में, बल्कि सभी प्रकार के अधिकार-हनन के प्रति शून्य सहनशीलता विकसित करने में इसका योगदान हो सकता है।
- उत्पीड़ित व्यक्तियों का परिचय गोपनीय रखने के लिए मीडिया के साथ संपर्क बनाएँ। उत्पीड़ित व्यक्तियों का फोटोग्राफ लेने और उसके सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकें। इनके अधिकारों का हनन न हो, यह सुनिश्चित करें।
- इस प्रक्रिया में शामिल पुलिस विभाग व अन्य सरकारी विभागों तथा गैरसरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ सांस्थानिक नेटवर्क तथा मीडिया की सिनर्जी विकसित करें। इसमें अकादमिक क्षेत्रों के लोगों, शोधकर्ताओं, सक्रिय कार्यकर्ताओं, वकीलों परामर्शदाताओं,

चिकित्सा क्षेत्र के प्रोफेशनल लोगों, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं और मानव ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कार्यरत अन्य एजेंसियों को भी शामिल करें।

परिशिष्ट 1
कानून के तत्व और संभावित साक्ष्य : चेकलिस्ट

कानून की धारा (आइटीपीए)	कानून के तत्व	इस स्थिति में किस तरह का साक्ष्य मिल सकता है
धारा 3 : वेश्यालय चलाना या वेश्यालय के रूप में किसी स्थान का उपयोग करने की अनुमति देना	❑ कि वह स्थान वेश्यालय है ❑ कि वह व्यक्ति या तो वेश्यालय का मालिक या संचालक या प्रबंधक या कब्जेदार है अथवा वेश्यालय चलाने या उसका प्रबंध करने में सहायक है ❑ वेश्यालय का मालिक, प्रबंधक और इमारत का मालिक (यदि उसे जानकारी है) इस धारा के तहत अभियुक्त हैं	■ उस समूह के किसी भी सदस्य को अदालत दोषी ठहरा चुकी हो ■ किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में (कभी भी) प्रकाशित रिपोर्ट कि उस इमारत के किसी हिस्से का इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में होता रहा है (पहले के किसी सर्च के दौरान यह बात सामने आई हो) ■ पहले की सर्च सूची की प्रति, जो संबद्ध व्यक्ति को दी गई थी ■ जमीन के कागजात, रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज, लीज के कागजात ■ किराए, पानी पर कर/उपकर, बिजली, टेलीफोन आदि के भुगतान की रसीदें ■ मतदाता सूची, राशन कार्ड, बैंक खाते ■ वेश्यालय में प्राप्त सभी दस्तावेज ■ उत्पीड़ित व्यक्तियों के बयान, उनकी मेडिकल जाँच की रिपोर्टें, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रोफाइल आदि ■ अन्य गवाहों के बयान नोट : यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान का इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में करने की अनुमति देता है, तो कानून यह मान कर चलता है कि उसे वेश्यालय के रूप में उस स्थान के इस्तेमाल की जानकारी थी - अगर कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किया जाए
धारा 4 : वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीना	❑ व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक है ❑ आय का स्रोत दूसरों से वेश्यावृत्ति कराना है, भले ही उसकी आय का एक हिस्सा हो इस स्रोत से आता हो। ❑ या वह व्यक्ति किसी वेश्या के साथ रहता है ❑ या वह आदतन किसी वेश्या की संगत में रहता है	■ आय के कागजात, भुगतान की रसीदें, खर्च के वाउचर ■ खाते, बिजनेस में सामान्यतः रखे जानेवाले दस्तावेज ■ पहले कभी उसे दोषी पाया गया हो, उसके खिलाफ दाखिल आरोप पत्रों पर ट्रायल बाकी हो। ■ उत्पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट ■ उत्पीड़ितों का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल

	❑ या सहायता, दुष्प्रेरित करने, बाध्य करने आदि के जरिए वेश्याओं पर उसका नियंत्रण है ❑ या वह वेश्याओं की दलाली करता है नोट : उपर्युक्त स्थिति में यह मान कर चला जाएगा कि वह वेश्यावृत्ति की कमाई पर गुजर करता है	
धारा 5 : उपलब्ध करना, प्रेरित करना या वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों को ग्रहण करना	❑ उपलब्ध करना या इसकी कोशिश करना (सहमति से या उसके बगैर) ❑ किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना ❑ किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यावृत्ति करने का कारण बनना नोट : 1. प्रयास भी दंडनीय है। 2. यदि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपराध किया गया है या वह बालक/बालिका है, तो सजा ज्यादा कड़ी होगी। अपराध की सजा किसी भी स्थान पर दी जा सकती है - जहाँ से ट्रैफिकिंग की शुरुआत हुई है, पारगमन के सभी स्थानों पर या जहाँ उसे ले जाया गया है	■ ट्रैफिक किए गए व्यक्ति की उम्र ■ सहमति या उसका अभाव ■ यदि सहमति दबाव डाल कर, जबरदस्ती, धमका कर या छल से हासिल की गई हो ■ कि ट्रैफिककर्ता/शोषणकर्ता उत्पीड़ित व्यक्ति को उसके समुदाय से बाहर ले आया हो ■ ट्रैफिककर्ता/शोषणकर्ता का इरादा या उसकी जानकारी वेश्यालय से या वहाँ के लोगों से उसके संपर्क या मेल-जोल से साबित की जा सकती है ■ ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति की मेडिकल जाँच ■ उत्पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल जाँच ■ यौन आक्रमण सिद्ध करने के लिए दुरुपयोगकर्ताओं की मेडिकल जाँच ■ गंतव्य बिंदु के विवरण जैसे वेश्यालय या अन्य ऐसे स्थान, जहाँ अन्य गतिविधियों (जैसे मसाज पार्लर आदि) की आड़ में यौन शोषण होता है ■ स्रोत बिंदु के विवरण, जहाँ से व्यक्ति को ट्रैफिक किया गया था या इसकी कोशिश की गई थी ■ पड़ाव के स्थान, रुकने की जगहें आदि ■ परिवहन का माध्यम, परिवहन करनेवालों के बयान, यात्रा के कागजात जैसे रेल का टिकट आदि ■ मौद्रिक लेनदेन के दस्तावेज ■ ट्रैफिकिंग का पूरा रूट, शोषण के स्थानों तथा शोषकों की भूमिका का पूरा मानचित्र
धारा 6 : जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, उस स्थान पर किसी व्यक्ति को कैद रखना	❑ किसी व्यक्ति को, उसकी सहमति से, या सहमति के बिना, कैद रखना ❑ किसी वेश्यालय में ❑ या किसी भी स्थान पर - यौन शोषण के	■ वह जगह वेश्यालय या यौन शोषण के व्यापार की जगह है, इसका प्रमाण ■ पहले की रिपोर्टें, मौखिक बयान, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन/रिपोर्ट आदि, जमीन के कागजात, बिजली/टेलीफोन/पानी के बिल आदि ■ उत्पीड़ित व्यक्ति की उम्र के बारे में मेडिकल जाँच की रिपोर्ट

	इरादा से ❑ उस व्यक्ति की उम्र ❑ उस व्यक्ति की सहमति ❑ सहमति थी, तो जाँच करनी चाहिए कि वह डरा कर, जबरन, शक्ति, लालच, धोखेबाजी आदि से तो प्राप्त नहीं की गई थी ❑ आरोपित व्यक्ति का इरादा/जानकारी ❑ भौतिक रोक आवश्यक नहीं है। नियंत्रण/समझाना-बुझाना/प्रभाव आदि काफी हैं	■ उत्पीड़ित व्यक्तियों की मनोवैज्ञनिक स्थिति ■ वेश्यालय संचालकों तथा अन्य शोषकों द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति को पहुँचाया गया नुकसान, जैसे उसके गहने, पैसे, कपड़े आदि छीन लेना, उसे उधार दे कर बँधुआ बना लेना ■ उसे दी गई धमकियों के विवरण नोट : कुछ वेश्यालयों में उत्पीड़ितों से ले लिए गए सामान का विवरण मैनेजर रखते हैं। ऐसे कागजात भी होते हैं, जिनमें वेश्यालय में हुए सौदों, आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखा जाता है। उत्पीड़ितों के उधार - बँधुआपन के दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों की अच्छी तरह जाँच की जानी चाहिए तथा इन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना चाहिए।
धारा 7 : सार्वजनिक स्थानों पर या उनके आसपास वेश्यावृत्ति	❑ वेश्यालय या शोषण के स्थान का होना ❑ उसका नोटिफाइड क्षेत्र के भीतर या उपासना स्थल/शिक्षण संस्थान/छात्रावास/अस्पताल/नर्सिंग होम या पुलिस आयुक्त, डिस्ट्रिक्स मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा नोटिफाइड ऐसे किसी भी स्थान से दो सौ मीटर के भीतर होना ❑ कैद किया हुआ व्यक्ति बच्चा या नाबालिग हो, तो और कड़ी सजा ❑ यदि अपराध किसी होटल में होता है, तो उस होटल का लाइसेंस स्थगित या रद्द किया जा सकता है ❑ सार्वजनिक स्थान का संचालक, किराएदार, लीजधारी, कब्जाधारी या मैनेजर और मालिक, लीजकर्जा, भूस्वामी या उसके एजेंट भी	■ पहले की रिपोर्टें/विज्ञापन, समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें ■ कॉलम 2 में उल्लिखित स्थानों (स्कूल, अस्पताल, उपासना स्थल आदि) का अस्तित्व साबित करनेवाले साक्ष्य ■ कॉलम 2 में उल्लिखित स्थानों से वेश्यालय या शोषण स्थल से दूरी का भौतिक माप ■ कैद व्यक्ति की उम्र ■ उत्पीड़ितों के विस्तृत बयान ■ उत्पीड़ित का मनोवैज्ञनिक प्रोफाइल ■ अगर उस स्थान का प्रयोग होटल की तरह होता है, तो यह स्थापित करनेवाले दस्तावेज ■ उत्पीड़ित की मेडिकल जाँच ■ शोषण स्थल से आरोपित व्यक्ति का संबंध स्थापित करनेवाले दस्तावेज, जैसे स्वामित्व सिद्ध के लिए टाइटल, डीड, लीजकर्ता या लीजधारी साबित करने के लिए लीज डीड, आमदनी, खर्च और उनसे कौन लाभान्वित होनेवाले हैं, यह बताने के लिए बही-खाते ■ आसपास चलाए जा रहे वेश्यालय द्वारा प्रभावित/हानिग्रस्त व्यक्तियों (व्यापारिक यौन शोषण के शिकारों को छोड़ कर), जैसे पुजारियों, पादरियों, अस्पताल के कर्मचारियों, निवासियों आदि, के बयान

	जिम्मेदार हैं - बशर्ते उन्हें जानकारी थी या उनका इरादा था	
धारा 8 : वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से प्रलुब्ध करना, आमंत्रित करना	❑ किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या वहाँ से दिखाई देनेवाले स्थान पर या इस तरीके से कि दिखाई या सुनाई दे ❑ किसी मकान के भीतर या बाहर ❑ वेश्यागमन के लिए किसी व्यक्ति को ललचाती या आकर्षित करती है	■ यह साबित करने के लिए कि यह सार्वजनिक स्थान है, धारा 7 के तहत पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित साक्ष्य ■ अभियुक्त का इरादा/जानकारी महत्वपूर्ण है तथा बयान में यह बात लानी चाहिए। यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बल, धमकी, धोखे आदि से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो दोषी पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति नहीं ■ गवाहों के बयान कि उन्हें किस तरह परेशान किया गया या खिजाया गया। गवाह वहाँ रहनेवाले या वहाँ से गुजरनेवाले हो सकते हैं
नोट : अपराधी पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी (यद्यपि धारा 8(ए) में सिर्फ स्त्री का जिक्र है, उसके उप-बंध में पुरुषों का भी जिक्र है)	❑ शब्दों से, मुद्राओं से या शरीर प्रदर्शन के द्वारा अथवा अन्य तरीकों से (जैसे, टेलीफोन सेक्स, पीत पत्रिकाओं में विज्ञापन आदि) ❑ वेश्यावृत्ति के लिए किसी से आग्रह या छेड़छाड़ करती है या इस इरादे से या कोई ऐसा काम करती है जिससे वहाँ रहनेवालों या आने-जानेवालों को बाधा या परेशानी होती हो या सार्वजनिक शालीनता भंग करती है	■ पूर्ववर्ती आरोप पत्र/अपराध-सिद्धि के दस्तावेज (अगली बार फिर अपराध सिद्ध होने पर और कड़ी सजा मिल सकती है)
धारा 9 : संरक्षित व्यक्ति को प्रलुब्ध करना	❑ कोई भी व्यक्ति, जिसके संरक्षण, चार्ज या देखभाल में कोई अन्य व्यक्ति हो या जो उसे नियंत्रित करने की स्थिति मे हो ❑ उसे वेश्यावृत्ति के लिए ललचाने का कारण बनता है, इसमें मदद करता है या सहयोगी बनता है ❑ यदि किसी ट्रैफिक किए गए व्यक्ति को वेश्यालय	■ यह साबित करने के लिए कि उत्पीड़ित व्यक्ति अपराधी के संरक्षण/चार्ज/देखभाल या नियंत्रण में है दस्तावेज और बयान। इनमें वेश्यालयों, होटलों आदि में (अकसर गुप्त ढंग से) रखे जानेवाले रजिस्टर शामिल हैं ■ उन स्थानों पर, जहाँ किसी अन्य गतिविधि (जैसे मसाज पार्लर) की आड़ में यौन शोषण किया जाता है, ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो बताते हैं कि उत्पीड़ित महिला वहाँ नौकरी करती है, जैसे तनख्वाह का रजिस्टर, छुट्टी का रजिस्टर इत्यादि ■ यह दिखाने के लिए कि उत्पीड़ित व्यक्ति अपराधी के नियंत्रण में या उसकी मर्जी पर है, पहले के

	में अथवा होटल मालिक द्वारा होटल में कैद रखा जाता है, और इसके बाद उसे ललचाया या शोषित किया जाता है, तो वह संचालक भी इसके तहत दंडनीय है नोट : इस अपराध के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान है जिससे कम सजा नहीं मिलेगी, इसका इस्तेमाल उन सभी के खिलाफ किया जाए जो ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं, तो यह ट्रैफिकिंग रोकने के लिए प्रतिरोधक का काम कर सकता है।	सर्च, आरोप पत्र आदि के दस्तावेज ■ पूर्ववर्ती अपराध-सिद्धि, आरोप पत्र आदि के दस्तावेज ■ उत्पीड़ित व्यक्तियों की उम्र से संबंधित दस्तावेज ■ उत्पीड़ित व्यक्तियों की मेडिकल जाँच की रिपोर्ट ■ उत्पीड़ित को जबरदस्ती रखा गया था, यह दिखाने वाले दस्तावेज/बयान
धारा 18 : वेश्यालय को बंद करना तथा उस स्थान से अपराधियों का निष्कासन	❑ आइटपीपीए की धारा 3 या 7 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट वेश्यालय को बंद कराने तथा अपराधियों को वहाँ से निष्कासित करने का आदेश (कोई और नोटिस दिए बगैर) दे सकता है - धारा 18(2) ❑ यदि डीएम या एसडीएम को पुलिस या अन्य सूत्रों से (जो एनजीओ भी हो सकता है) सूचना मिलती है कि सार्वजनिक स्थान के अमुक कमरे/मकान/जगह का इस्तेमाल वेश्यालय चलाने या वेश्यावृत्ति के लिए हो रहा है ➢ मालिक/लीजकर्ता/मकान मालिक/एजेंट/किराएदार/ लीजधारी/कब्जादार को या वह स्थान/मकान/हॉस्टल इत्यादि जिसके चार्ज में है, उसे नोटिस जारी करें - धारा 18 (1)	■ यह साबित करने के लिए कि अपराध-स्थल सार्वजनिक स्थान पर है, दस्तावेज और भौतिक माप (धारा 7 में सूचीबद्ध दस्तावेज देखें) ■ उस स्थान से अपराधी का संबंध साबित करने के लिए बिजली/टेलीफोन/पानी/आतिथ्य आदि के बिल/वाउचर/रसीदें ■ संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित लैंड डीड/अनुबंध आदि ■ (यदि अपराध सिद्ध हुआ है, तो) न्यायालय द्वारा अपराध-सिद्धि का आदेश ■ अपराध-सिद्धि की स्थिति में, उसके तुरंत बाद प्रॉसिक्यूटर को धारा 18 के तहत न्यायालय में अर्जी देनी चाहिए ■ डीएम/एसडीएम के समक्ष उस स्थान के दुरुपयोग पर पुलिस, एनजीओ आदि की रिपोर्ट, ताकि न्यायिक अदालत द्वारा सजा सुनाने के पहले भी उसे धारा 18(1) के तहत खाली कराया जा सके ■ उत्पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल जाँच की रिपोर्ट ■ उत्पीड़ितों की उम्र का सबूत ■ उस स्थान पर होनेवाले शोषण के बारे में पुलिस की पूर्ववर्ती रिपोर्ट

	➢ नोटिस पाने के सात दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहें ➢ कि अनुचित इस्तेमाल के कारण उस स्थान को जब्त क्यों न कर लिया जाए ➢ उस व्यक्ति की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने होनी है ➢ यदि सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाए, तो वह सात दिनों के भीतर निष्कासन का आदेश दे सकता है ➢ वह निर्देश दे सकता है कि भविष्य में उस स्थान को किराए पर देने के पूर्व अनुमति ले ली जाए ➢ न्यायालय/मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध न अपील हो सकती है, न स्थगन आदेश दिया जा सकता है, न कोई अन्य न्यायालय उसे रद्द कर सकता है ❑ उत्पीड़ित व्यक्ति बालक या बालिका है, तो कठोरतम सजा ❑ अपराध-सिद्धि के बाद मकान की लीज/ अनुबंध रद्द और प्रभावहीन हो जाता है	

नोट : यह चार्ट उदाहरण देने के लिए है। इसे संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्राप्त किया जानेवाला साक्ष्य किसी भी मामले की विशेष स्थिति पर निर्भर है। साक्ष्यों को शक्तिशाली और वस्तुपरक तरीके से कैसे हासिल किया जाए और उसकी परस्पर संगति कैसे बैठाई जाए, यह जाँचकर्ता और प्रॉसिक्यूटर की पहल और साधनशीलता पर बहुत कुछ निर्भर होता है। बलात्कार के एक मामले में दिमाग से सुन्न महिला ने तीन दिन बाद एफआइआर लिखाई। मंदिर के पुजारी, जिसने उसे सदमे से बाहर ले आने का प्रयास किया (पुजारी को यह पता भी नहीं था कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ था), के बयान को यह साबित करने के लिए कि उत्पीड़ित व्यक्ति को क्षति पहुँचाई गई थी और एफआइआर दर्ज कराने में हुआ विलंब औचित्यपूर्ण था, अदालत द्वारा माना और स्वीकारा गया। अतः जाँच करनेवाले अधिकारियों को सभी संकेत-सूत्रों का, वे चाहे कितने भी मामूली दिखाई पड़ते हों, पीछा करने में पहल और कल्पनाशक्ति का प्रयोग करना चाहिए, शाखा-प्रशाखाओं की तह में जाना चाहिए और अंतर्संबंधों की कड़ियों को उजागर करने के लिए साक्ष्य उपस्थित करना चाहिए।

परिशिष्ट 2
श्रेष्ठ उदाहरणों के कुछ मॉडल

- **दिल्ली पुलिस** ने ट्रैफिकिंग अपराधों से निपटने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग किया है। इस मान्यता से कि ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है, मुद्दों को संपूर्णता में, वांछनीय गंभीरता के साथ समझने और तदनुसार आचरण करने में और अधिक पहल करने में सफलता मिली है।
- 'यौन शोषण के व्यापार के लिए ट्रैफिकिंग के शिकार बालक-बालिकाओं को मुक्त कराने के पूर्व, मुक्त कराने और मुक्त कराने के बाद के ऑपरेशनों के लिए **प्रोटोकोल'** राज्य सरकारों तथा अनुक्रिया (रिस्पांस) एजेंसियों के लिए वे सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिनके आधार पर मानव अधिकारों के कोण से मुद्दों को समझा और तदनुसार आचरण किया जा सकता है।
- पटना में **बाल सखा** ने (*पुलिस चाचा* नामक प्रणाली के तहत) थानों से सांस्थानिक संबंध स्थापित किया है और जिन बच्चों के बारे में रिपोर्ट किया जाता था कि वे लापता हैं (इनकी संख्या प्रतिवर्ष 500 से अधिक होती है), उनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके घर सुपुर्द करने में सफलता पाई है।
- गोरखपुर में सनौली सीमा पर स्थित **सेवा** (मानव सेवा संगठन) द्वारा परिचालित **राइट्स अवेयरनेस-कम-काउंसिलिंग सेंटर** ने (जिसे शुरू के दिनों में इस लेखक द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी), स्थानीय पुलिस और परामर्शदाताओं को इनवॉल्व कर, आव्रजन की आड़ में होनेवाली ट्रैफिकिंग को रोकने में निर्णायक योगदान दिया है। इस प्रयोग ने अंतर-सीमा ट्रैफिकिंग की प्रवृत्तियों को उजागर किया है।
- पुलिस तथा **महराष्ट्र सरकार** की साझेदारी में **प्रेरणा** द्वारा शुरू की गई **गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी** (महाराष्ट्र) ने घरों के संयुक्त प्रबंधन को सांस्थानिक रूप प्रदान किया है, जिससे मुक्त कराए गए व्यक्तियों की अधिकार-केंद्रित देखभाल सुनिश्चित की जा सकी है।
- एचआरएलएन (ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क) ने ट्रैफिकिंग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाएँ दायर कर प्रशंसनीय पहल की है।
- पुलिस, प्रॉसिक्यूटरों, अन्य सरकारी अधिकारियों तथा गैरसरकारी अधिकारियों को शामिल कर, खर्च करने योग्य तथा स्थायी संसाधनों की व्यवस्था कर और कौन क्या करेगा, इसके नियम तय कर, कुछ राज्यों में यूएनओडीसी द्वारा 2007 में स्थापित एएचटीयू (मानव ट्रैफिकिंग विरोधी एकक) ट्रैफिकिंग-विरोधी कार्य के क्षेत्र में समेकित, बहु स्टेकधारी सिनर्जी का एक क्लासिकल उदाहरण है। एएचटीयू सर्वोत्तम परिणाम दे रहा है और प्रशंसनीय ढंग से काम कर रहा है।
- आंध्र प्रदेश में ट्रैफिकिंग प्रतिरोधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित **कोऑडिनेशन कमिटी ऑफ आंध्र प्रदेश** ने, गैरसरकारी संगठनों की साझेदारी में, स्वतःसक्रियता, इन्वॉल्वमेंट और परिणाम देने के माध्यम से मौजूदा प्रणालियों में अनेक सुधार किए हैं।
- प्रज्वला और एचआरएलएन द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए **वीडियो कांफ्रेंसिंग** को स्वीकृति दी है। ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर है, क्योंकि यह न्यायालय की कार्यवाही के दौरान होनेवाले नुकसान, परेशानी और द्वितीयक उत्पीड़न से उन्हें बचाता है। ट्रैफिकिंग के सभी मुकदमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुलिस और प्रॉसिक्यूशन अधिकारी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
- 2002-04 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय की **न्यायिक सक्रियता** ने न्याय प्रदान करने के परिदृश्य में रेडिकल परिवर्तन किए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों ने यह सुनिश्चित किया कि सरकारी एजेंसियाँ उत्पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा करने की गारंटी दें, पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाएँ तथा री-ट्रैफिकिंग को रोकने के

लिए दृढ़ कदम उठाएँ। इससे सरकार - एनजीओ साझेदारी को संस्थागत रूप मिला। उत्पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न में भारी कमी आई और कानून का प्रवर्तन उत्पीड़ितों के हित में तथा मानव अधिकारों की दृष्टि से होने लगा।

- बांग्लादेश में गैरसरकारी संगठनों के साथ और भारत में पुलिस एजेंसियों (बीएएफ को शामिल करते हुए) के साथ नेटवर्किंग में **संलाप** की पहल से बांग्लादेश से ट्रैफिकिंग के द्वारा भारत लाए गए व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी संभव हुई। अवैध आप्रवासियों को सीमा पर धकेल देने की नीति खत्म हुई तथा उसका स्थान ले लिया ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों को गरिमा के साथ सुपुर्द करने की अधिकार-आधारित नीति ने।
- एसएलआरसी, कोलकाता द्वारा किया जा रहा अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) कार्य एक अनूठा उदाहरण है। यह एक ऐसा गैरसरकारी संगठन है जो ट्रैफिकिंग के मामलों में केस लड़ता है। इससे पता चलता है कि एनजीओ कुछ खास भूमिकाओं में सरकारी एजेंसियों का स्थान ले सकते हैं। सरकारी अभियोजन का कार्य वकीलों से ले कर इस गैरसरकारी संगठन के वकीलों को हस्तांतरित करने का निर्णय एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई और फैसले के दौरान हुआ था।
- **प्रज्वला,** हैदराबाद ने सरकार-एनजीओ-व्यावसायिक निगमों के बीच पारिवारिक संबंध और साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। **अमूल** प्रयोग ने, जिसके तहत एक व्यावसायिक निगम ने ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों को रोजगार दे कर तथा उनका सम्यक पुनर्वास कर, भारत में पुनर्वास की दुनिया में **इतिहास रचा** है।
- दिल्ली के **प्रयास** ने, जो अनेक वर्षों से विपत्तिग्रस्त बच्चों के लिए काम करता रहा है, निगमों के साथ नेटवर्किंग की है और सरकारी एजेंसियों, गैरसरकारी संगठनों तथा निगमों को इनवॉल्व कर पुनर्वास के मेकनिज्म को **संस्थागत रूप** दिया है।
- दिल्ली के **स्टॉप** ने अपने मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य के द्वारा ट्रैफिकिंग-विरोधी कार्रवाइयों के इतिहास में क्रांति ला दी है। इस संस्था के सदस्यों ने ट्रैफिकिंग के शिकार अनेक व्यक्तियों का, उनकी क्षमता/आवश्यकता/रुचि को समझ कर, उचित पुनर्वास किया है। स्टॉप ने बहुतों का सम्मानपूर्ण ढंग से विवाह कराया है और उनके जीवन को व्यवस्थित किया है। बहुत-सी महिलाएँ अपने मूल घर लौटी हैं और अपने निजी परिवेश में आराम से जिंदगी गुजार रही हैं।
- **इनगॉन नेटवर्क ऑफ मेघालय** (जिसकी कुछ संस्थाओं को इस लेखक ने सुविधा प्रदान की थी) की पहल ने मेघालय में कानून प्रवर्तन और न्याय सुपुर्दगी में रेडिकल परिवर्तन किए हैं। जिस राज्य को ट्रैफिकिंग का पता तक नहीं था (या यों कहिए कि जिसने इसे औपचारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया था), उसे इस सच्चाई से रू-ब-रू होना पड़ा कि वहाँ की कई युवतियों की ट्रैफिकिंग हुई थी और उन्हें शोषण के लिए मुंबई, पुणे इत्यादि महानगरों में ले जाया गया था। गैरसरकारी संगठनों के इस नेटवर्क के निर्णायक प्रयास से कई युवतियों को नया जीवन और शोषण-मुक्त जीवन जीने की पर्याप्त शक्ति मिली।
- पटना के **प्रयास भारती** ने लड़कियों और स्त्रियों के पुनर्वास की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। इसके बिना वे नरक का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थीं। ऐसे बच्चों को भी, जिन्हें पुलिस ने 'वेश्या' करार दिया था, 'जेल' से बाहर लाया गया और उनका पुनर्वास किया गया। (पहले प्रकार के प्रयास में इस लेखक की भी भूमिका थी)। इसका धनात्मक पक्ष था एनजीओ + जीओ की नेटवर्किंग। पुलिस एजेंसियाँ ऐसे एनजीओं से सच्ची साझेदारी कर बेहतरीन काम कर सकती हैं।
- **भोरुका पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट** ने ऐसे इलाकों में, जहाँ से ट्रैफिकिंग होने की आशंका रहती है, घर-घर जा कर सर्वेक्षण किया कि वहाँ की औरतें और बच्चे इससे कितना सुरक्षित हैं। सर्वेक्षण के बाद, राज्य सरकार और राज्य की पुलिस एजेंसियों के सहकार से उन्होंने सशक्तीकरण के जो कार्यक्रम शुरू किए, उनका यह चमत्कारिक परिणाम निकला कि जिन बस्तियों के बारे आशंका थी कि वे ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकती हैं, वे अब ट्रैफिकिंग से मुक्त हैं।

- मुंबई की संस्था **वाइज** ने ट्रैफिकिंग के आयामों को समझने के लिए फील्ड में माइक्रो-रिसर्च किया है। उनकी पहल ने महाराष्ट्र के गाँवों में स्त्रियों और बच्चों का सशक्तीकरण किया है और इसके द्वारा ट्रैफिकिंग को रोका है।
- **तमिलनाडु सरकार** (सामाजिक सुरक्षा विभाग) ने 'सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना की है, जिसके तहत ट्रैफिक किए गए व्यक्तियों के स्थानांतरण तथा पुनर्वास और उनका साथ देनेवाले गैरसरकारी संगठनों के कार्यगत एवं आकस्मिक खर्चों का भार उठाया जाता है। देश में यह पहली घटना है, जब सरकार ने जमीनी स्तर पर ट्रैफिकिंग के मुद्दों से रू-ब-रू होने के लिए एक अलग कोष स्थापित किया है और विशेष संसाधन मुहैया कराए हैं।
- **ओडांडी, मैसूर,** ने ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया होम (घर) मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रतीक है। अनुक्रिया (रिस्पांस) एजेंसियों द्वारा पेश की जानेवाली सभी बाधाओं और प्रतिरोधों के बावजूद उनके द्वारा किए गए सतत प्रयासों ने मानव अधिकारों को लागू करने की दिशा में प्रकाश स्तंभ का काम किया है। उन्होंने पुनर्वास के श्रेष्ठतम तंत्रों से हमारा परिचय कराया है।
- **शोध** किसी भी सामाजिक सक्रियता का आवयाविक हिस्सा है। **इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज,** नई दिल्ली ने, सामाजिक कार्रवाई के साथ सामाजिक शोध को समन्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता के कारण, ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शक शोध कराया है (यह लेखक यूनिफेम द्वारा प्रायोजित, एनएचआरसी की इस परियोजना में प्रधान शोधकर्ता-जाँचकर्ता-रिपोर्ट लेखक था)। इस शोध ने सामाजिक मुद्दों से मुठभेड़ में एक्शन-रिसर्च के महत्व को रेखांकित किया है।
- ट्रैफिकिंग पर एक्शन रिसर्च (2002-2004) के दौरान एनएचआरसी के नोडल अधिकारी (इस पुस्तिका के लेखक) द्वारा देश भर में संचालित कई **एक्शन कार्यक्रमों** ने दर्शाया है कि व्यक्तिगत पहल, प्रतिबद्धता और सरोकार अनुक्रिया प्रणालियों (रिस्पांस सिस्टम) में रेडिकल परिवर्तन कर सकते हैं। इनमें से कुछ पहलों को *ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन इंडिया* (ओरिएंट लांगमैन, 2005) में केस अध्ययनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।, ये अध्ययन न केवल 'निवारण, सुरक्षा और अभियोजन' में कुशल तथा नवीनतायुक्त कदम हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि किस तरह अच्छी पहलों को संस्थागत रूप दिया जा सकता है और श्रेष्ठतम परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, अतः इनका उपयोग प्रभावशाली मॉडलों के रूप में किया जा सकता है।
- **सार्थक** (डॉ. अचल भगत) ने उपचारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया है। यह ट्रैफिक किए गए व्यक्तियों की, उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए तथा मानव अधिकारों की दृष्टि से, काउंसिलिंग के लिए गाइड बुक है। इस एनजीओ ने प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का एक विस्तृत संसाधन बैंक तैयार किया है।
- **सेंटर फॉर सोशल रिसर्च,** नई दिल्ली ने कानून का प्रवर्तन करनेवाले अधिकारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किए हैं। प्रशिक्षण के मॉड्यूल तथा पाठ्यक्रम इसी के अनुसार बनाए गए हैं।
- **ज्वाइंट वीमेन्स प्रोग्राम** ने ट्रैफिकिंग के रूटों, लक्ष्य-स्थानों, स्रोतों आदि की शिनाख्त की है और पहली बार ट्रैफिकिंग का एक मानचित्र तैयार किया है।
- **हक़ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स** ने मुसीबत में पड़े हुए बच्चों को तुरंत राहत पहुँचाने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया है।
- **चाइल्डलाइन इंडिया** ने जरूरतमंद और देखभाल की आवश्यकतावाले बच्चों के लिए हेल्पलाइन विकसित की है। इन हेल्पलाइनों को परस्पर ग्रंथित किया गया है और भारत के बहुत-से शहरों में कार्यशील बनाया गया है।
- **अपने आप** यौन शोषण के माँग पक्ष से मुठभेड़ की जरूरत के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने पर काम कर रहा है। इस दिशा में कई प्रयत्न किए गए हैं। माँग पक्ष से मुठभेड़ की अकसर उपेक्षा की जाती है, परंतु यह ट्रैफिकिंग-प्रतिरोध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में एक है। डिमांड मैनुअल इस मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक मास्टरपीस है।
- **शक्तिवाहिनी** ने गैरकानूनी विवाहों और गैरकानूनी अंग प्रत्यारोपण से ट्रैफिकिंग की संपर्क-कड़ियों को उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। उसकी पहल ने शोषण के शिकार अनेक व्यक्तियों की सहायता की है और

बहुत-से अपराधों को घटित होने से रोका है। इस तरह ट्रैफिकिंग के बहुत-से पहलू, जो अभी तक अज्ञात थे, सामने आए हैं।

- **इंटरनेशनल जस्टिस मिशन** ने मुंबई में तथा अन्य स्थानों पर मुक्त कराने, मुक्त कराने के बाद की देखभाल और ट्रैफिकिंग के मामलों का प्रभावशाली ढंग से अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) किया है।
- **स्त्री आधार केंद्र,** पुणे ने जमीनी स्तर पर स्त्रियों और बच्चों के सशक्तीकरण और इसके माध्यम से ट्रैफिकिंग को रोकने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।
- **भारत के उच्चतम न्यायालय** ने, सितंबर 2004 में अपने ऐतिहासिक फैसले (*साक्षी बनाम भारत सरकार*) के द्वारा, आपराधिक न्याय की सुपुर्दगी की प्रक्रिया में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदमों के लिए निर्देश दिया है। बंद कमरे में ट्रायल की कार्यवाही, जो सीआरपीसी की धारा 327 के तहत सिर्फ बलात्कार के अपराध पर कार्यवाही के लिए ही उपलब्ध थी, का दायरा बढ़ा कर यह प्रावधान बालक-बालिकाओं पर यौन हमले के सभी अपराधों पर लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इन मामलों के ट्रायल में अनेक बाल-संवेदी (चाइल्ड-सेंसिटिव) प्रक्रियाओं का निर्देश दिया है। बच्चों के अधिकारों पर यह निर्णय मील के पत्थर की तरह है और गैरसरकारी संगठन साक्षी द्वारा दाखिल जन हित याचिका पर सुनाया गया था।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने, एक जनहित याचिका में जिसका फॉलो-अप न्यायालय ने अपनी पहल पर किया, 2000-2004 की अवधि में दिल्ली में मुक्त कराने और मुक्त कराने के बाद की गतिविधियों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की थी। न्यायिक सक्रियता और ऐतिहासिक फैसलों की बदौलत ट्रैफिकिंग-प्रतिरोधी परिदृश्य में - खास तौर से ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, ट्रैफिकिंग रोकने और सभी संबद्ध पक्षों द्वारा अधिकार-आधारित अनुक्रिया सुनिश्चित करने में - बेहद सुधार हुआ। इससे ट्रैफिकिंग से मुठभेड़ में अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी और सरकारी एजेंसियों में समन्वय तथा सरकारी एजेंसियों और गैरसरकारी एजेंसियों के बीच साझेदारी का संस्थानीकरण हुआ।

ये भारत में 'श्रेष्ठ उदाहरणों' के सिर्फ वे थोड़े-से मामले हैं जिनकी तरफ ध्यान गया है। और भी अनेक संस्थाएँ हैं, जो इस दिशा में उल्लेखनीय और बेहतरीन काम कर रही हैं, जिनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है और जिनकी चर्चा नहीं होती।

शब्दावली

आइएनजीओ (इनगो) – इंटरनेशनल नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन (अंतरराष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन)

आइटीपीए – इम्मॉरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956

आइपीसी – इंडियन पीनल कोड

एफआइआर – फर्स्ट इंफॉरमेशन रिपोर्ट (पुलिस स्टेशन में पंजीकृत)

एफसीसी – फैमिली काउंसिलिंग सेंटर

एनएचआरसी – नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन

एनजीओ – नॉन-गर्वनमेंटल ऑर्गनाइजेशन, गैरसरकारी संगठन

एसआइ – सब इंस्पेक्टर ऑफ पलिस

एसडीएम – सब डिविजनल मजिस्ट्रेट

एमएम – मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट

एसएपीएटी – साउस एशियन प्रोफेशनल्स अगेन्स्ट ट्रैफिकिंग

एसपीओ – स्पेशल पुलिस ऑफिसर (विशेष पुलिस अधिकारी) (आइटीपीए की धारा 13 के तहत नोटिफाइड)

एटीएसइसी – एक्शन अगेन्स्ट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सटलायटेशन ऑफ चिल्ड्रेन (एक एनजीओ नेटवर्क)

एटीपीओ – एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर

जेजे एक्ट – द जुवेनाइल जस्टिस (केअर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000

जेएम – जुडिशिएल मजिस्ट्रेट

डीएम – डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

डीएसपीई – डेल्ही स्पेशल पोलिस इस्टैब्लिशमेंट

धारा - किसी अधिनियम की धारा

बाल - चाइल्ड, 14 वर्ष से नीचे का बालक या बालिका

यूएनओडीसी - यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम

यूनिफेम – यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट फंड फॉर वूमेन

यूटीआई – यूरीनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन

व्यक्ति - स्त्री या पुरुष, (इस पुस्तिका में) ज्यादातर मामलों में स्त्री

सीआरपीसी – क्रिमिनल प्रासिज्योर कोड

सीएसई - कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन (यौन शोषण का व्यापार)

सीडब्ल्यूसी – चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (जेजे एक्ट, 2000 के तहत गठित)

सीबीआई – सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (केंद्रीय जाँच ब्यूरो)

सीबीओ – कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइजेशन

शिकार - सीएसई का शिकार